8

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति
(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन

आठवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

सीपीएंडएनजी सं.

आठवां प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन

.....**08.2021** को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

...08.2021 **को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।**

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त, 2021/ श्रावण, 1943 (शक)

विषय-सूची

	समिति (2020-21) की संरचना	(iii)
	प्राक्कथन	(iv)
	प्रतिवेदन	
	भाग-एक	
एक.	प्रस्तावना	1
दो.	आबंटन के पश्चात आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन/लाइसेंस	7
तीन.	प्रत्यय पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन	15
चार.	स्थान की पहचान	32
पांच.	दूरस्थ और दूरदराज के क्षेत्रों में आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	38
छह .	खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन में आरक्षण नीति	44
सात.	कॉर्पस फंड योजना	57
आठ.	खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए डीलर कमीशन	66
नौ.	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ग्राहक हस्तांतरण नीति	75
दस.	मुकदमे और शिकायत निवारण तंत्र	83
ग्यारह.	विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी)	92
बारह.	वाणिज्यिक सिलेंडरों की बिक्री	107
तेरह.	मौजूदा आरओ/ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का निरीक्षण	109
चौदह.	बाउजर/मोबाइल डिसपेंसर द्वारा डीजल की बिक्री	116
पंद्रह.	सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी	119
सोलह.	ग्राहक केंद्रित पहल	129
	भाग-दो	148
	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें----------	
	अनुबंध	N.A.
अनुबंध 1	समिति (2019-20) की 12.12.2019 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश	N.A
अनुबंध 2	समिति (2019-20) की 30.12.2019 को हुई 5वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	N.A
अनुबंध 3	समिति (2020-21) की 08.03.2021 को हुई 13वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	N.A.
अनुबंध 4	समिति (2020-21) की 13.07.2021 को हुई 17वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	N.A
अनुबंध 5	समिति (2020-21) की .....2021 को हुई ..... बैठक का कार्यवाही सारांश	
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट 1		144
परिशिष्ट 2		146
परिशिष्ट 3		N.A.
परिशिष्ट 4		N.A.
परिशिष्ट 5		N.A.

(III)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

क्र. सं. सदस्यों के नाम

लोक सभा

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

32. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
33. श्रीमती चिंता अनुराधा
34. डॉ. रमेश बिन्द
35. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
36. श्री गिरीश चन्द्र
37. श्री तपन कुमार गोगोई
38. श्री नारणभाई काछड़िया
39. श्री संतोष कुमार
40. श्री रोड़मल नागर
41. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
42. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
43. श्री एम.के. राघवन
44. श्री चन्द्र शेखर साहू
45. श्री दिलीप शइकीया
46. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
47. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
48. श्री लल्लू सिंह
49. श्री विनोद कुमार सोनकर
50. श्री अजय टम्टा
51. श्री राजन बाबुराव विचारे

राज्य सभा

52. श्री रिपुन बोरा
53. श्री नारायण दास गुप्ता
54. श्रीमती कान्ता कर्दम
55. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
56. श्री ओम प्रकाश माथुर
57. * रिक्त
58. श्री रामभाई हरजीभाई मोकारिया
59. डा. वी. शिवदासन
60. श्री ए. विजयकुमार
61. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी - अपर सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
3. श्री मोहन अरुमाला - अवर सचिव
4. श्री दीपक कुमार - सहायक कार्यकारी अधिकारी

---

* डा. भागवत कराड़ 07.07.2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) नियुक्त होने के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

प्राक्कथन

मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर **'खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन'** संबंधी समिति का यह आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. समिति ने 12.12.2019, 30.12.2019 और 13.07.2021 को हुई अपनी बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा 13.07.2021 को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संघ (पीईएसओ)) के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की और उनका साक्ष्य लिया । समिति ने 08.03.2021 को अखिल भारतीय पेट्रोलिमय डीलर एसोसिएशन (एआईपीडीए) और अखिल भारतीय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (एआईएलडीएफ) के विचार भी सुने।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति द्वारा .....2021 को इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/पीएसयू, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संघ (पीईएसओ)) और अखिल भारतीय पेट्रोलिमय डीलर एसोसिएशन (एआईपीडीए) और अखिल भारतीय एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (एआईएलडीएफ) के प्रतिनिधियों का विषय की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आभार व्यक्त करती है ।

5. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता हेतु उनकी सराहना करती है ।

नई दिल्ली
अगस्त, 2021
श्रावण, 1943 (शक)

रमेश बिधूड़ी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग 1

<u>प्रस्तावना</u>

भारतीय ईंधन बाजार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है और पिछले एक दशक से वृद्धि दर लगातार बढ़ रही हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों ने पिछले एक दशक के दौरान 39,000 से अधिक खुदरा बिक्री केंद्र जोड़े हैं।

मई 2002 से पहले, खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों का चयन भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष (एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में डीलर चयन बोर्ड और तेल उद्योग के दो सदस्यों द्वारा किया जाता था। एमओपीएनजी ने दिनांक 9.5.2002 के अपने पत्र के माध्यम से डीलर चयन बोर्डों को भंग कर दिया है। इसके बाद, एमओपीएनजी ने दिनांक 19.08.2003 के पत्र में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण, कॉर्पस फंड स्कीम, भावी आबंटियों के लिए आय पर कोई सीमा नहीं, बहुविकल्पीय मानदंडों की प्रयोज्यता आदि जैसे संभावित प्रावधानों के साथ डीलरशिप चयन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। तदनुसार, खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों की नियुक्ति को 3-स्तरीय अंक आधारित चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया था जिसमें (क) प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन (ख) दस्तावेज़ / सूचना आधारित मूल्यांकन और (ग) साक्षात्कार शामिल हैं।

एलपीजी वितरकों के लिए "ड्रॉ ऑफ लॉट्स" द्वारा चयन की पारदर्शी, चयन प्रक्रिया की सफलता से उत्साहित होकर, ओएमसीज के साथ-साथ एमओपीएनजी द्वारा यह महसूस किया गया कि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरों के चयन के लिए भी इस

अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एमओपीएनजी ने यह चाहा कि ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप में भी प्रदान किया जाना चाहिए। उपर्युक्त को देखते हुए ओएमसीज ने डीलर चयन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को प्रस्तुत किया और एमओपीएनजी ने दिनांक 17.2.2014 के अपने पत्र द्वारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स / बोली के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्र डीलर्स के चयन के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की। ड्रॉ ऑफ लॉट्स /बोली द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलर चयन दिशानिर्देश 21.5.2014 से लागू किए गए हैं।

इसी तर्ज पर, पीएसयू ओएमसीज ने नवंबर 2018 के दौरान नियमित और ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलर चयन दिशानिर्देश तैयार किए हैं और देश के विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए नवंबर/दिसंबर 2018 के दौरान विज्ञापन प्रकाशित किए हैं।

1.2 डीलर चयन बोर्ड को भंग करने और डीलरशिप के चयन की जिम्मेदारी ओएमसी को सौंपने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:

> "01.04.2002 को पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र को समाप्त करने के बाद, 9.5.2002 को देश में सभी डीलर चयन बोर्ड (डीएसबी) को भंग कर दिया गया था। मंत्रालय द्वारा जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के आधार पर, ओएमसी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए अपने स्वयं के विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह कदम उदारीकरण की भावना और ओएमसी को वाणिज्यिक स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाने की भावना के अनुरूप उठाया गया था।"

1.3 नियमित अंतराल पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों में बार-बार बदलाव के कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:

"दिशा-निर्देशों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परिवर्तन/संशोधन को शामिल करके प्रक्रिया में सुधार के लिए अध्ययन/अनुभवों/प्रतिक्रियाओं के आधार पर चयन के दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए जाते हैं।"

1.4 जब देश में ओएमसीज़ द्वारा नए खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित रोड मैप पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"खुदरा बिक्री केन्द्र नेटवर्क का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़ज़) द्वारा पेट्रोल और डीजल की माँग में वृद्धि के साथ की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा चिन्हित खुदरा केंद्रों के लिए स्थानों को राज्य खुदरा विपणन योजना में शामिल किया गया है और नई खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप की स्थापना के लिए विज्ञापित किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ ने देश भर में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए नवंबर/दिसंबर 2018 में विज्ञापन दिया है और दिनाँक 01.06.2021 तक 29501 एलओआई जारी किए हैं, जिनमें से 10307 खुदरा बिक्री केंद्र चालू हो गए हैं। दिनाँक 01.06.2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज़ के पास 69521 खुदरा बिक्री केंद्रों का नेटवर्क है।

दिनाँक 01.06.2021 तक जारी एलओआई और चालू नए बिक्री केन्द्रों (2018 का विज्ञापन) निम्नलिखित हैं -

ओएमसी	2018 के विज्ञापन में से जारी एलओआई	2018 के विज्ञापन में से चालू नए खुदरा बिक्री केंद्र
बीपीसीएल	9216	3550
एचपीसीएल	8364	2981
आईओसीएल	11921	3776
कुल	**29501**	**10307**

दिनाँक 01.06.2021 तक नेटवर्क संख्या:

ओएमसी	दिनाँक 01.06.2021 तक खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या
बीपीसीएल	18652
एचपीसीएल	18692
आईओसीएल	32177
कुल	69521

एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप से संबंधित

तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा दिसम्बर 2018 से 01.04.2020 तक जारी कुल 1079 एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों का आबंटन किया गया। उनके विवरण निम्नलिखित हैं :-

ओएमसी	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
जारी एलओआई की संख्या	612	231	236	1079

1.5 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा एलपीजी की राष्ट्रीय कवरेज और उन पेट्रोल पम्पों एवं एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों, जिनका प्रारम्भ हो जाने की आशा है, से संबंधित आंकड़े के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया :-

"आरओ से संबंधित

आशा की जाती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान ओएमसी द्वारा 2850 आरओ कमीशन किए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान रिटेल आउटलेटों के प्रारम्भ की योजना निम्नानुसार है :

ओएमसी	योजनाकृत एनआरओ (संख्या)
आईओसीएल	1000
बीपीसीएल	1000

एचपीसीएल	850
कुल	2850

एलपीजी से संबंधित

दिनांक 01.07.2020 को राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज 98.1 % है। ओएमसी द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान 400 एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप के प्रारम्भ होने की आशा की जाती है।

ओएमसी	डिस्ट्रिब्युटरशिप लक्ष्य (संख्या)
आईओसीएल	200
बीपीसीएल	100
एचपीसीएल	100
कुल	400

1.6 कुछ क्षेत्रों में आरओ के समूहीकरण के कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:-

"बाजारों की क्षमताओं के आधार पर, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा चिह्नित लोकेशनों पर रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए नके वाणिज्यिक/न्यूनतम के अनुसार विचार किया जाता है। परन्तु, कुछ कारणों, जैसे कि– मूल्य में लाभदायक अंतरों वाली अंतर- राज्य सीमाओं तथा ट्रकों की निकासी, रुकने के प्राकृतिक स्थलों, व्यावसायिक स्थलों आदि के अनुसार आरओ के समूहीकरण के लिए क्षमतावान स्थल बन जाते हैं। "

1.7 जब ओएमसीज़ द्वारा संचालित कोका (कंपनी के स्वामित्व एवं कंपनी द्वारा संचालित) एलपीजी डिस्ट्रीब्यूरटरशिप की संख्या खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों और एलपीजी वितरकों के आवंटन का काम पीएनजीआरबी को हस्तांतरित करने के बारे में मंत्रालय के विचार के बारे में पूछा गया जिससे एक अधिक मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था स्थांपित की जा सके, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"ओएमसीज़ द्वारा डीलरों के चयन की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी है क्योंकि यह एमओपीएंडएनजी के व्यापक अनुमोदित दिशानिर्देशों की नीतियों और दिशानिर्देशों द्वारा शासित है। एमओपीएंडएनजी के मार्गदर्शन में ओएमसीज़ ने पारदर्शिता में सुधार के लिए 2018 में ऑनलाइन आवेदन और चयन प्रक्रिया शुरू की है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप "एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश, 2016" में निहित प्रावधानों के अनुसार विज्ञापित/कमीशन किया गया है और इस दिशा-निर्देशों में कोको का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन का कार्य पीएनजीआरबी को हस्तांतरित करने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

II. <u>आवंटन के बाद आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन/लाइसेंस</u>

1.8 जब देश में वैधानिक आवश्यकता के अनुसार एलपीजी गोदाम स्थापित करने के लिए आवश्यक एनओसी, मंजूरी और लाइसेंस के प्रकार के संबंध में और एलपीजी वितरकों को इन अनापत्ति प्रमाण-पत्रों/लाइसेंसों को प्राप्त करने में किसी

बाधा/कठिनाई का सामना करने के बारे में पूछा गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :-

"आवश्यक एनओसी/लाइसेंस/अनुमोदन निम्नानुसार है

क. एलपीजी गोदाम के लिए गैस सिलेंडर नियम 1981 के तहत पीईएसओ से लाइसेंस।

ख. जहाँ लागू है वहाँ,आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाइसेंस।

ग. व्यापार लाइसेंस / खुदरा बिक्री लाइसेंस।

घ. गोदाम में तौल पैमाने के संबंध में कानूनी माप विज्ञान विभाग से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है।

ङ. बीमा कवरेज।

च. जीएसटी पंजीकरण

छ. उस जगह पर लागू कोई अन्य लाइसेंस।"

1.9 बाकी बचे रिटेल आउटलेटों को अब तक कमीशन किए जाने में विलम्ब के कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:-

"सार्वजनिक ओएमसी द्वारा रिटेल आउटलेटों को कमीशन किए जाने की प्रक्रिया लम्बी अवधि की होती है, क्योंकि इससे अनेक गतिविधियाँ जुड़ी रहती हैं। विज्ञापन के बाद, उम्मीदवारों को कम से कम एक महीने का समय अपने आवेदनों सहित प्रत्युत्तर देने हेतु दिया जाता है (जिसे नव.'18 के बाद से ऑनलाइन द्वारा किया गया है)। प्रत्युत्तरों की प्राप्ति के बाद, चयन की प्रक्रिया में निम्नानुसार चरण शामिल हैं -

- लॉटों / बोलियों का खोला जाना (एमएसटीसी के माध्यम से)
- परिणाम की घोषणा

- दस्तावेजों / आईएसडी की प्रस्तुति (संशोधन-योग्य त्रुटियों के मामलों में दस्तावेजों की पुन;-प्रस्तुति के प्रावधान सहित)
- दस्तावेजों की जाँच
- भूमि मूल्यांकन समिति (एलईसी द्वारा प्रस्तावित भूमि का मूल्यांकन)
- भूमि की व्यवस्था करने हेतु समय देना : ग्रुप 1 (2 महीने) एवं ग्रुप 2 (4 महीने)
- फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेन्शियल्स (एफवीसी)
- लेटर ऑफ इन्टेंट (एलओआई) का जारीकरण
- जिला आयुक्त से एनओसी प्राप्त करना, जिसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों की अनुमतियाँ चाहिए
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित लोकेशनों के लिए एनएचएआई का अनुमोदन
- तय किए गए शुल्क / बोली की रकमों का जमाकरण
- रिटेल आउटलेटों का निर्माण
- लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट (एलओए) का जारीकरण तथा डीलरशिप का प्रारम्भ

कुछ लोकेशनों, जहाँ केवल ग्रुप 3 (बिना भूमि) के तहत, आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, उन मामलों में चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पहले, आवेदकों को भूमि की व्यवस्था करने के लिए समय दिया जाता है।

उपरोक्त प्रक्रिया प्रवाह के अनुसार, लॉटों की बोली खोलने/ड्रॉ की प्रक्रियाओं के लिए अंतर सार्वजनिक क्षेत्र ओएमसी समन्वयन से संबंधित अधिकतम गतिविधियों के लिए विभिन्न प्राधिकरमों से अनुमोदन जुड़े होते हैं, जिन पर करीबी निगरानी जरूरी होती है। नीति के अनुसार, शिकायतों के मामले में,

उनकी जाँच के कारण इस प्रक्रिया में और भी विलम्ब होता है। अतः, प्रारम्भीकरण की प्रक्रिया एक लम्बी एवं क्रमानुसार प्रक्रिया है, जो कि किसी एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस के अभाव में, प्रत्येक लोकेशन की जटिलता तथा विभिन्न अनुमोदनों की प्राप्ति की गति पर भी निर्भर करती है।

उम्मीदवारों को एलओआई के जारी करने से पूर्व, उपरोक्त प्रक्रिया में अगले चरण पर जाने से पहले, प्रत्येक गतिविधि के लिए एक न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होती है (जैसे कि – आईएसडी/डीओसी, पुनर्शोधन-योग्य कमी, एलईसी, एफवीसी आदि)।

विज्ञापन की तिथि से दिनांक 20.07.2020 तक व सामान्य चयन के दौरान घोषित आचार संहिता के अनुसार 10.3.2019 से 28.5.2019 तक चयन प्रक्रिया को रोके रखे जाने के बावजूद, ओएमसी द्वारा 24275 लोकेशनों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओसी) (आशय-पत्र) जारी किए गए हैं तथा 3959 आरओ कमीशन किए गए हैं। पिछले विज्ञापनों की तुलना में, यह किसी एक वर्ष में अधिकतम एलओआई के जारीकरण तथा एनआरओ का कमीशन किए जाने की संख्या है।"

1.10 समिति ने जानना चाहा कि 2018 की आवंटन प्रक्रिया को अभी तक अंतिम रूप क्यों नहीं दिया गया है और मंत्रालय 2018 में विज्ञापित सभी आवंटनों को जल्द से जल्द चालू करने के लिए क्या कदम उठा रहा है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान सूचित किया कि:

"महोदय, पहले जो नंबर बताई गई है, वे अभी खुल रहे हैं। अभी कई सदस्यों ने प्वाइंट आउट किया कि बहुत सारे अभी एलओआई लेकर घूम रहे हैं। वे अभी नहीं खुले हैं और उससे आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं आए हैं।

नए रिटेल आउटलेट के बारे में वर्ष 2018 में विज्ञापन दी गई थी। अभी भी एलओआई लेकर घूम रहे हैं और वे खुले नहीं है। इसके बारे में भी हम सूचना दे देंगे। यह बात भी सत्य है कि इसमें एनओसीज़ बहुत अधिक मात्रा में लेने होते हैं। बहुत सारे लोग पूरे एनओसी नहीं ले पाते हैं और समय भी अधिक लग जाता है। कई कैटेगरीज़ ऐसी भी हैं कि जब उनको एलओआई मिलती है तो उनके पास भूमि नहीं होती है। उनको भूमि भी एक्वायर करनी होती है, जिसमें समय लग जाता है। इसी कारण से पूरी प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। मंत्रालय स्तर पर हमने यह निर्णय लिया है कि यहाँ से हम एक गाइडलाइंस निकालेंगे। इसे अभी हम बना रहे हैं। इस बारे में हम राज्यों को समझा देंगे कि कौन-सी एनओसीज़ लिये जाएंगे। अभी बहुत सारे अनावश्यक एनओसीज़ भी लिये जा रहे हैं। इससे बहुत सारा समय लग रहा है। कुछ पम्प्स ऐसे हैं, जो शहर से दूर हैं और वे भी म्यूनिसिपल बॉडी से एनओसी ले रहे हैं या बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ से एनओसी ले रहे हैं, जिनका उस लोकेशन पर कोई कार्य नहीं है। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप ही कुछ गाइडलाइन दीजिए। अभी हम गाइडलाइन बना रहे हैं। इससे ये सारी प्रक्रिया सरल और आसान हो जाएगी। इससे यह होगा कि जिनको भी एलॉटमेंट हुआ है, वे उसको खोल पाएंगे।"

1.11 इसके अतिरिक्त, 08.03.2021 को मौखिक साक्ष्य के दौरान, एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन द्वारा यह सूचित किया गया था कि:

"नई एजेंसी लाने में बहुत दिक्कत होती है। 10-12 तरह के एनओसी लेने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से लैंड यूज़ सर्टिफिकेट लेना होता है, इसमें दो-तीन साल लग जाते हैं। वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार की तरफ से पहल की गई कि केवल गांव के पंचायत से एनओसी लेकर एजेंसी चालू की

जा सकती है। लेकिन इसके अलावा दस-बारह तरह के और लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जिनमें एक्सप्लोसिव, ट्रेड आदि लाइसेंस हैं, जिनमें वर्षों का समय लग जाता है, जिसके कारण एजेंसी चालू नहीं हो पाती है। जिन एसेंसीज का सिलेक्शन वर्ष 2017-18 में हुआ था, उनमें से पाँच-सात परसेंट अभी भी नहीं खुल पाए हैं। तेल कम्पनियों की कुछ कमियाँ हैं"।

1.12 आरओ एवं एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप के लिए आवेदकों के लिए क्या कोई ऐसे सिंगल विंडो का प्रावधान है, जिससे उन्हें अकारण विलम्ब के बिना अनुमतियाँ मिल सकें के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:

"वर्तमान में, आरओ एवं एलपीजी, दोनों के लिए, चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। चयन के उपरांत, आरओ अथवा एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप कमीशन किए जाने से पहले विभिन्न सरकारी एजेंसियों से अनुमतियों की आवश्यकता होती है। इन अनुमतियों को, उपरोक्त प्रश्न 4 में वर्णित, जिला/राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरणों से लेना पड़ता है। वर्तमान में सिंगल विंडो की ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।"

1.13 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने के लिए आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने के संबंध में मंत्रालय/ओएमसीज़ द्वारा उठाए गए कदम के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"वर्तमान में मध्य प्रदेश और गुजरात में खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए सिंगल विंडो

सिस्टम अपनाया गया है। एमओपीएनजी ने पूरे देश में राज्य सरकार के प्राधिकारियों को व्यवसाय की सुगमता में सुधार लाने और आवेदकों के खुदरा बिक्री केंद्र को शीघ्र चालू करने में सहायता करने के लिए प्राधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में सलाह दी है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट्रशिप के संबंध में, चयनित उम्मीदवार से संबंधित ओएमसीज़ के फील्ड कार्यालय द्वारा संपर्क किया जाता है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने के लिए आवश्यक एनओसी और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक आगे की प्रक्रियाओं और अनुपालन के बारे में बताया जाता है। संबंधित एरिया/टैरेटरी/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा उसे पूर्ण सहयोग दिया जाता है।"

1.14 मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को शामिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में और विस्तार से बताते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि

"नए रिटेल आउटलेट के बारे में वर्ष 2018 में विज्ञापन दी गई थी। अभी भी एलओआई लेकर घूम रहे हैं और वे खुले नहीं है। इसके बारे में भी हम सूचना दे देंगे। यह बात भी सत्य है कि इसमें एनओसीज़ बहुत अधिक मात्रा में लेने होते हैं। बहुत सारे लोग पूरे एनओसी नहीं ले पाते हैं और समय भी अधिक लग जाता है। कई कैटेगरीज़ ऐसी भी हैं कि जब उनको एलओआई मिलती है तो उनके पास भूमि नहीं होती है। उनको भूमि भी एक्वायर करनी होती है, जिसमें समय लग जाता है। इसी कारण से पूरी प्रक्रिया में अधिक समय लग रहा है। मंत्रालय स्तर पर हमने यह निर्णय लिया है कि यहाँ से

हम एक गाइडलाइंस निकालेंगे। इसे अभी हम बना रहे हैं। इस बारे में हम राज्यों को समझा देंगे कि कौन-सी एनओसीज़ लिये जाएंगे। अभी बहुत सारे अनावश्यक एनओसीज़ भी लिये जा रहे हैं। इससे बहुत सारा समय लग रहा है। कुछ पम्प्स ऐसे हैं, जो शहर से दूर हैं और वे भी म्यूनिसिपल बॉडी से एनओसी ले रहे हैं या बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ से एनओसी ले रहे हैं, जिनका उस लोकेशन पर कोई कार्य नहीं है। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप ही कुछ गाइडलाइन दीजिए। अभी हम गाइडलाइन बना रहे हैं। इससे ये सारी प्रक्रिया सरल और आसान हो जाएगी। इससे यह होगा कि जिनको भी एलॉटमेंट हुआ है, वे उसको खोल पाएंगे।"

1.15 डीलरों/वितरकों की ओर से विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ओएमसीज़ खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी प्राप्त करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ जिला प्राधिकरण, एनएचएआई, पीईएसओ आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र/लाइसेंस जारी करने के लिए संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करते हैं। खुदरा बिक्री केंद्र को चालू करने के लिए आवश्यक पीईएसओ लाइसेंस संबंधित ओएमसीज़ के नाम पर जारी किए जाते हैं।

तथापि, खुदरा बिक्री केंद्र के नियमित संचालन के संबंध में खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों द्वारा विभिन्न अन्य लाइसेंस/पंजीकरण जैसे वैट/ईपीएफ/डिस्पेंसिंग इकाइयों का अंशांकन और कानूनी माप विज्ञान द्वारा माप आदि प्राप्त किए जाते हैं, जिनका इन खुदरा बिक्री केंद्रों का प्रबंधन करते समय अनुपालन सुनिश्चित करना होता है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंध में एलओआई धारक को सभी मंजूरी/एनओसी/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होती है। कमीशनिंग से पहले इनके अनुपालन की संबंधित एरिया/टैरेटरी/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच की जाती है। ओएमसीज़ वितरकों की ओर से विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तथापि, एलओआई धारकों को फील्ड अधिकारियों के माध्यम से सभी सहायता प्रदान की जाती है।"

तीन. <u>प्रत्यय पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन</u>

1.16 विवादों और निराशाओं से बचने हेतु उम्मीदवारों का लॉटों के ड्रॉ द्वारा चयन किए जाने से पूर्व, क्या आवेदकों के जमीनी जाँच करने का कोई औचित्य होगा, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों की छंटाई की जा सके, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

<u>"आरओ से संबंधित -</u>

दस्तावेजों की जाँच तथा आवेदकों द्वारा प्रास्तावित भूमि का निरीक्षण करने का कार्य, जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्रों के ओएमसी द्वारा किया जाता था, उस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है। अतः, चयन विधि को इस प्रकार से संशोधित किया गया, जिससे जाँच एवं भूमि के निरीक्षण के कार्य केवल उन्हीं आवेदकों के लिए किए जाएँ, जिन्हें नवम्बर 2018 के बाद से लॉटों के ड्रॉ अथवा बोलियों को खोले जाने द्वारा चयनित किया गया था।

उम्मीदवारों को लॉटों/बोलियों के खोले जाने द्वारा चयन हेतु, उनके द्वारा स्व-घोषित एवं वकीलों द्वारा प्रमाणित व आवश्यक दस्तावेजों/घोषणा-पत्रों आदि का, आवेदन की तिथि पर, उनके पास होना आवश्यक होता है, जिनके आधार पर उन्हें चयनित किया जाता है।

आवेदक के लॉटों/बोलियों के खोले जाने द्वारा चयन के परिमामस्वरूप, चयनित उम्मीदवार को एक पत्र जारी किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित होता है कि –

"फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेन्शियल्स (एफवीसी) के दौरान सभी प्रमाणीकृत प्रतिलिपियों का सत्यापन, मूल दस्तावेजों के साथ मिलान द्वारा किया जाएगा।

आशा की जाती है कि आपके दस्तावेजों की मूल प्रतिलिपियाँ होंगी, जिनसे उत्पन्न उन दस्तावेजों की प्रतिलिपियों को प्रस्तुत किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि, यदि प्रारम्भिक जमानत राशि नहीं दी गई, अथवा ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों को सूचना प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाए, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त भी हो सकती है।

एफवीसी के दौरान निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर, यदि आप मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सकें अथवा यदि यह पाया जाए कि आपने अपने ऑनलाइन आवेदन में जो सूचना दी है, वह झूठी/गलत/तोड़ी-मरोड़ी गई हो, जिससे आपकी उम्मीदवारी प्रभावित होती हो, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चयन अनंतिम प्रकार का होता है तथा इस पर उपरोक्त नियमों का अनुपालन लागू होता है। अत: किसी भी प्रकार से विभ्रांति का कोई कारण ही नहीं होगा।

<u>एलपीजी से संबंधित -</u>

पहले सभी आवेदनों की ओएमसी द्वारा मानविक तरीके से ही छानबीन की जाती थी, तथा केवल योग्य उम्मीदवारों ही आवेदनों/दस्तावेजों की छानबीन के बाद ड्रॉ में प्रतिभागिता कर सकते थे। यह सारी विधि अधिक समय लेने

वाली थी। ड्रॉ के बाद फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेन्शियल्स (एफवीसी) किया जाता था। "एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों के लिए संयुक्त दिशानिर्देश" 2016 के क्रियान्वयन किए जाने पर, ओएमसी द्वारा पूरी ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत अप्लिकेशन एवं ड्रॉ की विधि को अपना लिया गया है, क्योंकि इससे हेहतर पारदर्शिता, निपुणता एवं गति प्राप्त की जा सकती है। पोर्टल का www.lpgvitarakchayan.in केवल योग्य उम्मीदवारों को ही आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करता है। योग्यता का आकलन उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में घोषित तत्वों पर आधारित होता है। ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन फील्ड वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेन्शियल्स (एफवीसी) के दौरान किया जाता है। चयनित उम्मीदवार के खिलाफ किसी शिकायत पर भी एफवीसी के दौरान कार्रवाई की जाती है। इस विधि के बारे में ब्रोशर में दिया गया है तथा यह आवेदन के फॉर्म में भी वर्णित है। यह उम्मीदवारों को भलीभांति ज्ञात है कि ड्रॉ में मात्र चयनित हो जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि उनको डिस्ट्रिब्युटरशिप अवश्य पुरस्कृत होगी।"

1.17 आंतरिक फील्ड निरीक्षण करने के मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आंतरिक वास्तविक निरीक्षण (एफवीसी) का उद्देश्य होता है कि आवेदनों चयनित उम्मीदवारों द्वारा दिए गए विवरणों एवं तदुपरांत प्रस्तुत दस्वेजों की सत्यता प्रमाणित की जा सके।

वास्तविक सत्यापन का कार्य संबंधित ओएमसी की दो-सदस्यीय समिति द्वारा चयनित उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित विषयों पर किया जाता है :

क) आयु का प्रमाण

ख) शैक्षणिक योग्यताओं का प्रमाण

ग) स्वामित्व/पट्टे के अधिकार से संबंधित भूमि-दस्तावेज।

घ) आरक्षण वर्ग, यदि प्रयोज्य हो तो।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा डीलर चयन दिशानिर्देशों में तीसरे पक्ष द्वारा किसी ऐसे वास्तविक निरीक्षण किए जाने का प्रावधान नहीं होता है।

एलपीजी से संबंधित

निर्धारित प्रणाली के अनुसार ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के उपरांत चयनित उम्मीदवारों का आंतरिक वास्तविक निरीक्षण (एफवीसी) किया जाता है। एफवीसी का कार्य एक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें आईओसी/बीपीसी/एचपीसी के राज्य एलपीजी/क्षेत्रीय/आंचलिक प्रमुख द्वारा मनोनीत एक अधिकारी होता है। जब आवश्यक शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित ओएमसी द्वारा प्राप्त करने के बाद ही, चयनित उम्मीदवार के एफवीसी को ग्रहण किया जाता है। एफवीसी के चलने के दौरान, उम्मीदवार को वहाँ उस्थित रहना पड़ता है। वास्तविक जाँच के दौरान, आवेदन में दी गई सूचना/विवरण को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के उनके मूल प्रति के साथ मिलान द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह सत्यापन (निरीक्षण) केवल संबंधित ओएमसी के अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसे

तीसरे पक्ष द्वारा नहीं किया जाता है। वर्तमान प्रणाली पारदर्शी है तथा संतोषप्रद प्रकार से कार्यरत है।"

1.18 पिछले तीन वर्षों के दौरान चार श्रेणियों में खुदरा बिक्री केन्द्र और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की औसत संख्या के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने नवंबर/दिसंबर 2018 में एक विज्ञापन जारी किया है और आवेदकों की संख्या निम्नानुसार है (पिछले तीन वर्षों में खुदरा ने केवल एक विज्ञापन 2018 में जारी किया था):

खुदरा - ओएमसीज़	**विज्ञापित स्थानों की संख्या (क)**	**आवेदकों की संख्या (ख)**	**आवेदकों की औसत संख्या (ग = ख/क)**
बीपीसी	21010	117501	5.6
आईओसी	37050	181791	4.9
एचपीसी	20329	103795	5.11
आईएनडी योग	**78389**	**403087**	**5.1**

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों (अप्रैल'18 से मार्च'21) के दौरान, ओएमसीज़ को प्रति एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर औसत आवेदकों की संख्या निम्नलिखित प्राप्त हुई है:

डिस्ट्रीब्यूटरशिप का प्रकार	कुल आवेदक	कुल लोकेशन	प्रति लोकेशन औसत आवेदन
शहरी वितरक एवं नगरीय वितरक	2987	55	54
ग्रामीण वितरक एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	8464	817	10

1.19 देश में विभिन्न एनओसी और लाइसेंस प्राप्त न होने के कारण पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्थापित नहीं हो पाने वाले / लंबित खुदरा बिक्री केंद्र / एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित कर रहे हैं जिसमें जिला मजिस्ट्रेट से एनओसी, एनएचएआई से राजमार्ग एक्सेस अनुमति, जहाँ भी आवश्यक हो और पीईएसओ से विस्फोटक लाइसेंस शामिल हैं।

विभिन्न एनओसी/लाइसेंसों की अस्वीकृति/प्राप्ति न होने के कारण पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में चालू नहीं किए जा सकने वाले स्थ/लों (खुदरा बिक्री केंद्रट) की संख्या को नीचे तालिका के अनुसार सारांशित किया गया है: -

	जिलाधिकारी द्वारा अस्वीकृत एनओसी की संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अस्वीकृत एनओसी की संख्या	पीईएसओ द्वारा अस्वीकृत लाइसेंस की संख्या	कुल अस्वीकृत अनुमोदन/लाइसेंस की संख्या

बीपीसीएल	35	20	2	57
एचपीसीएल	37	9	2	48
आईओसीएल	94	34	1	129
कुल	**166**	**63**	**5**	**234**

इसके अलावा, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के देश में विभिन्न एनओसी और लाइसेंस प्राप्त न करने के मामले ओएमसीज़ द्वारा अलग से दर्ज नहीं किए जाते हैं। ऐसे मामले कम होते हैं और ज्यादातर गोदाम/शोरूम के निर्माण से संबंधित आवेदक की ओर से गैर-अनुपालन के कारण होते हैं।"

1.20 पीईएसओ द्वारा आर.ओज़ और एलपीजी गोदामों के लिए स्वीकृत किये गए लाइसेंसों के बारे में पूछे जाने पर, पेसो ने गत चार वर्षों में स्वीकृत किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है जो कि **परिशिष्ट एक और दो** में दिया गया है।

1.21 यह पूछे जाने पर कि पेसो से स्वीकृतियां प्राप्त करने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, पेसो के प्रतिनिधि ने 13/07/21 को हुए मौखिक साक्ष्य में सूचित किया:

"2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया खत्म करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर्स और सर्किल पंचायत को दे दी है।"

1.22 आगे विस्तारपूर्वक बताते हुए, पेसो के प्रतिनिधि ने सूचित किया:

"पहले डीएम वाला सिस्टम इसलिए किया गया था कि डीएम एक सेंट्रल पाइंट होता है, वह सारी एजेंसी चाहे वह टाउन प्लानिंग हो, फायर हो,

लोकल बॉडीज हो, सबसे एनओसी लेकर हमें फाइनल इश्यू करता है लेकिन अनुभव में यह देखा गया कि इसमें काफी समय लगता है।

अगर डीएम तीन महीने में एनओसी नहीं देगा तो डीम्ड एनओसी मान लिया जाएगा। हमने यह प्रोविजन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को प्रपोज किया है।

डोर टू डोर डिलीवरी के लिए डीजल की परमिशन दी है और भी डिमांड एलपीजी, सीएनजी की है। हम सेफ्टी कन्सर्न को ध्यान में रखते हुए एग्जामिन करते हैं। हम शुरू में पायलट एप्रूव करते हैं, यदि यह सक्सैस हो जाता है फिर बड़े स्केल पर करते हैं। लाइसेंस का इंस्पेक्शन भी किया जाता है। यद्यपि स्टाफ की कमी है, हर इंस्टालेशन की इंस्पेक्शन नहीं की जा सकती, इसलिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का प्रोविजन भी रखा है ताकि रिनुअल के समय इंस्पेक्शन हो जाए। रैगुलरली इंस्पेक्शन का रोस्टर बना हुआ है, अफसर इसी के हिसाब से इंस्पेक्शन करते हैं। जो प्राब्लम्स आई हैं, इसके लिए हम लगातार स्टेक होल्डर्स से कंसलटेशन करते हैं। जब भी कोई रूल नोटिफाई करते हैं, उससे पहले स्टेक होल्डर्स से कंसलटेशन करते हैं। हम दावा आपत्ति देखते हैं और फिर रूल्स नोटिफाई करते हैं।

सारे लाइसेंस देने के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है कि किस प्रकार के लाइसेंस के रिनुअल के लिए कितना समय लगेगा। ऑनलाइन सिस्टम है इसलिए इसकी मॉनिटरिंग भी हो सकती है। हम इसे और देखेंगे ताकि शिकायत न आए।"

1.23 यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसी के पास ऐसी कोई प्रणाली है, जिसके द्वारा रिटेल आउटलेटों एवं एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों के आबंटन के क्रम में अपने

कर्मचारियों को आवेदन करने से रोका जा सके, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी प्रस्तुत की:

"आरओ से संबंधित

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी में चयन प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण है तथा चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के स्व-निर्णय अथवा इच्छानुसार निर्णय लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

आवेदनों की ऑन-लाइन प्राप्ति और केवल कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से चयन की प्रक्रिया के मद्देनजर, चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के स्व-निर्णय अथवा इच्छानुसार निर्णय लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त, आवेदन की जाँच, भूमि मूल्यांकन और वास्तविक सत्यापन का कार्य किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचने हेतु किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर, ओएमसी की संबंधित समितियों द्वारा किया जाता है। ये समितियाँ स्पष्ट चयन दिशानिर्देशों द्वारा प्रशासित होती हैं।

तेल विपणन कम्पनियों के कर्मचारियों (जो कि आवेदन के समय नियोजन में हों), उनके परिवारजन (बहु-डीलरशिप मानदंड के तहत परिभाषानुसार) आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

एलपीजी से संबंधित

तेल विपणन कम्पनियों के कर्मचारियों के परिवारजन (जीवनसंगी, आश्रित संतानें तथा अन्य कोई रक्त-संबंधित अथवा विवाह के कारण ओएमसी के कर्मचारी का आश्रित व्यक्ति), एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप के लिए आवेदन के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, चयन दिशानिर्देश, सार्वजनिक मंच यानि – ओएमसी की वेबसाइटों एवं पोर्टल www.lpgvitarakchayan.in पर उपलब्ध हैं, जहाँ साधारणजन इनको देख सकते हैं । ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत आवेदन

एवं ड्रॉ की प्रणाली को ओएमसी द्वारा बेहतर पारदर्शिता, निपुणता तथा गतिमान होने के कारण अपनाया गया है।"

1.24 खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के आवंटन में परिवार की परिभाषा के लिए मौजूदा मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"दिनाँक 24.11.2018 के ब्रोशर में निर्धारित मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक को अन्य मानदंडों के साथ खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के आवेदन/आवंटन के लिए एकाधिक डीलरशिप मानदंडों के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के आवंटन के लिए विवाहित आवेदक के मामले में परिभाषित एक 'पारिवारिक इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसका जीवनसाथी और अविवाहित पुत्र/पुत्री शामिल होंगे। अविवाहित व्यक्ति/आवेदक के मामले में, 'पारिवारिक इकाई' में संबंधित व्यक्ति, उसके माता-पिता और उसके अविवाहित भाई और अविवाहित बहन शामिल होंगे। तलाकशुदा के मामले में, 'पारिवारिक इकाई' में संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्री शामिल होंगी, जिनकी अभिरक्षा उसे दी गई है। विधवा/विधुर के मामले में, 'पारिवारिक इकाई' में खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए संबंधित व्यक्ति, अविवाहित पुत्र (पुत्रों)/अविवाहित पुत्रियों को शामिल किया जाएगा।

ध्यातव्य है कि परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को भी आवेदक (समूह -1) से संबंधित माना जाएगा, जो संबंधित परिवार के सदस्य (सदस्यों) से शपथ पत्र के रूप में सहमति पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। परिवार के सदस्यों को नीचे उद्धृत के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके:-

इस उद्देश्य के लिए परिवार में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) स्वयं

(ii) पति/पत्नी

(iii) सौतेले माता/सौतेले पिता सहित माता/पिता

(iV) भाइ/बहन/सौतेले भाई/सौतेली बहन

(V) पुत्र/पुत्री/सौतेले पुत्र/सौतेली पुत्री

(Vi) दामाद / बहू

(Vii) सास ससुर

(Viii) दादा दादी/नाना नानी"

1.25 ओएमसीज़ द्वारा डीलरों की 'ए' साइट भूमि पर कब्जा करने और डीलरों की 'बी' साइट भूमि को खाली करने में आनाकानी करने के बारे में एकाधिक डीलरशिप मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने बताया है कि एकाधिक डीलरशिप मानदंड (एमडीएन) और भूमि पट्टा (कब्जार या खाली करना) दो अलग अलग मुद्दे हैं। व्यक्तिगत आवेदकों (मालिक/साझेदार) के लिए **ए और बी** साइट डीलरशिप के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एमडीएन मानदंड निम्नवत हैं:

• आवेदक एमडीएन के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे और यदि एमडीएन मानदंड को पूरा नहीं करते हैं तो आवेदकों को डीलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र माना जाएगा।

• सभी आवेदकों को नीचे उल्लिखित कई डीलरशिप मानदंडों को पूरा करना होगा और मौजूदा और भविष्य के "ए"/"सीसी" साइट खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के लिए लागू होंगे।

• एकाधिक डीलरशिप मानदंडों का अर्थ है कि आवेदक या उसकी 'पारिवारिक इकाई' के पास किसी भी तेल कंपनी की "ए"/"सीसी" साइट खुदरा बिक्री केंद्र/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप/एलपीजी वितरक या आशय पत्र (एलओआई) नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा "बी" /"डीसी" साइट वाले खुदरा बिक्री केंद्र/एसकेओ-एलडीओ डीलर/ एलपीजी वितरक और एलओआई धारक 'पारिवारिक इकाई' सहित "बी"/ "डीसी" साइट खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1.26 मंत्रालय/ओएमसीज़ द्वारा देश में नए खुदरा बिक्री केंद्रों के विस्तार में किसी तरह की बाधा/चुनौती का सामना किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"प्रमुख शहरों/कस्बों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता और खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने के लिए वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करना संबंधी विस्तार में बाधा एवं चुनौतियां हैं, जिनके परिणामस्वरूप देरी होती है। ओएमसीज़ ने स्थानीय स्तर पर मुद्दों को हल करना जारी रखा है और ओएमसीज़ ने पिछले दो वर्षों में बड़ी संख्या में खुदरा बिक्री केंद्र चालू किए हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान ओएमसीज़-वार चालू किए गए नए खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या निम्नानुसार है :

चालू करने वाली ओएमसी	2019-20	2020-21
बीपीसी	1448	2444
एचपीसी	1194	2158
आईओसी	1400	3000
कुल ओएमसी	**4042**	**7602**

1.27 पिछले पाँच वर्षों में ऑटोमोबाइल की वृद्धि और दुपहिया, तिपहिया एवं चौपहिया योजना में जुड़ने वाले वाहनों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"यह विषय भूतल और परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। तथापि, जोड़े गए वाहनों की संख्या पर ओएमसीज़ द्वारा वेब/इंटरनेट से एकत्र किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
दुपहिया	16,455,851	17,589,738	20,200,117	21,179,847	17,417,616
तिपहिया वाहन	538,208	511,879	635,698	7,01,005	636,569
यात्री वाहन	2,789,208	3,047,582	3,288,581	3,377,389	2,773,575

वाणिज्यिक वाहन	685,704	714,082	856,916	10,07,311	717,688
सकल योग	**20,468,971**	**21,863,281**	**24,981,312**	**24,557,236**	**21,545,448**

स्रोत -
एसआईएएम"

1.28 देश में पिछले पाँच वर्षों के दौरान पेट्रोल (वैरिएंट में) और डीजल (वैरिएंट में) की कुल बिक्री के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"खुदरा बिक्री केंद्रो के माध्यम से पिछले पाँच वर्षों से पेट्रोल (वेरिएंट यानी ब्रांडेड ईंधन में) की टीएमटी में बिक्री नीचे दी गई है:

– टीएमटी में

सी	2015-16			2016-17			2017-18		
	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	स्पीड 97/ पावर 99	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	स्पीड 97/ पावर 99	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	स्पी 97, पाव 99
ी	5769	215	0	5940	443	1.7	6549	400	1.9
ोसी	9166	206	-	9433	598	-	10000	767	-
सी	5518	84	0	5790	188	0.01	6095	390	0.1

ल	20453	505	0.0	21163	1228	1.7	22644	1557

एमसी	2018-19			2019-20			2020-21		
	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	स्पीड 97/ पावर 99	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	स्पीड 97/ पावर 99	पेट्रोल एमएस	स्पीड /पावर/एक्सट्रा प्रीमियम	
ीसी	7130	267	1.8	7548	217	1.7	7042	138	1
ईओसी	10777	721	-	11312	715	-	10545	578	(
पीसी	6444	485	0.6	6673	578	0.8	6246	495	(
ग	24350	1472	2.3	25533	1510	2.5	23833	1211	2

पिछले पाँच वर्षों में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से डीजल की (वैरिएंट यानी ब्रांडेड ईंधन में) टीएमटी में बिक्री नीचे दी गई है:

बिक्री – टीएमटी में

ओएम सीज़	2015-16		2016-17		2017-18	
	डीजल	हाई-स्पीड	डीजल	हाई-स्पीड	डीजल	हाई-स्पीड

	(एचएसडी)	एचएसडी/ टर्बोजैट/एक्स्ट्रा माइल	(एचएसडी)	एचएसडी / टर्बोजैट/ एक्स्ट्रामाइल	(एचएसडी)	एचएसडी / टर्बोजैट/ एक्स्ट्रामाइल
बीपीसी	17947	3.0	17625	3.2	18617	3.1
आईओसी	28097	0.4	27895	2.1	29099	2.1
एचपीसी	15710	3.9	15619	4.9	16354	14.3
कुल	61754	7.3	61138	10.2	64070	19.5

ओएमसीज़	2018-19		2019-20		2020-21	
	डीजल (एचएसडी)	हाई-स्पीड एचएसडी/ टर्बोजैट/ एक्स्ट्रामाइल	डीजल (एचएसडी)	हाई-स्पीड एचएसडी/ टर्बोजैट/ एक्स्ट्रामाइल	डीजल (एचएसडी)	हाई-स्पीड एचएसडी/ टर्बोजैट/ एक्स्ट्रामाइल
बीपीसी	18881	2.3	18298	2.1	16399	1.1
आईओसी	29431	1.4	28499	0.7	25231	0.4
एचपीसी	16728	20.9	16373	31.1	14669	22.8

कुल	65040	24.6	63170	33.9	56299	24.3

1.29 खुदरा बिक्री केंद्रों की वृद्धि की गति को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वृद्धि की गति के बराबर रखे जाने के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान खोले गए खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान ईंधन की माँग को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केंद्रों का विस्तार करके ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विकास के साथ तालमेल बनाए रखा है।

(चालू किए खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या)

ओएमसी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
बीपीसी	550	465	355	1448	2444	5262
आईओसी	881	953	648	1400	3000	6882
एचपीसी	624	669	478	1194	2158	5123
कुल	2055	2087	1481	4042	7602	17267

चार. <u>स्थानों की पहचान</u>

<u>खुदरा बिक्री केंद्र</u>

1.30 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय विशेष रूप से नए राजमार्गों और उभरते शहरों में भूमि अधिग्रहण और लाइसेंस की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों को शामिल कर रहा है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"अभी एक विषय आया कि हाइवे पर हमारी कंपनी क्यों नहीं स्वयं लैंड ले रही हैं और एनएचएआई से क्यों नहीं एक मीटिंग की गई। माननीय सदस्यों ने एक अच्छा विषय मेरे ध्यान में भी ला दिए हैं। मैं स्वयं भी एनएचएआई के साथ बातचीत कर लूँगा। जहाँ हाइवे बनती है, उसमें कुछ जगह इसके लिए स्थान रखते हैं, जो उनका एक्वायर्ड लैंड है। लेकिन वे अधिकांश जगह नहीं रखते हैं, फिर उसके आसपास प्राइवेड लैंड एक्वायर करना होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है और कई बार लोकेशन भी इतनी उपयुक्त नहीं होती है। शायद यह बहुत अच्छा रहेगा कि हाइवे बनाते समय ही यह प्लानिंग कर ली जाए कि रिटेल आउटलेट्स कहाँ-कहाँ आने हैं। उसमें अन्य सुविधाएँ भी हो सकती हैं। इससे यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए हम एनएचएआई क साथ शीघ्र ही मीटिंग कर लेंगे। मैं मंत्रालय के सेक्रेटरी से भी बात कर लूँगा, ताकी इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था बन पाए। जितने भी नए हाइवेज़ हैं, उनमें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाए। यदि हमारी कंपनी को इनवेस्टमेंट भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे अच्छी सुविधा हो पाएगी।"

इस विषय पर आगे और विस्तार से बताया:

"एनएचएआई जो भी हाईवेज़ पीपीपी में बना रही है, उसमें उन्होंने 600 लोकेशंस आइडेंटिफाइड की हैं। 22 राज्यों में हर 50 से 60 किलोमीटर के बीच में एक वे साइड एमिनिटीज़ होगी। वे साइड एमिनिटीज़ में नार्मल फ्यूल स्टेशन तो होगा, फिर इलेक्टिर्क चार्जिंग फैसिलिटी, फूड कोर्ट्स, रिटेल शॉप्स, एटीएम, टॉयलेट्स, शॉवर, चिल्ड्रेन्स प्लेइंग एरिया, वगैरह और इस साल 120 ऐसे लोकेशंस की बिड आएगी। इसलिए, हर किसी को बोली लगानी है। यह पीपीपी मॉडल पर चल रहा है। आईओसीएल का भी इस बिडिंग प्रोसेस में टच है। कई जगह हमने बिड भी किया है, पर बिड डेट एक्सटेंड हुई है। यह बहुत बड़ा मॉडल बनेगा, जैसे आपने कहा कि एनएचएआई जो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसमें यह एक बहुत बड़ा मॉडल होगा। हम लोग इसमें पूरे फोकस्ड हैं। We will be taking part, ताकि हम लोग अपना मौका न गवां दें।"

1.31 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त करने के बारे में स्थानों की पहचान करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/एनएचएआई के साथ कोई बैठक आयोजित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय / एनएचएआई के बीच ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई है।"

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस विषय पर और विस्तार से बताते हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"अभी एक विषय आया कि हाइवे पर हमारी कंपनी क्यों नहीं स्वयं लैंड ले रही हैं और एनएचएआई से क्यों नहीं एक मीटिंग की गई। माननीय सदस्यों ने एक अच्छा विषय मेरे ध्यान में भी ला दिए हैं। मैं स्वयं भी एनएचएआई के साथ बातचीत कर लूँगा। जहाँ हाइवे बनती है, उसमें कुछ जगह इसके लिए स्थान रखते हैं, जो उनका एक्वायर्ड लैंड है। लेकिन वे अधिकांश जगह नहीं रखते हैं, फिर उसके आसपास प्राइवेट लैंड एक्वायर करना होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है और कई बार लोकेशन भी इतनी उपयुक्त नहीं होती है। शायद यह बहुत अच्छा रहेगा कि हाइवे बनाते समय ही यह प्लानिंग कर ली जाए कि रिटेल आउटलेट्स कहाँ-कहाँ आने हैं। उसमें अन्य सुविधाएँ भी हो सकती हैं। इससे यात्रियों को एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए हम एनएचएआई क साथ शीघ्र ही मीटिंग कर लेंगे। मैं मंत्रालय के सेक्रेटरी से भी बात कर लूँगा, ताकी इसमें कुछ न कुछ व्यवस्था बन पाए। जितने भी नए हाइवेज़ हैं, उनमें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाए। यदि हमारी कंपनी को इनवेस्टमेंट भी करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। इससे अच्छी सुविधा हो पाएगी।"

1.32 खुदरा बिक्री केंद्रों के विपणन और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए दो खुदरा बिक्री केंद्रों के बीच न्यूनतम निर्धारित दूरी के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"विपणन और वित्तीय (अर्थात वाणिज्यिक) व्यवहार्यता की दृष्टि से दो खुदरा बिक्री केंद्रों के बीच कोई न्यूनतम निर्धारित दूरी नहीं है।"

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1.33 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (शहरी वितरक रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक) की स्थापना के लिए स्थल की पहचान उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता, जो कि एलपीजी वितरकता के आर्थिक रूप से व्यवहार्य परिचालन को जारी रख सके, के आधार पर की जाती है। यह विशेष भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टताओं तथा इसके डेमोग्राफिक पहलू समाहित करनेवाले डाटा पर भी आधारित होगी। रिफिल बिक्री संभाव्यता विभिन्न तथ्यों यथा आबादी, आबादी विकास दर, स्थल की आर्थिक संपन्नता और विद्यमान निकटतम वितरक से दूरी पर आधारित होगी। जहां तक संभव हो, नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की योजना किसी विद्यमान बाज़ार या किसी नए बाज़ार के नए स्थल में की निम्नानुसार जाएगी।

I. नया बाज़ार - शहरी, रर्बन वितरक, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक

किसी नए बाज़ार में नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आयोजना होगी यदि परिचालन के दूसरे वर्ष में रिफिल (14.2 कि.ग्रा) बिक्री संभाव्यता की लागू अधिकतम सीमा की 50% हो।

एक नए बाज़ार में, दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) की आयोजना किसी गांव के ऐसे क्षेत्र में (या गांवों के समूह के क्षेत्र (जो किसी विद्यमान एलपीजी वितरक परिचालन क्षेत्र में नहीं आता है) में होगी यदि गांव/गांवों के समूह में रिफिल बिक्री की संभाव्यता 600 प्रति माह हो।

II. मौजूदा बाज़ार

मौजूदा बाज़ार के लिए, रिफील अधिकतम सीमा और संभाव्य मानदंड विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर क्षेत्र हेतु निम्नानुसार हैं:

वितरकता क्षेत्र का प्रकार	**2011 की जनगणना के अनुसार आबादी**	**रिफिल अधिकतम सीमा प्रति माह**	**संभाव्यता सीमा हेतु रिफिल बिक्री प्रति माह**
शहरी वितरक	शहरी आबादी >40 लाख	20,000	10,000
	शहरी आबादी 20 से 40 लाख	15,000	7,500
	शहरी आबादी 10 से 20 लाख	12,000	6,000
रर्बन वितरक	कस्बा < आबादी 10 लाख	10,000	5,000
ग्रामीण वितरक	गांव/गावों का समूह	5000	2500
दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	गांव/गावों का समूह	1500	600

वर्तमान बाज़ार में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पुनर्संरचना यथा, शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक की

आयोजना तभी होगी जब रिफिल बिक्री बाज़ार की रिफिल अधिकतम सीमा के 50% से ज्यादा होगी।

नोट:

I. ऊपर दी हुई परिभाषा के अनुसार, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए रिफिल की प्रस्तावित अधिकतम सीमा सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर लागू होगी। तथापि, उपर्युक्त नीति बनने से पहले विज्ञापित सभी लोकेशनों के लिए, पुनर्गठन की प्रक्रिया संशोधन पूर्व अधिकतम सीमा हेगी।

II. वर्तमान में जिन ग्रामीण वितरकों की रिफिल अधिकतम सीमा प्रतिमाह 8800 है, उन्हें उक्त नीति के अनुसार तय हुई अधिकतम सीमा संबंधी मानदंड लागू कर उनका पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

III. वर्तमान में जिन आरजीजीएलवी वितरकों की मासिक रिफिल बिक्री 1500 से अधिक है, उन्हें इस नीति के अनुसार ग्रामीण वितरक माना जाएगा तथा उनके लिए होम डिलिवरी सुविधा देना अनिवार्य होगा।

IV. वर्तमान में जिन आरजीजीएलवी वितरकों की मासिक रिफिल बिक्री 1500 से कम है, उन्हें इस नीति के अनुसार दुर्गम क्षेत्रीय वितरक माना जाएगा और उनके लिए होम डिलिवरी सुविधा देना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, यदि और जब, उनकी मासिक रिफिल बिक्री1500 से अधिक हो जाएगी, तब उन्हें इस नीति के अनुसार ग्रामीण वितरक माना जाएगा तथा उनके लिए होम डिलिवरी सुविधा देना अनिवार्य होगा।

V. आरजीजीएलवी के अंतर्गत वर्तमान वितरक चयन नीति को, इस नीति में शामिल कर लिया गया है।

VI. जिन दुर्गम क्षेत्रीय वितरकों की रिफिल बिक्री प्रतिमाह 1500 से अधिक हो। जब उनकी अधिकतम सीमा 5000 प्रति माह होगी तब उन्हें ग्रामीण

वितरक माना जाएगा एवं उन्हें रिफिल की होम डिलीवरी देना अनिवार्य होगा।

VII. राज्य सरकार के अधीन एजेंसियों को दुर्गम क्षेत्रों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन सीधे किया जाएगा।

व्यवहार्यता जाँच को, उद्ययोग आधार पर 'व्यवहार्यता जाँच प्रारूप' के तहत करवाना जारी रहेगा तथा असम्मिलित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा सकेगा।

पाँच. <u>दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स</u>

1.34 यह पूछे जाने पर कि दूर-दराज के क्षेत्रों में आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने में तेल विपणन कंपनियों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

<u>"आरओ से संबंधित</u>

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट की स्थापना करते समय निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ता है:

- रसद मुद्दों के साथ कठिन इलाके
- उच्च बुनियादी ढांचे और रखरखाव की लागत
- निवेश पर कम रिटर्न (आरओआई)

•पहाड़ी और पहाड़ी इलाकों के विशेष संदर्भ में स्थलों की कम उपलब्धता

<u>एलपीजी से संबंधित :</u>

एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने में कोई समस्या नहीं है और कमीशनिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से निपटाया जा रहा है।"

1.35 यह पूछे जाने पर कि क्या ऐसे क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य की तुलना में वर्तमान स्थिति क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एमओपी एंड एनजी अधिसूचना दिनांक 8.11.2019 के अनुसार, सभी तेल कंपनियों/संस्थाओं को अधिसूचना की तारीख से नए रिटेल आउटलेट के अनुपात में दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने 5% रिटेल आउटलेट स्थापित करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी वार दूरस्थ क्षेत्रों में 2019-20 के दौरान आरओ के चालू होने का विवरण नीचे दिया गया है:

ओएमसी	**प्रारम्भ किए गए कुल आरओ**	**दूरस्थ इलाकों में प्रारम्भ आरओ**	**प्रतिशत**
आईओसी	1400	113	8.1

बीपीसी	1447	95	6.6
एचपीसी	1194	58	4.9
कुल	4041	266	6.6

<u>एलपीजी से संबंधित -</u>

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विभिन्न प्रारूपों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। 01.05.2020 को एलपीजी वितरकों के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत विज्ञापित स्थानों की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट-तीन** में दी गई है।"

1.36 यह पूछे जाने पर कि क्या वहां नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है या कुछ छूट प्रदान की जाती है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

<u>"आरओ से संबंधित</u>

लागू नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

<u>एलपीजी से संबंधित -</u>

पूरे देश में सभी दिशा-निर्देशों का समान रूप से पालन किया जा रहा है। हालांकि, पात्रता मानदंड, गोदाम के लिए भूमि और विभिन्न प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए सुरक्षा जमा में कुछ भिन्नताएं हैं।"

1.37 ओएमसी द्वारा विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में 5 किलो सिलिंडर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"2019-20 के दौरान, तेल विपणन कंपनियों ने विशेष रूप से पीएमयूवाई ग्राहकों के बीच 5 किलो के सिलिंडर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है क्योंकि 5 किलो सिलिंडर की अग्रिम लागत 14.2 किलो सिलिंडर की तुलना में कम है। ओएमसी ने बाजार में 5 किलो के सिलिंडर की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।"

तेल विपणन कंपनियों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरकों के लिए उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित की है।

तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों में 5 किलोग्राम सिलिंडर की पर्याप्त बॉटलिंग सुनिश्चित की है ताकि एलपीजी वितरकों में 5 किलोग्राम सिलिंडर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इन सभी प्रयासों के कारण, तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू 5 किलो सिलिंडर की कुल बिक्री 2018-19 के दौरान सिर्फ 11.4 लाख सिलिंडर की तुलना में 2019-20 के दौरान बढ़कर 44.8 लाख सिलिंडर हो गई।

1.38 पहाड़ी इलाकों में एलपीजी की पहुंच में सुधार के लिए ओएमसी द्वारा कोई कदम उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"पहाड़ी इलाकों में एलपीजी की पहुंच में सुधार करने के लिए जहां ग्रामीण और रर्बन वितरक की स्थापना संभव नहीं है, ओएमसी, पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गआ एकीकृत चयन दिशा निर्देशों के तहत ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) नामक छोटे प्रारूप एलपीजी वितरकों की स्थापना कर रहे हैं।"

1.39 पहाड़ी क्षेत्र में ईंधन टैंकरों के परिवहन और उनकी क्षमता के संबंध में ओएमसी के निविदा प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"<u>आरओ से संबंधित</u>

पहाड़ी क्षेत्र में टैंक लॉरियों के माध्यम से ईंधन के परिवहन के लिए ओएमसी के पास एक अलग निविदा प्रणाली है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, परिवहन ठेकेदारों से 12 केएल से कम क्षमता की टैंक लॉरियों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए 12 केएल से अधिक क्षमता की टैंक लॉरी शामिल की जाती हैं।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

तेल विपणन कंपनियां पहाड़ी क्षेत्रों में ईंधन टैंकरों का परिवहन और उनकी क्षमता के लिए समान निविदा प्रणाली का पालन करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए छोटी क्षमता के टैंकर जैसे 7 एमटी या 12 एमटी के लिए निविदाएं दी जाती हैं।

1.40 ओएमसी द्वारा ट्रांसपोर्टर पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक भार नहीं उठाना सुनिश्चित करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत: बताया:

"सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करते हैं कि ट्रांसपोर्टर पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक भार न उठाएं। आरटीओ द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट, विस्फोटक विभाग द्वारा जारी पीईएसओ लाइसेंस और लीगल मेट्रोलॉजी द्वारा जारी कैलिब्रेशन चार्ट को अनिवार्य रूप से सिस्टम में रखा जाता है। ये सभी प्रमाण पत्र टैंक लॉरी की वहन क्षमता पर आधारित हैं।"

1.41 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि उत्तराखंड राज्य में, कुमाऊं मंडल विकास निगम, (केएमवीएन) को कुमाऊं क्षेत्र में एलपीजी वितरण अधिकार दिया गया:

"वर्तमान में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) द्वारा 48 एलपीजी वितरक चलाए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) उत्तराखंड राज्य सरकार का एक उद्यम है। पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में कोई निजी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं थी और पहाड़ियों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवश्यक अधिक मात्रा में निवेश और पहाड़ी क्षेत्र में एलपीजी सुविधा प्रदान करने के कारण, सरकार के निर्देशों के अनुसार केएमवीएन को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की गई थी।"

गढ़वाल क्षेत्र में:

"...वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) द्वारा 32 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाए जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) उत्तराखंड राज्य सरकार का एक उद्यम है।"

1.42 ओएमसी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी डीलरशिप का घनत्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत: बताया:

"ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कोई कमी नहीं है। एकीकृत चयन दिशानिर्देश, 2016 के तहत विज्ञापन में, 97% से अधिक स्थानों को ग्रामीण और कठिन और विशेष क्षेत्रों (जैसे पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्र, जनजातीय निवास क्षेत्र, कम आबादी वाले, अशांत क्षेत्र, द्वीप समूह, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र में विज्ञापित किया गया है)। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक) की स्थापना के लिए नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थानों की पहचान उपलब्ध रिफिल बिक्री क्षमता (14.2 किलोग्राम सिलिंडर के लिए) के आधार पर की जाती है जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन को बनाए रख सकते हैं।"

छह. रिटेल आउटलेट और एलपीजी वितरकों के आवंटन में आरक्षण नीति

1.43 आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त मानदंड के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा अंतिम रूप दिए गए स्थानों को आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के तहत 200 प्वाइंट रोस्टर के तहत रखा गया है ताकि अनुसूचित जाति / अनुसूचित

जनजाति सहित प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण के प्रतिशत का पालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित ओएमसी की तीन सदस्यीय समिति द्वारा आयोजित ड्रा के आधार पर रोस्टर नंबरों को स्थान आवंटित किए जाते हैं ।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश,2016 में निर्धारित आरक्षण मानदंडों के अनुरूप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए अंतिम स्थानों को 200 पॉइंट रोस्टर (संयुक्त रूप से तीन ओएमसी अर्थात आईओसी, बीपीसी और एचपीसी के लिए) के अनुसार आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के तहत रखा गया है। प्रत्येक राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर) के लिए, तीन 200 पॉइंट रोस्टर तैयार किए जाते हैं - एक शहरी वितरक और रर्बन वितरक के लिए; एक ग्रामीण वितरक के लिए और एक दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए। '200-पॉइंटरोस्टर' में, अनुक्रमांक के विरुद्ध आरक्षण श्रेणी का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि जब एलपीजी वितरकों के सभी 200 नंबरों की योजना बनाई जाती है, तो प्रत्येक श्रेणी के आरक्षण का प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो जाता है। '200 पॉइंट रोस्टर' में निरंतरता बनाए रखी जाती है।"

1.44 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरओ के आवेदकों को भूमि आवंटन के लिए कोई मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी ने कहा है कि मई 2014 से विज्ञापित स्थान में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों सहित सभी आवेदकों के लिए एक पात्रता मानदंड उपलब्ध है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी आवेदकों को पात्र होने के लिए विज्ञापित स्थान में उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।"

1.45 मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में आरओ डीलरशिप के आरक्षित वर्ग के आवेदकों की भूमि तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"**<u>आरओ से संबंधित</u>**-

विज्ञापित स्थान में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता मई 2014 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों सहित सभी आवेदकों के लिए एक पात्रता मानदंड है। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी आवेदकों को पात्र होने के लिए विज्ञापित स्थान पर उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

तथापि, एमओपीएनजी ने मई 2014 से पहले के विज्ञापनों से संबंधित लंबित एलओआई धारकों को ओएमसी के मौजूदा अस्थायी कोको आरओ के विनिवेश के लिए एक नीति को मंजूरी दी है और जो कॉर्पस फंड योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। एमओपीएनजी ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे लंबित कॉर्पस फंड एलओआई धारकों के लिए भूमि आवंटित करने के लिए पत्र लिखा है।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

वर्तमान में अजा/अजजा एलओआई धारकों के लिए बैंक की मध्यस्थता वाली वित्तीय सहायता योजना को कॉर्पस फंड योजना के अनुरूप बदल दिया गया है। ओएमसी को भूमि/गोदाम/शोरूम खरीदने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी और निजी भूमि की खरीद लंबी और जटिल थी जिससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ करने में विलंब हुआ था। नई योजना के कार्यान्वयन के बाद से ओएमसी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा शोरूम/गोदाम के लिए भूमि प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं अंतः डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू कर दी गई है।"

1.46 चयन के लिए पात्र आवेदक को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के शहरी वितरक, रर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु निम्नलिखित योग्यता मानदंड को पूरा करना होगाः

(क) भारतीय नागरिक हो और भारत का निवासी हो।

(ख) मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम Xवीं या समकक्ष उत्तीर्ण हो, शिक्षा पात्रता का मानदंड स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) वर्ग के उम्मीदवार पर लागू नहीं है।

(ग) सभी वर्ग हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि पर आयु 21 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो।

(घ) एफएफ वर्ग के लिए आरक्षित लोकेशनों हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है।

(ड.) आवेदन की तारीख को तेल विपणन कंपनियों के कर्मचारी का पारिवारिक सदस्य न हो।

(च) एकाधिक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप मानदण्डों को पूरा करता हो।

(छ) किसी भी तेल कंपनी में गलत व्यवहार/मिलावट के साबित हो चुके मामले में निष्कासित किये गये डिस्ट्रिब्यूटरशिप/ डीलरशिप करार के हस्ताक्षरकर्ता न हो या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के पक्ष में डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप अंतरण करने हेतु पीएसयू तेल कंपनी की डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एकल स्वमित्व से त्यागपत्र न दिया हो जैसा कि डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर चयन मार्गदर्शिका में परिभाषित किया गया है।

(ज) एलपीजी गोदाम बनाने हेतु नीचे विनिर्दिष्ट निम्नतम परिमाप भूखंड का "स्वामी" हो या विज्ञापन में या शुद्धि-पत्र (यदि कोई हो) में विनिर्दिष्ट के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर तैयार एलपीजी सिलिण्डर स्टोरेज गोदाम का/की मालिक हो।

सिलिन्डरों में एलपीजी स्टोर करने हेतु आवश्यक एलपीजी गोदाम की निम्नतम क्षमता (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित एवं लाइसेंसी कृत) नीचे दी गई है:

I. शहरी वितरक एवं रर्बन वितरक हेतु उम्मीदवार के पास 8000 कि.ग्रा. एलपीजी के भंडारण हेतु 'स्वयं' का 25 मीटरX30 मीटर परिमाप की जमीन का प्लॉट शहर में या उसी राज्य में प्रस्तावित लोकेशन के नगरपालिका शहरी गाँव की सीमा के 15 किमी के अंदर होना चाहिए।

II. ग्रामीण वितरक हेतु उम्मीदवार के पास न्यूनतम 5000 किग्रा एलपीजी के भंडारण हेतु 'स्वयं' की 21 मीटर X 26 मीटर परिमाप की जमीन का प्लॉट विज्ञापित लोकेशन से अंदर होना चाहिए।

III. दुर्गम क्षेत्रीय वितरक हेतु उम्मीदवार के पास न्यूनतम 3000 किग्रा एलपीजी के भंडारण हेतु 'स्वयं' की 15X16 मीटर परिमाप की जमीन का प्लॉट विज्ञापित लोकेशन के अनुसार गांव/गांवों के समूह की सीमा के अंदर होना चाहिए।

IV शोरूम की आवश्यकता सिर्फ शहरी वितरक, रर्बन वितरक और ग्रामीण वितरक के लिए है। आवेदक के पास विज्ञापित लोकेशन में शोरूम बनाने हेतु न्यूनतम 3 मीटर X 4.5 मीटर की उचित दुकान/ भूमि होनी चाहिए।

1.47 ओएमसी द्वारा आरओ एवं एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिप के आबंटन के क्रम में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन से संबंधित विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत: बताया:

"आरओ से संबंधित -

रिटेल आउटलेट डीलरशिपों से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी की वर्तमान आरक्षण नीति निम्नानुसार है:-

सभी राज्यों, केवल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एवं मिज़ोराम के अलावा, के लिए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निम्नानुसार है:-

वर्ग	अजा/अजजा	अपिव	खुला	कुल
संयुक्त वर्ग 1 (सीसी1) के तहत -	2	2	4	8
(i) सैन्य-कर्मी बल तथा (ii) अर्ध सैन्य-कर्मी/केन्द्रीय/राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों के उपक्रमों के कर्मचारीवृंद	अजा/अजजा	अपिव	खुला	कुल

वर्ग				
<u>संयुक्त वर्ग 2 (सीसी2) के तहत -</u> (i) उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) तथा (ii) स्वतंत्रता सेनानी (एफएप)	0	0	1	1
वर्ग	**अजा/अजजा**	**अपिव**	**खुला**	**कुल**
शारीरिक विकलांग (पीएच)	1	1	1	3
अजा/अजजा	**19.50**			**19.50**
अपिव		**24**		**24**
खुला			**44.50**	**44.50**
कुल	**22.50**	**27**	**50.50**	**100**

"प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा, प्रत्येक राज्य के अनुसार, नियमित एवं ग्रामीम आरओ से संबंधित "200 पॉइंट रोस्टर" रखा जाता है। रोस्टर में उपरोक्त आरक्षण % प्रत्येक वर्ग के तहत रखा जाता है। अजा एवं जजा के बीच वितरण प्रत्येक राज्य में वहाँ के अजा / अजजा के अनुपात के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एवं मिज़ोराम में अजजा की जनसंख्या के मद्देनजर, इन राज्यों में आरक्षण निम्नानुसार है:-

राज्य	अजजा वर्ग को पुरस्कृत नियमित एवं ग्रामीम आरओ डीलरशिपों का प्रतिशत	'खुला' वर्ग में पुरस्कृत शेष प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नागालैंड	80	20
मिज़ोराम	90	10

एलपीजी से संबंधित –

राष्ट्र भर के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण के बारे में "एलपीजी, 2016 के चयन हेतु संयुक्त दिशानिर्देश", 2016। सभी राज्यों, केवल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मिज़ोराम के अलावा, के लिए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निम्नानुसार है:-

क	अनारक्षित वर्ग (ओ)	50.5%
ख	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजातियाँ (अजा/अजजा)	22.5%
ग	अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)	27.0%

आरक्षण के उपरोक्त प्रत्येक वर्गों में, निम्नानुसार उप-वर्ग हैं :-

उप-वर्ग	आरक्षण वर्ग (% में)			
	अजा/अजजा	अपिव	खुला	कुल
सरकारी कार्मिक वर्ग (जीपी)	2	2	4	8
दिवांग / शारीरिक विकलांग कार्मिक (पीएच)	1	1	1	3
संयुक्त वर्ग (सीसी)	0	0	1	1
महिलाएँ	7	9	17	33
मुख्य वर्ग के लिए आरक्षित - प्रति वर्ग से कोई भी व्यक्ति	12.5	15	27.5	55
कुल	22.5	27	50.5	100

सैन्य कार्मिक केवल सरकारी पी वर्ग (जीपी) के तहत ही आवेदन कर सकते हैं। सैन्य कार्मिकों के तहत, सेनाओं (जैसे कि – सेना, वायु सेना एवं नौसेना) में आधिकारिक कार्य के निष्पादन के कारण से प्रभावित, आधिकारिक कार्य पर नियुक्ति के कारण स्वर्गवासी हुए सैन्य कर्मियों की विधवा/आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिक हैं।

सभी राज्यों, केवल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड एवं मिज़ोराम के अलावा, के लिए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निम्नानुसार है:-

राज्य	अजजा वर्ग को पुरस्करण हेतु एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों के सभी प्रकार के आरक्षण का प्रतिशत	महिला वर्ग हेतु प्रतिशत	खुले वर्ग में पुरस्करण हेतु शेष प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	49	30	21
मेघालय	56	30	14
नागालैंड	56	30	14
मिज़ोराम	63	30	7

1.48 रिटेल आउटलेट डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटरश की कुल संख्या में आरक्षित वर्ग के गैर-निष्पादित डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या का विवरण जिन्होंने अधिकतम सीमा से कम मात्रा में बिक्री की है के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित -

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी-वार गैर-निष्पादित रिटेल आउटलेटों का विवरण निम्नानुसार है:

	वर्ग				
ओएमसी	अजा	अजजा	अपिव	ओआरएस	कुल

आईओसी	129	37	4	653	823
बीपीसी	67	33	12	434	546
एचपीसी	183	108	111	973	1375
कुल	**379**	**178**	**127**	**2060**	**2744**

एलपीजी से संबंधित

अधिकतम सीमा से नीचे संचालित एलपीजी वितरक गैर-निष्पादन का मापदंड नहीं है।"

1.49 आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर गैर-निष्पादित डीलरशिप के निर्धारण में मानदंड के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी का कथन है कि पिछले छः महीने के दौरान आरओ डीलरशिप से औसत बिक्री को आरओ के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए विचार किया जाता है।

तदनुसार, <30 केएलपीएम बेचने वाले नियमित आरओ और 12 केएलपीएम बेचने वाले ग्रामीण आरओ, जो बंद नहीं हुए है, अपितु इसे गैर-निष्पादित डीलरशिप के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एलपीजी से संबंधित

ग्राहक सेवा को बनाए रखने के लिए जारी किए गए विभिन्न मापदंडों/निर्देशों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। मापने योग्य एक टीडीटी (लक्षित

समय वितरण) रेटिंग व्यवस्था उपलब्ध है, जो वितरक द्वारा बुकिंग के बाद एक रिफिल सौंपने में लगने वाले समय पर आधारित है। यह रेटिंग निम्नानुसार है:

5 स्टार = 85% डिलीवरी< =2 दिन में 'उत्कृष्ट'

4 स्टार = 85% डिलीवरी< =4 दिन में 'उत्तम'

3 स्टार = 85% डिलीवरी<= 6 दिन में समान्य'

2 स्टार = 85% डिलीवरी<= 8 दिन में 'समान्य से नीचे'

1 स्टार = 15% डिलीवरी> 8 दिन में 'निकृष्ट'"

1.50 आरक्षित श्रेणी के डीलरों और वितरकों की संख्या का डेटा जिन्होंने क्रमशः आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बंद कर दी है।

"आरओ से संबंधित

पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्तीफा देने वाले आरक्षित वर्ग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी-वार आरओ डीलरशिप की संख्या नीचे दी गई है:

ओएमसी	वर्ग				
	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	कुल इस्तीफा
आईओसी	1	0	0	3	4
बीपीसी	1	0	0	12	13
एचपीसी	1	0	0	3	4

कुल	3	0	0	18	21

रिटेल आउटलेट डीलरशिप एक व्यावसायिक प्रस्ताव है जो किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह सभी संबद्धित जोखिमों को वहन करता है। ओएमसी डीलरों को अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए सर्वोत्तम ग्राहक प्रथाओं और व्यावसायिक आग्रह प्रयासों पर डीलरों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ डीलरों को वित्तीय ऋण, व्यक्तिगत/पारिवारिक मुद्दों, व्यवसाय की गतिशीलता में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्न कारणों से अपने व्यवसाय को बनाए रखना मुश्किल लगता है।

खराब बिक्री प्रदर्शन वाले डीलरों को भी सलाह दी जाती है और संबंधित ओएमसी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आरओ साइट को आरंभ करने और संचालित करने की अनुमति देने के लिए ' हॉलिडे स्कीम' के तहत एक अवसर दिया जाता है, ताकि डीलर को आरओ के खराब प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को हल करने और उसके बाद आरओ के संचालन को वापस लेने के लिए भरपूर समय मिल सके।

यदि आरओ डीलर अभी भी इस्तीफा देने का निर्णय करता है, तो इस्तीफा स्वीकार करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीलर को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

पिछले 3 वर्षों में व्यवहार्यता कारणों से किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति डीलर ने इस्तीफा नहीं दिया है न ही परिचालन बंद किया है।"

सात. <u>कॉर्पस फंड योजना</u>

1.51 आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संबंध में अजा, अजजा और अपिव वर्ग के लिए कॉर्पस फंड योजना से संबंधित विवरण प्रदान करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी द्वारा आरओ डीलरशिप के रूप में प्रदान करने पर कॉर्पस फंड योजना के तहत वित्तीय सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है।:

क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थानों के संबंध में, तेल कंपनी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित और कंपनी द्वारा खरीदी गई भूमि पर अपनी लागत से आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार रिटेल आउटलेट उपलब्ध कराएगी और कंपनी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर खरीदी जाएगी ।

ख) तेल कंपनी डीलरशिप के संचालन के पूर्ण संचालन चक्र (7 दिनों की बिक्री मात्रा के बराबर) के लिए पर्याप्त कार्यशील पूँजी सहायता/ऋण भी प्रदान करेगी। दोनों कार्यशील पूँजी राशि के साथ-साथ ब्याज @ एसबीआई एमसीएलआर (निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर)) + 1% ब्याज प्रति वर्ष या 11% वार्षिक, जो भी कम है, उस पर डीलरशिप के चालू होने के 13वें महीने से शुरू होने वाली 100 मासिक किश्तों में वसूला जाएगा।

ग) एमएस और एचएसडी प्रत्येक के लिए अधिकतम 18 केएल के लिए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान की जाती है। एमएस और एचएसडी के लिए पात्रता की गणना अलग-अलग की जाती है।

घ) प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को एसबीआई एमसीएलआर (1-वर्षीय एमसीएलआर) के आधार पर, बकाया ऋण राशि के लिए कॉर्पस फंड ऋण के लिए ब्याज दर को संशोधित किया जाता है.

ड.) कमीशनिंग के समय प्रदान की गई प्रारंभिक कार्यशील पूंजी सहायता/ऋण की वृद्धि बिक्री में वृद्धि और कुछ शर्तों के अधीन अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के कारण कमीशनिंग के बाद दो से चार वर्षों के बीच अतिरिक्त ऋण के माध्यम से किया जा सकता है।

हालांकि, अपिव वर्ग के आवेदकों के लिए कोई कॉर्पस फंड योजना नहीं दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी ने कहा है कि साइट के प्रकार के आधार पर, प्रत्येक प्रकार की सुविधा के मुकाबले वितरक (जैसा कि निगम द्वारा निर्दिष्ट है) /निगम द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत सभी स्थानों को अनिवार्य रूप से सीएफएस लोकेशनों के रूप में विज्ञापित किया जा रहा है, उन्हें 'ए'/सीसी साइटों के रूप में विकसित भी किया गया है।हालांकि अपिव स्थानों को आरओ साइट के प्रकार के आधार पर ए/सीसी या बी/डीसी साइट के रूप में विकसित किया जाता है जिसके तहत उनका विज्ञापन किया जाता है।

क्र.सं.	सुविधाओं के प्रकार	साइट के प्रकार	
		"ए" / "सीसी" साइट सीएफएस स्थानों के सहित	"बी" / "डीसी" साइट / कंपनी लीज्ड साइट
		सुविधा का प्रावधान:	
क	**मूलभूत सुविधाएँ:**		
i.	सीमा निर्धारित विकसित भूमि / निगम की विशिष्टता के अनुसार परिसर की दीवार	डीलर	डीलर
ii.	टैंक, वितरण इकाइयाँ, साइनेज, स्वचालन, आदि।	कॉर्पोरेशन	कॉर्पोरेशन
iii.	बिक्री कार्यालय, गोदाम, शौचालय, विद्युत कक्ष,जल कनेक्शन, यार्ड लाइटिंग, आदि।	कॉर्पोरेशन	डीलर

iv.	जेनेरेटर / इन्वर्टर	डीलर	डीलर
v.	एयर फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेज के साथ कंप्रेसर (ओएमसी द्वारा निर्धारित)	कॉर्पोरेशन/ डीलर	डीलर
vi.	प्रवेश-मार्ग	कॉर्पोरेशन	डीलर
vii.	कैनोपी (कॉर्पोरेशन की आवश्यकता के अनुसार)	कॉर्पोरेशन	डीलर
ख	ग्राहकों के लिए उपयुक्त सुविधाएँ:		
i.	स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथर शौचालय, टेलीफोन आदि का रखरखाव।	डीलर	डीलर

एलपीजी से संबंधित

वर्तमान में अजा/अजजा एलओआई धारकों के लिए बैंक की मध्यस्थता वाली वित्तीय सहायता योजना को कॉर्पस फंड योजना के अनुरूप बदल दिया गया है। यह योजना तब से शुरू की गई है जब ओएमसी को भूमि/गोदाम/शोरूम खरीदना कठिन लगा क्योंकि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी और निजी भूमि की खरीद लंबी और बोझिल थी जिससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने में विलंब

हुई। वर्तमान में ओएमसी द्वारा अजा, अजजा और अपिव वितरकों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंधित आरक्षित स्थान के लिए चयनित उम्मीदवार के पास निम्नलिखित वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने का विकल्प है:

1.52 आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदकों द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज प्रदान किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

<u>आरओ से संबंधित -</u>

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा सभी श्रेणियों के आरओ डीलरशिप से सुरक्षा राशि ली जाती है। यह त्यागपत्र/समाप्ति के समय बिना किसी ब्याज के वापसी योग्य है। यह राशि मुख्य रूप से डीलर द्वारा इस्तीफे या समाप्ति के मामले में ओएमसी के लिए किसी भी बकाया को समायोजित करने के लिए लिया जाता है। तथापि, किसी भी तरह की मिलावट/कदाचार सिद्ध होने पर अगर डीलरशिप की समाप्ति हो जाती है तब,जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।

आरओ डीलर के चयन के लिए विवरण में दी गई जानकारी के अनुसार डीलर और संबंधित ओएमसी के बीच निष्पादित डीलरशिप समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।

<u>एलपीजी से संबंधित -</u>

चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले संबंधित ओएमसी को ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। ओएमसी, आगे नए कनेक्शन/डीबीसी जारी करने के लिए वितरकों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के उपकरण, यानी सिलिंडर और प्रैशर रेग्यूलेटर जारी करती है। इसके अलावा वितरक हमेशा उन उपकरणों की इन्वेंट्री भी रखते हैं जो वितरकों को निशुल्क जारी किए जाते हैं। ओएमसी के पास त्यागपत्र/समाप्ति के समय सुरक्षा जमा राशि में से किसी भी बकाया राशि को समायोजित करने का अधिकार है। तथापि, किसी भी तरह के प्रमाणित कदाचार के कारण डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त होने की स्थिति में उक्त सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जाता है।

1.53 मंत्रालय/ओएमसीज़ द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों पर ऑटो ईंधन की कम बिक्री के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा श्रेणियों से संबंधित डीलरों के हितों की रक्षा के लिए कोई तंत्र तैयार किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीलरशिप की पेशकश विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और सभी संभावित आवेदक व्यवसाय प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए डीलर बनना चाहते हैं। प्रत्येक डीलर की व्यावसायिक व्यवहार्यता विपणन के प्रयास, खुदरा बिक्री केंद्र के प्रबंधन और अन्य कारकों पर निर्भर करती है।

खुदरा बिक्री केंद्रों पर ऑटो ईंधन की कम बिक्री के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा श्रेणियों सहित किसी भी श्रेणी के डीलरों की सुरक्षा के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं हैं।

तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार, एससी/एसटी डीलरशिप को ओएमसीज़ द्वारा व्यावसायिक उद्यम में समर्थन देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण और पूरी तरह से विकसित खुदरा बिक्री केंद्र दिया जाता है।"

शहरी वितरक, अर्ध शहरी वितरक और ग्रामीण वितरक के लिए

1.1 तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को एलपीजी गोदाम, शोरूम और एलपीजी सिलिंडर वितरण अवसंरचना प्रदान करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करती हैं। (दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए एलपीजी सिलिंडर वितरण अवसंरचना लागू नहीं है)।इस संबंध में, यदि बैंकों को उपरोक्त सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उम्मीदवार द्वारा निवेश की जाने वाली किसी भी मार्जिन राशि की आवश्यकता होती है, तो ओएमसी ऐसी मार्जिन राशि के लिए एक सुरक्षित ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि मार्जिन राशि शहरी बाजार डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 1 लाख रुपये और शहरी-ग्रामीण और ग्रामीण बाजार डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 0.60 लाख रुपये या कुल परियोजना लागत का 20%, जो भी कम है, जिसके बदले बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है।

1.2 मार्जिन राशि के लिए सुरक्षित ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित डिस्ट्रीब्यूटरशिप को (एसबीआई पीएलआर + 1%) प्रति वर्ष ब्याज पर प्रदान किया जाना चाहिए। यह ऋण और ब्याज वितरक के कमीशन के 20% की दर से वसूल किया जाना चाहिए।

1.3 डिस्ट्रीब्यूटरशिप के संचालन के पूर्ण संचालन चक्र के लिए (एसबीआई पीएलआर + 1%) प्रतिवर्ष ब्याज पर पर्याप्त कार्यशील पूँजी ऋण भी प्रदान

किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू होने के 13वें महीने से कार्यशील पूँजी के साथ-साथ उस पर ब्याज दोनों की वसूली 100 समान मासिक किश्तों में की जानी चाहिए ।

दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए -

2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षित दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) स्थानों के लिए चयनित उम्मीदवारों को गोदाम/अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपये का सुरक्षित ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस राशि की वसूली नीति के अनुसार 14.2 किलोग्राम के लिए वितरकों के कमीशन के 20% की दर से प्रति रिफिल के आधार पर की जानी चाहिए।

2.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षित लोकेशन, संबंधित तेल कंपनी शेष राशि को कम करने पर प्रति वर्ष 11% की ब्याज दर पर डीकेवी के संचालन हेतु पर्याप्त कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करती है । डीकेवी के आरंभ होने के 13वें महीने से कार्यशील पूंजी ऋण और ब्याज दोनों को 100 समान किश्तों में वसूला जाना चाहिए।

1.54 ओएमसी द्वारा आरओ डीलरशिप के किराए के मूल्यांकन के बारे में मोल-भाव करने हेतु बहु- समितियों को नियुक्त करने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी का बयान है कि किसी व्यक्तिगत भूमि स्वामी को कोको (सीओसीओ) प्रदान नहीं किया जाता है। स्थाई कोको का प्रचालन सेवा-प्रदाताओं की अल्पावधि हेतु विद्यमान निर्देशानुसार नियुक्ति द्वारा किया

जाता है तथा इनका चयन निर्धारित चयन दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अस्थाई कोको का आबंटन, मुख्यतया अजा/अजजा वर्ग के लंबित वर्ग के योग्य एलओआई धारकों को किया जाता है।

भूस्वामियों से प्राप्त किराए के प्रस्तावों के आधार पर, समुचित मोल-भाव समितियाँ सृजित की जाती हैं। किसी भूखंड विशेष हेतु किराए के मोल-भाव के लिए बहु-समितियाँ नियुक्त नहीं की जाती हैं।"

1.55 कोको तरीके से आरओ के लिए किराए/पट्टे के निर्धारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी का कथन है कि, यदि कोई प्रस्तावित भूखंड नए आउटलेटों/कोको के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो पैनल के अधीन सरकारी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन प्राप्त किए जाते हैं तथा नियुक्त मोल-भाव समितियों द्वारा मोल-भाव किया जाता है। जब आपसी तौर पर पट्टे/क्रय की शर्तें तय हो जाती हैं, तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के माध्यम से बिक्रीनामा अथवा पट्टानामा किया जाता है। किसी भी पट्टे/क्रय के किए जाने से पूर्व, ओएमसी के पैनल के अधीन वकील के द्वारा एक कानूनी खोज भी कराई जाती है।"

1.56 समिति ने उन वितरकों को कॉरपस फंड की वापसी की स्थिति के बारे में जानना चाहा, जिन्होंने कॉरपस फंड के माध्यम से उन्हें दी गई सहायता को पूरा या चुकाया है, जिस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"आपका एक क्वैश्चन रिफंड के बारे में था, तो जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का कारपस फंड पूरा हो गया था, आपने शायद पहले भी एक बार इश्यू रेज किया था,

उसके बाद रिफंड किया गया है। एचपीसीएल की तरफ से भी 6.87 करोड़ रुपये हमने 40 डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड किया है जिनका कारपस फंड का एमाउंट पूरा हो गया था। अगर और भी कुछ होगा, तो हम लोग उसे देख सकते हैं।"

1.57 उन पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में पूछे जाने पर जिनमें ओएमसी आरक्षण नीति को लागू करता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीलर/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के संबंध में, केवल रिटेल एमएस/एचएसडी डीलरशिप, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और एसकेओ/एलडीओ डीलरशिप के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा आरक्षण नीति प्रदान की जाती है।

पीओएल उत्पादों के लिए ट्रांसपोर्टरों की नियुक्ति में सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी द्वारा आरक्षण नीति प्रदान की जाती है।"

1.58 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी शामिल करने के लिए आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में आरक्षण नीति के विस्तार पर मंत्रालय के विचार के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

आठ. <u>खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलर कमीशन</u>

1.59 मुद्रास्फीति के लिए अनुक्रमित एलपीजी वितरकों के लिए कमीशन को नियमित रूप से संशोधित करने के लिए एमओपीएनजी/ओएमसीज़ द्वारा कोई प्रावधान जारी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एनडी एलपीजी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन कार्यशील पूंजी से संबंधित फॉर्मूले के आधार पर हर महीने बदलता रहता है।"

1.60 ओएमसीज़ द्वारा देश में खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा प्राप्त कमीशन के अपर्याप्त मार्जिन का संज्ञान लिए जाने और खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों की शिकायतों को दूर करने के लिए किये गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा क्रमशः दिनाँक 26.06.2010 और दिनाँक 19.10.2014 से बाजार-निर्धारित किया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमतों और बाजार की अन्य स्थितियों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। पेट्रोल और डीजल पर डीलर के कमीशन का संशोधन भी तेल विपणन कंपनियों द्वारा ऊपर उल्लिखित तारीखों से तय किया जाता है।

डीलर कमीशन/मार्जिन के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव (विपणन), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। डीलर के निकायों/संघों सहित विभिन्न हितधारकों से इनपुट/सुझावों, अपूर्व चंद्र समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद

मंत्रालय ने ओएमसीज़ को पेट्रोल और डीजल पर डीलर के मार्जिन दिनाँक 01.07.2011 से वृद्धि के बारे में सलाह दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी सलाह दी कि पेट्रोल (एमएस) के लिए डीलरों को भुगतान किए जाने वाले वास्तविक कमीशन का निर्णय ओएमसीज़ द्वारा लिया जाना है।

इसके बाद, मंत्रालय ने अपने पत्र सं. पी-20028/2/2014-पीपी दिनाँक 22 अक्टूबर, 2014 के द्वारा तेल विपणन कंपनियों को उनके द्वारा वितरित डीजल (एचएसडी) के लिए डीलर के मार्जिन में संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी।

इसके बाद, व्यापक रूप से अपूर्व चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर ओएमसीज़ द्वारा पेट्रोल एवं डीजल पर डीलरों के मार्जिन में समय-समय पर वृद्धि की गई है। डीलर के मार्जिन को पिछली बार दिनाँक 1.8.2017 से संशोधित किया गया है।"

1.61 समिति ने जानना चाहा कि क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डीलरों का कमीशन समान है, जिस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने 12.12.2019 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"महोदय, पूरे भारत में कमीशन सेम है।"

1.62 समिति ने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मजदूरों को दिये जाने वाले वेतन और डीलर कमीशन के संबंध में अपूर्व चंद्र प्रतिवेदन की सिफारिशों और मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन के चयनात्मक कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जिस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"माननीय सदस्य ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात की थी, इसमें हमारी कंपनीज़ का पाइंट यह है कि जो सेंट्रल के रेट्स हैं, उसके हिसाब से वेजेज़ पे होने चाहिए। कंपनी कहती है कि जो स्टेट का रेट है, वह कई जगह कम है। हमारा कंपनियों का तर्क यह है कि हम उनको जो कमीशन दे रहे हैं या जो भी उसके लिए पैसे दे रहे हैं, वह सेंटर के रेट के हिसाब से हैं। वे अगर कम वेजेज़ देते हैं, तो जो भी वहां कार्य कर रहा है, वह भी कोई गरीब व्यक्ति है, उसको वेज कम मिलती है, उसके लिए हमारी कंपनी ने यह पाइंट रखा है कि अगर वह कमीशन ज्यादा ले रहा है, तो आगे इंप्लॉइज़ को ज्यादा वेज भी देनी चाहिए।"

1.63 ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) ने बताया है कि मंत्रालय ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए उनके प्रति प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाया है और डीलर्स कमीशन को 2017 से संशोधित नहीं किया गया है। 08.03.2021 को हुए मौखिक साक्ष्य के दौरान उन्होंने बताया है कि:

"हमारी शिकायत है कि वर्ष 2017 से हमारी कमीशन नहीं बढ़ाई जा रही है। पेट्रोल उड़ता है। जब 70 रुपये प्रति लीटर था और अगर वह एक हजार लीटर उड़ता था तो हमारा 70,000 रुपये का नुकसान था। आज वह 100 रुपये हैं और अगर 1000 लीटर बिकता है तो एक लाख रुपये का नुकसान होता है। महँगाई और इसके जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके अंदर मैं भी ग्रस्त हूँ। मेरी कमीशन फिक्स है, वह 3 रुपये 28 पैसे पेट्रोल पर हैं और 2 रुपये 18 पैसे डीजल पर नेट हैं। कुछ भी हो जाए, पेट्रोल इधर जाए या उधर जाए, मेरा कमीशन फिक्स है। ओएमसी ने हमसे नवंबर 2004 और 2016 में रिटन एग्रीमेंट किया। उसने लिखकर हमसे कहा कि हर 1 जुलाई और 1

जनवरी को जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, अभी अभिषेक साहब ने यह मैटर उठाया था कि उसको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम सीधे दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज कहा कि इनको पीनल एक्शन लगाने और मोनेटरी के जो भी अधिकार है, वह फाइन लगाने का अधिकार नहीं है। दो साल लड़ने के बाद हमें सिंगल जज ने यह रिलीफ दिया। अब ओएमसी हमसे कहती है कि आप हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे, इसलिए जब तक उसका फैसला नहीं होगा, तक तक हम आपका कमीशन नहीं बढ़ाएंगे। यह हमें लेटर में रिप्लाई दिया जा रहा है, जबकि एक तरफ हमसे वर्ष 2016 में एग्रीमेट किया गया। ये दोनों डॉक्यूमेन्टेड हैं।"

1.64 समिति ने पूछा कि क्या मंत्रालय उन लोगों पर कठोर और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने कुछ मामलों में राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"प्रतिशोधात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। लोगों को अदालत में जाने का अधिकार है और हम इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते हैं। एकमात्र मुद्दा यह है कि, यदि डीलर कमीशन ले रहे हैं जो उनके श्रमिकों को भुगतान की जाने वाले एक विशेष मजदूरी पर आधारित है और वे कम मजदूरी का भुगतान करते हैं और बाकी पैसे को अपने पास रखते हैं, तो मुझे बताया गया है कि जो पैसा रखा जा रहा है वह हजारों करोड़ में है। अन्यथा हमें उनका कमीशन कम करना होगा। इसलिए, इन दोनों में से कोई एक करना होगा क्योंकि यह सब उपभोक्ताओं से आने वाला पैसा है। उपभोक्ता अधिक राशि का भुगतान कर रहे हैं और मजदूरी कम दी जा रही है। यही एकमात्र प्रमुख मुद्दा है।"

1.65 खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) के लिए डीलर कमीशन को अंतिम बार संशोधन के समय के साथ-साथ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा इस मुद्दे पर दायर कानूनी मामलों के कारण ओएमसीज़ द्वारा कमीशन का संशोधन बंद किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीलर के मार्जिन को पिछली बार दिनाँक 01.08.2017 को संशोधित किया था। वर्तमान में दिनाँक 01.08.2017 को यथा संशोधित डीलर कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। ओएमसीज़ अगस्त 2017 तक डीलरों के लिए डीलर मार्जिन को संशोधित करती रही थीं लेकिन उसके बाद 2017 में डीलरों/डीलर एसोसिएशनों द्वारा एमडीजी 2012 संशोधन के विरुद्ध वेतन भुगतान के दायित्व के कार्यान्वयन पर उठाए गए विवाद के कारण इसे संशोधित नहीं किया गया है।

कुछ डीलर्स/डीलर एसोसिएशनों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें एमडीजी 2012 के कार्यान्वयन में संशोधनों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मजदूरी भुगतान (डीलर मार्जिन का एक तत्व) शामिल था।

ओएमसीज़ ने उन सभी रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 27.11.2017 के द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय से उसके समक्ष लंबित रिट याचिका संख्या 10334/2017 पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है।इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप करने की अनुमति दी

है। तदनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संयुक्त रूप से छह हस्तक्षेप आवेदनों के साथ तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिनका निपटारा आदेश दिनाँक 18.3.2020 के तहत किया गया था।

ओएमसीज़ ने 18 मार्च, 2020 को पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एलपीए के तहत अपील दायर की है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय खंडपीठ ने 27.01.2021 को एलडी एकल न्यायाधीश के आदेश दिनाँक 18.03.2020 पर रोक लगा दी। मामला वर्तमान में आगे की तारीखों और न्यायाधीन के लिए पोस्ट किया गया है।"

http://164.100.69.66/jupload/dhc/RAS/judgement/18-03-2020/RAS18032020CW103342017_182305.pdf

1.66 ओएमसीज़ द्वारा डीलर्स कमीशन पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के कारण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"खुदरा बिक्री केंद्रों के कर्मचारियों को सेवा मानकों की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए और फोरकोर्ट पर गुणवत्ता, मात्रा, सफाई और व्यवहार के संदर्भ में ग्राहकों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए, ओएमसीज़ ने सलाह दी थी कि डीलर ओएमसीज़ द्वारा अधिसूचित वेतन का भुगतान करें जो कि केंद्रीय न्यूनतम वेतन (निर्माण श्रमिकों के लिए लागू) या राज्य द्वारा अधिसूचित वैधानिक न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो,

के आधार पर हो। डीलर्स एसोसिएशन डीलर मार्जिन में संशोधन के लिए केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विचार करने का अनुरोध करता रहा है।

डीलर मार्जिन संशोधन के बाद, ओएमसीज़ ने डीलरों को अपने कर्मचारियों/स्टाफ को ओएमसीज़ द्वारा अधिसूचित वेतन का भुगतान करने की सलाह दी। ओएमसीज़ ने अन्य प्रावधानों के साथ उपरोक्त को लागू करने के लिए अक्टूबर 2017 में विपणन अनुशासन दिशानिर्देश 2012 (एमडीजी) में संशोधन किया।

कुछ डीलरों/डीलर संघों ने विभिन्न अदालतों के समक्ष एमडीजी 2012 (अक्टूबर 2017 में संशोधित) के संशोधित प्रावधानों को चुनौती दी है जिसमें वेतन भुगतान (डीलर मार्जिन का एक तत्व) शामिल है।

ओएमसीज़ ने उन सभी रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरण याचिका दायर की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 27.11.2017 के द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और दिल्ली उच्च न्यायालय से उसके समक्ष लंबित रिट याचिका संख्या 10334/2017 पर निर्णय लेने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष हस्तक्षेप करने की अनुमति दी है। तदनुसार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने संयुक्त रूप से छह हस्तक्षेप आवेदनों के साथ तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिनका निपटारा आदेश दिनाँक 18.03.2020 के तहत किया गया था।

वेतन के भुगतान पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दिनाँक 18.03.2020 का निर्णय संक्षेप में निम्नानुसार है:

- डीलरों को अनिवार्य रूप से कर्मचारियों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वैधानिक रूप से अधिसूचित न्यूनतम से अधिक मजदूरी/वेतन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों को पीएफ, ईएसआईसी में योगदान, बोनस, अर्जित अवकाश/वार्षिक अवकाश और ग्रेच्युटी जैसे अन्य लाभों का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि उन्हें संबंधित कानूनों के तहत इन लाभों का विस्तार करने की आवश्यकता न हो।

- वैधानिक नियमों का पालन करने की आवश्यकता है लेकिन ओएमसीज़ मौद्रिक दंड नहीं लगा सकती हैं।

ओएमसीज़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से विद्वान एकल जज के दिनाँक 18.03.2020 के आदेश पर कानूनी राय प्राप्त की, जिन्होंने कहा था कि निर्णय कानून के तहत अस्थिर है और यह लाभकारी वैधानिक इरादे को नकारता है और अपील के लिए उपयुक्त मामला है।"

1.67 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को दिए जाने वाले कमीशन के लिए किसी तरह का मापदंड तैयार किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"वितरक के कमीशन में ही प्रतिष्ठानों की लागत और वितरण लागत शामिल होती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सभी वर्गों और सभी प्रकार के बाजारों के लिए कमीशन एक समान होती है। हालांकि, सिलिंडर के पैकेज के अनुसार कमीशन अलग होता है।

तत्वों का विवरण निम्नलिखित है :

स्थापना व्यय	
क	जनशक्ति लागत (स्थापना)
ख	राजस्व व्यय
ग	गोदाम और शोरूम
घ	वित्तीय व्यय
ङ	मालिक का पारिश्रमिक
वितरण व्यय	
च	जनशक्ति लागत (वितरण)
छ	परिवर्तनीय लागत

नौ. <u>एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की ग्राहक हस्तांतरण नीति</u>

1.68 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/ओएमसी उन क्षेत्रों में एलपीजी पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार करने पर विचार कर रही है जहां ग्राहकों की संख्या कम अथवा न्यूनतम है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"जहाँ उपभोक्ताओं की संख्या कम अथवा न्यूनतम हो, उन जगहों पर एलपीजी की पहुँच को और बेहतर बनाने से संबंधित, एलपीजी डिस्ट्रिब्युटरशिपों के चयन हेतु संयुक्त दिशानिर्देशों के तहत, ग्रामीण वितरक

एवं दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (डीकेवी) स्थापित करने का एक प्रावधान है। डीकेवी की स्थापना कठिन एवं विशेष क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम अथवा न्यूनतम हो (जैसे कि – पहाड़ी क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, जनजाति बहुल क्षेत्रों, बहुत कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों, बाधाग्रस्त क्षेत्रों, द्वीपों, वामपंथी आतंकग्रस्त (एलडबल्यूई) क्षेत्रों, जहाँ ग्रामीण वितरकों को भी स्थापित किया जाना व्यवहार्य नहीं है।"

1.69 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बीच ग्राहकों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता हस्तांतरण नीति की एक प्रति और ओएमसी उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"इंट्रा-कंपनी और इंटर-कंपनी स्तर पर ओएमसी द्वारा अपनाई गई ग्राहक हस्तांतरण नीति परिशिष्ट – चार और पांच में दी गई है।"

1.70 यह पूछे जाने पर कि क्या कुछ एलपीजी वितरकों द्वारा उपभोक्ता हस्तांतरण नीति को चुनौती दी गई है, और कुछ वितरकों द्वारा उपभोक्ता हस्तांतरण नीति को चुनौती देने वाले मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कोल्हापुर में बीपीसीएल वितरकों ने माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में, ग्राहक हस्तांतरण नीति के विरुद्ध सीडब्ल्यूपी 8573/2018 याचिका दायर की। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण नीति को रद्द कर दिया गया है। बीपीसीएल ने उक्त आदेश के विरुद्ध दिनाँक 16.11.2019 को मुंबई उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका और दिनाँक 06.01.2020 को उच्चतम न्यायालय में एसएलपी नंबर 2425 दायर की।

आईओसीएल ने भी दिनाँक 22.01.2020 को उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दाखिल की। आईओसी की एसएलपी को बीपीसीएल की एसएलपी

के साथ टैग किया गया था। तत्पश्चात, देश भर के उच्च न्यायालयों के समक्ष आईओसीएल वितरकों द्वारा लगभग 22 रिट याचिकाएं दायर की गई। आईओसीएल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तांतरण याचिका दायर की।"

1.71 मेट्रो शहरों, शहरी क्षेत्रों, अर्द्धशहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ग्राहक आधार की मौजूदा अधिकतम सीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र के लिए रिफिल सीलिंग सीमा और व्यवहार्यता मानदंड निम्नवत हैं:

डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्षेत्र की किस्म	**जनगणना 2011 के अनुसार जन संख्या**	**प्रतिमाह अधिकतम रिफिल**	**व्यवहार्यता सीमा के लिए प्रति माह रिफिल बिक्री**
शहरी वितरक	> 40 लाख जनसंख्या वाले शहर	20,000	10,000
	20 से 40 लाख जनसंख्या वाले शहर	15,000	7,500
	10 से 20 लाख जनसंख्या वाले शहर	12,000	6,000
अर्द्धशहरी	< 10 लाख जनसंख्या वाले कस्बे	10,000	5,000
ग्रामीण वितरक	गांव/गांवों का समूह	5,000	2,500

दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	गांव/गांवों का समूह	1,500	600

1.72 अधिकतम सीमा से अधिक वाली एलपीजी वितरक एजेंसियों की संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "ओएमसीज़ ने बताया है कि दिनाँक 01.01.2021 तक, विपणन योजना के तहत आवंटित कुल 22,217 एलपीजी वितरकों में से, 6,658 अधिकतम सीमा से ऊपर हैं।"

1.73 अधिकतम सीमा से कम वाली एलपीजी वितरक एजेंसियों की संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "ओएमसीज़ ने बताया है कि दिनाँक 01.01.2021 तक, विपणन योजना के तहत आवंटित कुल 22,217 एलपीजी वितरकों में से 15,559 अधिकतम सीमा से नीचे हैं।"

1.74 यह पूछे जाने पर कि क्या पुराने वितरकों से नए वितरकों को एलपीजी ग्राहक आधार के हस्तांतरण के कारण एलपीजी वितरकों के मौजूदा व्यवसाय की वित्तीय अव्यवहार्यता से संबंधित कोई समस्या हुई है और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "ग्राहक हस्तांतरण नीतियां पुराने वितरकों की बाजार सीमा और नए कमीशन किए गए वितरकों के लिए व्यवहार्यता सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं। ग्राहक हस्तांतरण का उद्देश्य अधिकतम सीमा के अनुरूप रिफिल बिक्री का युक्तिकरण सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि नए वितरकों की संख्या व्यवहार्य सीमा तक पहुंचें। दिनाँक

01.01.2021 तक, ओएमसीज़ के पास विपणन योजना के तहत आवंटित एलपीजी वितरकों की संख्या 22,217 है जिनमें से 7115 वितरक व्यवहार्यता सीमा से नीचे काम कर रहे हैं, जिनके इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण होने के बाद व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत होने की उम्मीद है।

चूंकि 2018 के सीडब्ल्यूपी 8753 के तहत माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण नीति को रद्द कर दिया गया है, अत: इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण नीति को रोक दिया गया है। बीपीसीएल और आईओसीएल ने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की है।"

1.75 यह पूछे जाने पर कि क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वित्तीय अव्यवहार्यता के कारण एलपीजी व्यवसाय शुरू होने के बाद भी अपने निवेश का 50% भुनाने की स्थिति में नहीं हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"दिनाँक 01.01.2021 तक, ओएमसीज़ के पास विपणन योजना के तहत आवंटित 22217 एलपीजी वितरकों हैं, जिनमें से 7115 वितरक व्यवहार्यता सीमा से नीचे काम कर रहे हैं।"

1.76 यह पूछे जाने पर कि क्या अपर्याप्त ग्राहक आधार और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्थानों की एकतरफा योजना के कारण ग्रामीण एलपीजी वितरकों को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा है, और इस पर मंत्रालय/ओएमसी की क्या राय है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री क्षमता के आधार पर स्थानों की पहचान की जाती है, जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आर्थिक रूप से व्यवहार्य परिचालन को बनाए रख सकते

हैं। रिफिल बिक्री की संभाव्यता जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, उस जगह की आर्थिक समृद्धि और मौजूदा निकटतम वितरक से दूरी सहित कई कारकों पर आधारित होती है।

दिनाँक 01.01.2021 तक, ओएमसीज़ के पास विपणन योजना के तहत आवंटित 22217 एलपीजी वितरक हैं, जिनमें से 7115 वितरक व्यवहार्यता सीमा से नीचे काम कर रहे हैं। इन वितरकों को व्यवहार्य सीमा तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए ओएमसीज़ ने ग्राहक हस्तांतरण नीति के माध्यम से युक्तिकरण उपायों पर काम किया है। चूंकि 2018 के सीडब्ल्यूपी 8753 के तहत माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण नीति को रद्द कर दिया गया है, अतः इंट्रा कंपनी ग्राहक हस्तांतरण नीति को रोक दिया गया है। बीपीसीएल और आईओसीएल ने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की है।"

1.77 यह पूछे जाने पर कि क्या एलपीजी वितरकों को ओएमसीज़ द्वारा अपने बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अत्यधिक संख्या में सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़, वितरकों को उनके द्वारा प्रस्तुत इंडेंट के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति करती है, जो वितरक के गोदाम स्टॉक, आपूर्ति स्थान से दूरी, उपलब्ध और अपेक्षित रिफिल बुकिंग और/या किसी अन्य स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है, ताकि अपने मूल्यवान ग्राहकों को त्वरित और निर्बाध आपूर्ति बनाई रखी जा सके।"

1.78 ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए ग्राहक आधार को पुनर्वितरित करने के लिए मौजूद तंत्र ताकि इनकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसी द्वारा ग्राहक हस्तांतरण नीति पहले से ही मौजूद है, जिससे जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू की जाए और वितरक व्यवहार्यता सीमा से नीचे हो, तो उपभोक्ता के निकटतम वितरक को ग्राहक हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। उक्त नीतिगत दिशानिर्देशों को कुछ वितरकों ने देश की विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी थी तथा माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय ने उन्हें दरकिनार किया है। ओएमसी(यों) द्वारा इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी जा रही है, ताकि ग्राहक हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।"

1.79 यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसीज़/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ग्राहकों को वाणिज्यिक और घरेलू दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति से संबंधित कोई डेटा रखती है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"पिछले पाँच वर्षों के दौरान देश में तेल विपणन कंपनियों द्वारा घरेलू एलपीजी बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	घरेलू बिक्री (मिलियन मैट्रिक टन में)
2019-20	23.1
2018-19	21.7
2017-18	20.3
2016-17	18.9
2015-16	17.2

पिछले 05 वर्षों के दौरान ओएमसीज़ द्वारा गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों (टीएमटी में) की बिक्री निम्नानुसार है:

ओएमसी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आईओसी	545	656	782	885	1005	740
एचपीसी	468	574	658	738	819	578
बीपीसी	451	545	649	740	790	566

1.80 क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जिनमें अपंजीकृत ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ वितरकों द्वारा पंजीकृत ग्राहकों को कैश मेमो के बदले एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है। हालांकि, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें घरेलू सिलेंडरों की बेहिसाब बिक्री देखी गई। घरेलू सिलेंडरों की बेहिसाब बिक्री के सभी स्थापित मामलों में संबंधित वितरक के विरुद्ध एमडीजी के तहत कार्रवाई की जाती है।

गैर-घरेलू सिलेंडरों के संबंध में कहना है कई इनकी कीमत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से अधिक है, और इसमें सब्सिडी का कोई तत्व शामिल नहीं है। अपंजीकृत ग्राहकों को एनडी एलपीजी की बिक्री का कोई मामला सामने नहीं आया है।"

1.81 क्या सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे राज्यों से पड़ोसी देशों में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति का कोई मामले सामने आया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" सीमावर्ती क्षेत्रों के नजदीकी राज्यों से पड़ोसी देशों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अवैध आपूर्ति का कोई मामला ओएमसीज़ के सामने नहीं आया है।

गैर-घरेलू सिलेंडरों के संबंध में, एलपीजी सिलेंडरों की कीमत घरेलू एलपीजी से अधिक है और इसमें सब्सिडी का कोई तत्व शामिल नहीं है। पड़ोसी देशों को सीमाओं के पार एनडी एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री कोई मामला सामने नहीं आया है।"

दस. <u>मुकदमेबाजी और शिकायत निपटान तंत्र</u>

1.82 यह पूछे जाने पर कि क्या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिशानिर्देशों में बदलाव के बाद आवंटन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या में कमी आई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसी ने बताया है कि वे इस तरह के रिकॉर्ड का नहीं रख रहे हैं। हालांकि, पारदर्शिता के कारण, सभी आवेदक एक-दूसरे के विवरण को सत्यापित करने और सुधार करने के लिए उनकी जाँच करने में सक्षम हैं। चूंकि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कोई तुलना नहीं की जा सकती।"

1.83 समिति ने यह बताया है कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप के चयन के विरुद्ध न्यायालयों में 1684 मामले दायर किए गए हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"आपने यह भी कहा कि हमारी कंपनियाँ लिटिगेशन में ज्यादा विश्वास करती हैं और मामले सेट्ल नहीं करते हैं। उनके बहुत सारे केसेस हैं, उनमें से कितने केसेस हमारे खिलाफ जाते हैं और कितने हमारे पक्ष में जाते हैं, उसका सूचना भी हम ले लेंगे। हम मंत्रालय की तरफ से भी प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कि किस किस्म की लिटिगेशन अधिक हो रही हैं। अगर हमारी कंपनी के स्तर पर ही इनका सेट्लमेंट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक परिवार को एक पंप मिले या अधिक पंम्प्स मिले, इस बारे में

माननीय समिति की जो सिफारिश होगी, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है।"

1.84 पिछले एक वर्ष के दौरान आवंटन संबंधी कितनी शिकायतों और इन शिकायतों के समाधान हेतु मौजूद तंत्र के विवरण के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

78390 लोकेशनों के लिए वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के आधार पर आरओ डीलरशिप चयन के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को असंतुष्ट आवेदकों से 3953 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी के डीलर चयन दिशानिर्देश 2018 में, आवेदकों की शिकायत के निवारण हेतु तंत्र का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है :

किसी भी चयनित उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी शिकायत केवल 5000 रुपये शुल्क के साथ तेल कंपनी के पक्ष में दर्ज होनी चाहिए। इस शुल्क के बिना प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्रता सहित चयन के विरूद्ध प्राप्त शिकायत का निस्तारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(एक) 5000/- रुपये के अपेक्षित शुल्क के साथ लॉटरी/बोली प्रक्रिया के ड्रा से पहले या बाद में प्राप्त शिकायतों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा और केवल चयनित उम्मीदवार के लिए जांच, भूमि मूल्यांकन और क्रेडेंशियल के फील्ड सत्यापन के सफल समापन के बाद निम्नलिखित मामलों में जाँच की जाएगी :-

- **सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ सामान्य शिकायतें**
- **चयनित उम्मीदवार के खिलाफ शिकायतें** *

84

* चयनित उम्मीदवार का अर्थ उस उम्मीदवार से है जिसने क्रेडेंशियल का फील्ड सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और जो एलओआई जारी करने के लिए पात्र है।

(दो) लॉटरी/बोली प्रक्रिया के ड्रा की तारीख से 30 दिनों के बाद प्राप्त किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(तीन) अगले चरण में जाने से पहले उनकी उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ आवेदकों के अभ्यावेदन का सत्यापन किया जाएगा और निगम द्वारा यथाशीघ्र निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामलों के लिए, 5000/-रुपये का शुल्क लागू नहीं होगा।

(चार) सत्यापन योग्य तथ्यों के बिना बेनामी शिकायतों की जाँच नहीं की जाएगी।

(पांच) शिकायत प्राप्त होने पर, तेल कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को पंजीकृत डाक के माध्यम से एक पत्र भेजा जाएगा, जिसमें पत्र के प्रेषण की तिथि से 20 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि करने के लिए आरोप का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। दस्तावेज और विवरण मांगते समय शिकायतकर्ता को सलाह दी जाएगी कि यदि जाँच के दौरान शिकायत झूठी और/या तत्वविहीन पाई जाती है, तो तेल कंपनी के पास कानून के तहत दिए गए प्रावधान के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का सम्पूर्ण अधिकार है, इसके अलावा शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा।

(छह) यदि किसी आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, जिसका लॉटरी/बोली प्रक्रिया में चयन नहीं हुआ है, तो उसे स्थगित रखा जाएगा। यदि चयनित उम्मीदवार के खिलाफ एलओआई रद्द कर दिया जाता है और जिस आवेदक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, वह अगले ड्रॉ में या बोली प्रक्रिया के कारण चयनित हो जाता है, उसके बाद ही शिकायत की जाँच की जाएगी।

(सात) यदि शिकायत की जांच की आवश्यकता नहीं है तो प्राप्त शुल्क शिकायतकर्ता को यह सूचित करते हुए वापस कर दिया जाएगा कि शिकायत की जांच नहीं की गई है क्योंकि जिस उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है उसका चयन नहीं किया गया है। चयनित उम्मीदवार को एलओए जारी करने के बाद शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

(आठ) यदि 5000 रुपये के अपेक्षित शुल्क के बिना शिकायत दर्ज होती है, या परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के बाद दर्ज होती है, तो शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा और शिकायतकर्ता को इसके कारणों के बारे में बताया जाएगा।

(नौ) निगम द्वारा शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया की जाँच की जाएगी, यदि यह पाया जाता है कि शिकायत में विशिष्ट और सत्यापन योग्य आरोप नहीं हैं, तो शिकायत की कार्रवाई नहीं की जाएगी, अपितु शिकायत शुल्क जब्त कर ली जाएगी। शिकायतकर्ता को तदनुसार सलाह दी जाएगी।

(दस) यदि शिकायत की जांच करने का निर्णय लिया जाता है, तो शिकायत पर निर्णय निगम द्वारा लिया जाएगा औरनिम्नानुसार तरीके से सूचित किया जाएगा:-

क) शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई:

यदि शिकायत प्रमाणित नहीं होती है तो फिर भी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी, अपितु शिकायत शुल्क जब्त कर लिया जाएगा। शिकायतकर्ता को उसी हिसाब से सलाह दी जाएगी।

ख) स्थापित शिकायतें:

स्थापित शिकायत के मामले में, शिकायतकर्ता को तदनुसार सलाह दी जाएगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में एकत्र 5000/- रुपये का शिकायत शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

(ग्यारह) सभी मामलों में शिकायतों का निपटारा स्पीकिंग ऑर्डर के रूप में होनी चाहिए।"

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

तेल विपणन कंपनियों ने यह बताया है कि पिछले वर्ष आवंटन प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि, किसी भी स्थान के लिए चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ शिकायतों को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के एकीकृत चयन दिशानिर्देशों के तहत शिकायत / शिकायत निवारण प्रणाली के अनुसार निपटाया जाता है।"

1.85 पिछले चार वर्षों के दौरान आवश्यक डेटा के साथ खुदरा **बिक्री केंद्र डीलरशिप** के चयन के विरुद्ध अदालती मामलों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

ओएमसीज़	2016-17, 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर 20) की अवधि के लिए खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप के चयन के विरुद्ध अदालतों में दायर मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें आदेश पारित किए जा चुके हैं	उन मामलों की संख्या जहाँ पीड़ित पक्ष या ओएमसीज़ द्वारा अपील दायर की गई है
बीपीसीएल	414	215	18
एचपीसीएल	485	201	12

आईओसीएल	785	360	21
कुल	**1684**	**776**	**51**

<u>एलपीजी का उत्तर :</u>

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के तहत विज्ञापित स्थानों के विरुद्ध दिनाँक 01.03.21 तक ओएमसीज़ के पास 135 अदालती मामले हैं।"

1.86 यह पूछे जाने पर कि क्या आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से संबंधित शिकायतों के निवारण में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता / अधिकरण का कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए दिशानिर्देशों में प्रदान की गई शिकायत निवारण तंत्र में कोई तृतीय-पक्ष मध्यस्थता/अधिकरण नहीं है।"

1.87 यह पूछे जाने पर कि ओएमसी के आंतरिक शिकायत तंत्र के फैसले के विरुद्ध कितने मुकदमे अभी भी अदालतों में लंबित हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"<u>आरओ से संबंधित</u>

आरओ से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी-वार विवरण नीचे दिए गए हैं -

ओएमसी	प्राप्त शिकायतों	निपटाई गई	आंतरिक शिकायत तंत्र के निर्णय के विरुद्ध	संख्या 3 में से आत की

	कीसंख्या	शिकायतों की संख्या (1)	न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने वाले आवेदकों की संख्या	तिथि में लंबित न्यायालय मामलों की संख्या
	(1)	(2)	(3)	(4)
आईओसी	1409	603	71	41
बीपीसी	1804	1436	146	89
एचपीसी	740	232	26	14
कुल	3953	2271	243	144

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

एलपीजी से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसी-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

ओएमसी	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या (1)	आंतरिक शिकायत तंत्र के निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने वाले आवेदकों की संख्या	संख्या 3 में से आत की तिथि में लंबित न्यायालय मामलों की संख्या
	(1)	(2)	(3)	(4)
आईओसी	639	592	176	121
बीपीसी	153	153	25	10
एचपी	210	192	42	23

सी				
कुल	1002	937	243	154

1.88 विगत तीन वर्षों के दौरान, एलपीजी डीलरशिप के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर डीलरशिप रद्द की गई है, के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"चयन संबंधी शिकायतों के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को रद्द करने हेतु के उनतीस मामले सामने आए हैं।"

1.89 यह पूछे जाने पर कि क्या खुदरा बिक्री केंद्र और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन की वर्तमान प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र/तीसरे पक्ष द्वारा अलग से किया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्तमान डीलर चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर कोई स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं कराया है। नए खुदरा बिक्री केंद्र डीलर चयन दिशानिर्देश, 2018 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देश, 2016 जनसंख्या अवधि और घनत्व पर विचार करते हुए पिछली सभी चयन प्रक्रिया और बाजार की स्थितियों और व्यवहार्यता की समीक्षा के बाद जारी किए गए हैं।"

1.90 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/ओएमसीज़ ने उन आवेदकों से खुदरा बिक्री केंद्र और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की आवंटन प्रणाली पर फीडबैक एकत्र

किया है, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया ह लेकिन सफल नहीं हुए, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने सूचित किया है कि उन्होंने असफल आवेदकों से फीडबैक एकत्र/निष्पादित नहीं किया है। तथापि, डीलर चयन विवरणिका में एक निर्धारित शिकायत निवारण प्रक्रिया है जिसके तहत आवेदक अपनी शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कर सकते हैं। यह ब्रोशर संबंधित ओएमसीज़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।"

1.91 पट्टे की समाप्ति के बाद भूमि को खाली करने के संबंध में एमओपीएनजी/ओएमसीज़ की नीति के बारे में पूछे जाने पर और यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसीज़ पट्टे की समाप्ति पर भूमि मालिकों को भूमि वापस कर देती है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ ने सूचित किया है कि जहाँ खुदरा बिक्री केंद्र की भूमि का पट्टा समाप्त हो जाता है, वहाँ वे दिनाँक 28.04.2010 की एमओपीएनजी संख्या आर-30024/56/07-एमसी नीति के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, जो कि नीचे दिया गया है:

उपलब्ध नवीनीकरण विकल्प के साथ खुदरा बिक्री केंद्र की भूमि का पट्टा समाप्त हो गया है: संविदात्मक अधिकार के तहत ओएमसीज़ पट्टे को नवीनीकृत करने और भू-स्वामियों द्वारा दायर अदालती मामलों का बचाव करने के विकल्प का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा, यदि पूर्व निर्धारित नहीं है, तो किराये के संबंध में बातचीत की जा सकती है।

खुदरा बिक्री केंद्र की भूमि की लीज समाप्त हो गई है और नवीकरण विकल्प उपलब्ध नहीं है: ओएमसीज़ लीज/खरीद के नवीनीकरण के लिए बातचीत के जरिए निपटान की संभावना तलाशेगी। वार्ता विफल होने की स्थिति में ओएमसीज़ को उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाना चाहिए।

साइट के खाली करने/पट्टा समाप्त करने के सभी प्रस्तावों को बोर्ड/बोर्ड की उप-समिति या ऐसे अन्य अनुमोदित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।"

ग्यारह. <u>विपणन क्षेत्र दिशानिर्देश (एमडीजी)</u>

1.92 ओएमसी की एमडीजी पर एक टिप्पणी उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

" <u>खुदरा बिक्री केंद्रों के संबंध में</u>

विपणन क्षेत्र दिशानिर्देश, पेट्रोल और डीजल खुदरा बिक्री केंद्रों/एसकेओ डीलरशिप को 1982 में बनाया गया था ताकि व्यवसाय के उच्चतम आचार-विचार और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के सिद्धांतों पर सरकार क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों के डीलरों द्वारा इन पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन को सुलभ बनाया जा सके।

निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए ये दिशानिर्देश बनाए गए थे:-

- डीलरों द्वारा वितरण तथा ग्राहकों द्वारा सही गुणवत्ता और मात्रा के उत्पाद प्राप्त हों।
- पेट्रोलियम पदार्थों की संभलाई और वितरण डीलरों द्वारा सही और सुरक्षित पद्धतियों को अपनाना।

- समस्त सेवा सुविधाओं के उपबंधों के साथ ग्राहक से विनम्र व्यवहार रखा जाए।
- पूरे डीलरों के नेटवर्क में एक समान आचरण और अनुशासन रखा जाए।

विपणन क्षेत्र दिशानिर्देश (एमडीजी) मात्र प्रशासनिक दिशानिर्देश है जिनका पूरे देश में समान रूप से ओएमसी द्वारा पालन किया जाता है। दोषी डीलर के विरूद्ध कार्रवाई डीलरशिप करार के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य और गुणवत्ता, मात्रा और दक्षतापूर्ण सेवा के संबंध में ग्राहकों की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि दिशानिर्देशों के उपबंधों की समीक्षा करने के लिए यह आवश्यक है तथा आवधिक रूप से इनकी समीक्षा की जाए ताकि अधिकांश कड़े-से-कड़े उपाय किए जा सकें और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में कदाचार की रोकथाम हो सके तथा ग्राहक को सेवा प्रदान की जा सके।

सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन को विनियमित करने के लिए अनेकों नियंत्रण आदेश बनाए हैं।

दिशानिर्देशों के उल्लंघन के किसी अनियमितता तथा जुर्माना लगाना, बिक्री/आपूर्ति के सस्पेंशन को शामिल करने के दंडात्मक उपबंधों की व्यापक सीमा आम तौर पर दिशानिर्देश प्रदान कराते हैं।

वर्ष 2018 से गत समीक्षा के साथ ग्राहकों की जरूरतों पर आधारित समय-समय पर एमडीजी की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

नमूना अर्थात आपूर्ति स्थल, टैंक लॉरी और खुदरा बिक्री केंद्र ताकि संभावित स्थल की पहचान की जा सके जहां पर कदाचार हुआ हो के संग्रहण और

परीक्षण की त्रि-स्तरीय नमूना प्रणाली के लिए उपबंध किए गए थे। यह बा-रास्ता मिलावट से डीलरों के सुरक्षोपाय थे।

बाजार अनुशासन दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से निम्नलिखित पहलुओं को निर्धारित करते हैः-

* तेल कंपनियों के कर्त्तव्यः भंडारण केंद्रों पर एमएस, एचएसडी और एसकेओ को प्रबंधन
* डीलरों के कर्त्तव्यः डीलरों द्वारा आरओ पर उत्पादों का प्रबंधन
* आरओ पर कंपनी के उपस्करों का अनुरक्षण
* आरओ/एसकेओ डिलरशिप का निरक्षण
* आरओ (एम, एचसीडी एंड लुबे)/एसकेओ डिलरशिप पर अनियमितताओं की रोकथाम
* प्रेषण स्थानों/आरओ पर उल्लेखित किए जाने वाले नमूनों के लिए दिशा-निर्देश
* मोबाइल लेबोरेटरी

एमडीजी निम्नलिखित आठ अध्यायों में उपर्युक्त पहलुओं को कवर करता है जो इस तरह हैः-

एक.डिलरों द्वारा खुदरा केंद्रों पर उत्पादों के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

दो. नमूना संग्रहण तथा परीक्षण हेतु औद्योगिक दिशा-निर्देश

तीन. कंपनी भंडारण केंद्रों पर एमएस/एचएसडी/एसकेओ का प्रबंधन और तेल कंपनियों के कर्त्तव्य

चार. खुदरा केंद्रों पर कंपनी उपस्कर का अनुरक्षण

पांच. खुदरा केंद्रों और एसकेओ/एडीओ डिलरशिप पर अनियमितताओं के प्रकार

छह. एसकेओ डिलर के कर्त्तव्य

सात. मोबाइल लेबोरेटरी

आठ. आरओ पर पाई गई अनियमितताओं के लिए एमडीजी के तहत ओएमसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

अध्याय पांच में तीन प्रकार की उल्लेखित सभी अनियमितताओं को अध्याय आठ में यथा क्रिटिकल, मेजर और माइनर के रूप वर्गीकृत किया गया है।

`क्रिटिकल` के रूप में वर्गीकृत अनियमितताओं के लिए निर्धारित कार्रवाई पहले ही अवसर पर एमडीजी के तहत निष्कासन

`मेजर` के रूप में वर्गीत अनियमितताओं के लिए निर्धारित कार्रवाई एमडीजी के तहत दूसरे या तीसरे अवसर में बिक्री और आपूर्ति का 15 दिन के लिए समाप्ति/आर्थिक जुर्माने से लेकर डिलरशिप का समापन तक अलग-अलग है।

`माइनर` के रूप में वर्गीकृत अनियमितताओं के लिए निर्धारित कार्रवाई एमडीजी के तहत इन अनियमितताओं के अवसरों की संख्या पर निर्भर करते हुए चेतावनी सह मार्गदर्शन-पत्र से लेकर आर्थिक जुर्माने तक अलग-अलग है। एमडीजी यह विहित करता है कि डिलर पर दांडिक कार्रवाई करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय का अनुपालन किया जाना चाहिए और अनियमितता के साबित होने के बाद ही कार्रवाई को विहित किया जाए। यह एमडीजी के तहत दांडिक कार्रवाई करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा डिलर से स्पष्टीकरण मांगने को विहित करता है। यह क्रिटिकल अनियमितता के फलस्वरूप निष्कासन के मामले में सुनवाई के अवसर को भी विनिर्दिष्ट करता है।

एमडीजी अनियमितताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए कार्रवाई करने हेतु अधिकारी के स्तर को भी विनिर्दिष्ट करता है।

डिलरशिप के समाप्ति/निष्कासन हेतु अपीलीय अधिकारी विवाद पैनल है, जिसमें शामिल होते है:-

(एक) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश-एक सदस्य और सभापति

(दो) एक भारत सरकार का सेवानिवृत्त कार्मिक जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे न हो या इसके बराबर के पद वाला-दो सदस्य

(तीन) पीएसयू तेल विपणन कंपनियों से एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसका पद निदेशक के पद से नीचे न हो-तीन सदस्य

एमडीजी एसकेओ डिलरशिप के संबंध में अनियमितताओं/कदाचार और दंड के भी अलग से विनिर्दिष्ट करता है।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति की जाती हैं तथा ये ओएमसी एवं वितरकों के बीच किए गए समझौतों के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध में विभिन्न प्रकार के दायित्व उल्लिखित होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ-साथ ओएमसी को भी निभाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध में उल्लिखित दायित्वों के अलावा, एलपीजी उपभोक्ताओं की सेवा के लिए वितरकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रचालन नीतियाँ, प्रक्रियाएँ एवं कार्य प्रणालियाँ भी हैं। इनके अलावा, ऐसी निषिद्ध गतिविधियाँ भी उल्लिखित हैं, जिनसे वितरकों को बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु कि, वितरक द्वारा परिचालन नीतियों,

प्रक्रियाओं और कार्य प्रणालियों का अनुपालन किया जाए, भूल करने वाले वितरकों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिन्हें विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी) कहा जाता है। एमडीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप/डीलरशिप अनुबंध के 'विश्वसनीय प्रदर्शन' पर प्रासंगिक खंड के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों का महत्वपूर्ण अंग है। इन दिशानिर्देशों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के तहत कोई भी कार्रवाई बाधित नहीं है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एमडीजी 30 वर्षों से अधिक से अस्तित्व में है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पहला एमडीजी 1982 में प्रारम्भ किया गया था। बाद में इसे 1988, 1994, 2001, 2014, 2015, 2017 और उसके बाद 2018 में संशोधित किया गया।

नई योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति, आईटी की चुनौतियों, बढ़ती ग्राहक अपेक्षाओं, उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने, वितरक नेटवर्क के बीच अनुशासन लागू करने और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में अपराध को रोकने के लिए इन दिशानिर्देशों को लगातार अद्यतन बनाया जाता है।"

1.93 एमडीजी के तहत बुक किए गए आरओ / एलपीजी के मामलों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

वर्ष 2019-20 के लिए एमडीजी के तहत गंभीर अनियमितताओं के स्थापित मामलों पर बंद किए गए रिटेल आउटलेट डीलरशिपों का विवरण निम्नानुसार है:

एलपीजी से संबंधित

ओएमसी ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के खिलाफ भ्रष्टाचार/ अनियमितताओं के 3175 मौजूदा मामलों में विपणन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की है। इस बारे में ओएमसी-वार संख्याएँ निम्नानुसार हैं:

वर्ष	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	कुल
2019-20	1910	575	690	3175

1.94 यह पूछे जाने पर कि क्या ओआईएसडी, पीएनजीआरबी और पीईएसओ जैसा कोई तृतीय पक्ष संस्थागत तंत्र एमडीजी के क्रियान्वयन में शामिल है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

ओआईएसडी, पीएनजीआरबी और पीईएसओ जैसे संस्थागत निकाय एमडीजी के तहत निरीक्षण नहीं करते हैं।

एलपीजी से संबंधित

डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आंतरिक निरीक्षण, वैधानिक और अन्य सरकारी प्राधिकरण निरीक्षणों के आधार पर ओएमसी द्वारा वितरकों के खिलाफ कार्रवाई करने की एक संस्थागत प्रणाली है। एमडीजी के क्रियान्वयन में किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है।"

1.95 यह पूछे जाने पर कि क्या खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर शिकायतों के संबंध में पीएनजीआरबी को ग्राहक शिकायत निवारण प्राधिकरण से संबंधित शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"वर्तमान में, पीएनजीआरबी को ग्राहकों की शिकायतों से संबंधित शक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अलावा, ओएमसीज़ के पास पहले से ही शिकायत से निपटने की मजबूत प्रणाली है। खुदरा बिक्री केंद्र और एलपीजी वितरकों द्वारा अनियमितताओं के स्थापित मामलों के आधार पर ओएमसीज़ द्वारा डीलरों/वितरकों के विरुद्ध आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक और डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अन्य सरकारी अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई करने की एक संस्थागत प्रणाली है।"

1.96 समिति के संज्ञान में आयी कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में, डीलर संगठन ने 08.03.2021 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया कि:

"तेल कंपनियों के अपने टार्गेट्स हैं, जिनको पूरा करने के लिए डिस्ट्रिब्यूटर्स से गलत काम कराया जाता है। इसी से मैलप्रैक्टिसिज़ की एक पूरी चैन बनती है। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि दो तरह के सिलेंडर्स हैं – घरेलू और व्यवसायिक, जिनको नॉन-डोमेस्टिक बोलते हैं और इन सिलेंडर्स पर शुरू से सब्सिडी नहीं है। इसकी प्राइसिंग इम्पोर्ट पैरिटी रेट के हिसाब से है। आज डिस्ट्रिब्यूटर को जो सिलेंडर मिलता है, वह मार्केट रेट पर मिलता है, हमें सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिलता है। सब्सडी तो कस्टुमर के खाते में जाती है। तेल कंपनियों का पहले कमर्शियल सिलेंडर डिस्ट्रिब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही दिया जाता था, उसमें कोई हेराफेरी, कोई बेइमानी नहीं होती थी। आज की तारीख में इन्होंने छोटे-छोटे एजेंट्स बना दिए हैं, जिनकी किसी बोर्ड के माध्यम से या किसी भी प्रकिया से चयन नहीं है। जिसको मर्जी एजेंट बना दो, वह अपनी मर्जी से किसी को भी सिलेंडर बेच रहा है।

जीएसटी के अंदर ई-बिलिंग मेनडेटरी है, लेकिन ये लोग कहीं भी, किसी को भी सिलेंडर बेच रहे हैं। इनको प्लांट से 400 रुपये डिस्काउंट पर, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री जी ने मध्य प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बाकायदा एक लाइव प्रोग्राम किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें

कितने का सिलेंडर मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें 19 किलो का एक सिलेंडर 1,600 रुपये का मिल रहा है। फाइव स्टार होटल्स, डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट को वही सिलेंडर कंपनियां 1,180 रुपये का दे रही हैं। इस तरह कहां वोकल फॉर लोकल रह गया? रेहड़ी-पटरी वाला गरीब आदमी, जो सस्ता खाना देता है, उसे आप 1,600 रुपये की गैस दे रहे हैं और मल्टी नेशनल और दूसरी कंपनियों को 1,180 रुपये की गैस मिल रही है।"

1.97 आगे, समिति के इसके अलावा, समिति के सामने विस्तार से बताया गया कि:

"ऑयल कंपनियों की यह जो पॉलिसी है, यही इन सारी मैलप्रैक्टिसिज़ की जड़ है, अदरवाइज़ डिस्ट्रिब्यूटर ईमानदारी से काम कर के उपभोक्ता को और बेहतर सर्विस दे सकता है। अपने नंबर लेने के लिए अफसर नए डिस्ट्रिब्यूटर की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। वर्ष **2011** से लेकर आज की तारीख तक जितने भी ग्रामीण डिस्ट्रिब्यूटर्स हैं, उनमें से **50** परसेंट तो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऊपर से तेल कंपनियां यह करती हैं कि कमर्शियल गैस के बड़े-बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स बनाकर उन्हें **400** रुपये कम पर अपने प्लांट्स से प्रोडक्ट देती हैं। छोटे डिस्ट्रिब्यूटर को **1,500** रुपये का सिलेंडर देंगे, जिसे वे आगे **1,600** रुपये में बेचेंगे। दूसरे बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स को, जिनको एजेंट बना रखा है, उनको **1,100** रुपये का सिलेंडर देंगे, जिसे वे **1,180** रुपये का मार्केट में बेच देंगे। इसलिए, जिसको **1,500** रुपये का सिलेंडर दिया, वह कम्पीट ही नहीं कर सकता। ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटर के पास गांव में कमर्शियल गैस का कोई कस्टमर ही नहीं है। उसे भी हर महीने **15-20** सिलेंडर्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हमें नहीं पता, हमें तो टार्गेट पूरा करना है। वह बेचारा **500** रुपये सस्ते में उन ही दलालों को सिलेंडर वापस बेच देता है। इस तरह मैलप्रैक्टिस होती है।"

1.98 यह पूछे जाने पर कि एमडीजी के तहत खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों और एलपीजी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है

और कितने खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसियां, एमडीजी के उल्लंघन में पाई गई हैं और ओएमसीज़ द्वारा क्या कार्रवाई की गईहै, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"खुदरा बिक्री केंद्रों पर ओएमसीज़/निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आवधिक और आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है तो डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसमें सभी अनियमितताओं को दर्शाया जाता है। डीलर को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना होता है।

कारण बताओ नोटिस के लिए उत्तर प्राप्त होने पर, ओएमसीज़ डीलर से प्राप्त उत्तर की समीक्षा करेगी। उत्तर संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, सभी स्थापित अनियमितताओं/मामलों में एमडीजी प्रावधान के अनुसार ओएमसीज़ द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी। एमडीजी के तहत कार्रवाई चेतावनी पत्र से लेकर बिक्री के निलंबन से लेकर समाप्ति तक हो सकती है जो स्थापित अनियमितता के प्रकार पर निर्भर करता है। एमडीजी और डीलरशिप समझौते के अनुसार स्थापित गंभीर अनियमितताओं के सभी मामलों में खुदरा बिक्री केंद्र को पहली बार में ही समाप्त कर दिया जाता है।

पिछले पाँच वर्षों में एमडीजी के उल्लंघन में पाए गए खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप और संबंधित ओएमसीज़ द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

बीपीसीएल द्वारा पिछले पाँच वर्षों में खुदरा बिक्री केंद्र पर पाए गए कदाचार के प्रकार

बीपीसीएल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
संदिग्ध मिलावट	3	3	2	2	5
स्टॉक में अंतर	24	13	6	20	22
अतिप्रभार	1	6	25	4	5
अनधिकृत खरीद/बिक्री	1	2	0	1	0
अल्प अदायगी/सील टेम्परिंग/अनधिकृत फिटिंग्स	193	443	305	164	95
स्वच्छ शौचालय का प्रावधान न होना	144	409	391	92	4
अन्य	1830	2063	2429	3043	1797
कदाचार की कुल संख्या	**2196**	**2939**	**3158**	**3326**	**1928**

पिछले पाँच साल में बीपीसीएल द्वारा कृत कार्रवाई:

	बीपीसीएल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	समाप्ति	14	31	4	5	4
2	जारी चेतावनी पत्र	1794	1983	2023	3031	492
3	जांच की गई/कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं/कार्रवाई लंबित	4	1	303	7	1156
4	बिक्री एवं आपूर्ति का निलंबन	145	450	476	146	123
5	अर्थदंड लगाया गया	239	474	352	137	153
	कुल	**2196**	**2939**	**3158**	**3326**	**1928**

आईओसीएल द्वारा पिछले पाँच वर्षों में खुदरा बिक्री केंद्र पर पाए गए कदाचार के प्रकार:

आईओसीएल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
संदिग्ध मिलावट	17	15	9	10	15
स्टॉक में अंतर	80	374	110	554	221
अतिप्रभार	5	20	23	174	183
अनधिकृत खरीद/बिक्री	2	4	1	1	0
अल्प अदायगी/सील टेम्परिंग/ अनधिकृत फिटिंग्स	267	2032	320	603	520
स्वच्छ शौचालय का प्रावधान न होना	239	1473	430	700	304
अन्य	877	5555	2311	5467	1920
कदाचार की कुल संख्या	**1487**	**9473**	**3204**	**7509**	**3163**

पिछले पाँच साल में आईओसीएल द्वारा कृत कार्रवाई :

आईओसीएल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
समाप्ति	7	104	5	6	3
जारी चेतावनी पत्र	911	4983	1898	5728	790
जांच की गई/कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं/कार्रवाई लंबित	159	2984	1078	1359	2305
बिक्री एवं आपूर्ति का निलंबन	196	115	38	76	11

अर्थदंड लगाया गया	214	1287	185	340	54
कुल	**1487**	**9473**	**3204**	**7509**	**3163**

एचपीसीएल द्वारा पिछले पाँच वर्षों में खुदरा बिक्री केंद्र पर पाए गए कदाचार के प्रकार

	एचपीसीएल	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	संदिग्ध मिलावट	20	29	27	11	7
2	स्टॉक में अंतर	358	611	758	614	263
3	अतिप्रभार	10	29	24	39	60
4	अनधिकृत खरीद/बिक्री	0	5	1	1	1
5	अल्प अदायगी/सील टेम्परिंग / अनधिकृत फिटिंग्स	523	980	586	403	162
6	स्वच्छ शौचालय का प्रावधान न होना	941	2197	1667	1571	695
7	अन्य	2474	6750	8637	5687	5965
	कदाचार की कुल संख्या	**4326**	**10601**	**11700**	**8326**	**7153**

पिछले पाँच साल में एचपीसीएल द्वारा कृत कार्रवाई :

	एचपीसीएल	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	समाप्ति	8	79	21	11	4
2	जारी चेतावनी पत्र	3925	5101	4020	5494	677
3	जांच की गई/कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं/कार्रवाई लंबित	61	4557	6692	1420	5826
4	बिक्री एवं आपूर्ति का निलंबन	20	55	145	32	11
5	अर्थदंड लगाया गया	312	809	822	1369	635
	कुल	**4326**	**10601**	**11700**	**8326**	**7153**

डीलरों द्वारा ओएमसीज़ के अधिसूचित वेतन का भुगतान न करने पर एमडीजी उल्लंघनों को ऊपर छोड दिया गया है क्योंकि यह मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

<u>एलपीजी का उत्तर</u>:

जब भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और सभी स्थापित कदाचार/अनियमितताओं के मामलों में संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध एमडीजी/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने से पहले वितरकों को स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए जाते हैं।

पिछले चार वर्षों अर्थात 2017-18, 2018-19, 2019-20 और चालू वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान अनियमितताओं के स्थापित मामलों की वर्ष/ओएमसीज़-वार संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	कुल
2017-18	895	312	521	1728
2018-19	1122	300	746	2168
2019-20	1910	740	690	3340
2020-21 (अप्रैल–दिसंबर)	952	513	533	1998
कुल	**4879**	**1865**	**2490**	**1728**

1.99 जब पूछा गया कि इस संबंध में ओएमसीज़ और खुदरा बिक्री केंद्रों के बीच कोई मुकदमेबाजी हुई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एमडीजी के उल्लंघन पर ओएमसीज़ द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित, पिछले पाँच वर्षों में कुछ डीलरों द्वारा एमडीजी कार्रवाई के विरुद्ध दायर अदालती मामलों की संख्या नीचे सारणीबद्ध है:

	एमडीजी कार्रवाई के विरुद्ध डीलरों द्वारा दायर अदालती मामलों की संख्या					
	2016/17	**2017/18**	**2018/19**	**2019/20**	**2020/21**	**कुल**
बीपीसीएल	11	20	4	0	2	37
एचपीसीएल	17	61	17	14	7	116
आईओसीएल	22	98	60	42	36	258
कुल	**50**	**179**	**81**	**56**	**45**	**411**

बारह. <u>वाणिज्यिक सिलेंडरों की बिक्री</u>

1.100 जब पूछा गया कि वर्तमान में वाणिज्यिक सिलेंडर बेचने के लिए ओएमसीज़ द्वारा अपनाई गई व्यवस्था क्या है और क्या वाणिज्यिक सिलेंडरों की बिक्री से निपटने के लिए अलग एजेंसियां हैं और मंत्रालय/ओएमसीज़ द्वारा वाणिज्यिक सिलेंडरों की बिक्री के लिए अलग से एजेंसियां क्यों नहीं स्थापित की जा रही हैं, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "ओएमसीज़ विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को अपने एलपीजी वितरकों और एनडीएनई खुदरा विक्रेताओं/एनडी वितरकों के माध्यम से वाणिज्यिक सिलेंडरों के विपणन के लिए विशेष रूप से नियुक्त वाणिज्यिक सिलेंडरों का विपणन कर रही हैं। ये वितरक ओएमसीज़ से गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडर का लेते हैं और अपने पंजीकृत ग्राहकों को बेचते हैं।
>
> कई ग्राहक ऐसे भी हैं जिन्होंने एलपीजी इंस्टालेशन में निवेश किया है और एलपीजी सिलेंडर बैंकों का निर्माण किया है। ये ग्राहक आम तौर पर ओएमसीज़ से सीधी आपूर्ति को प्राथमिकता देते हैं।
>
> उपरोक्त के अलावा, 5 किलो एफटीएल सिलेंडरों का विपणन विभिन्न बिक्री बिंदुओं (पीओएस) द्वारा किया जाता है जैसे कि खुदरा बिक्री केंद्र, किराना स्टोर और गली नुक्कड की दुकानें आदि।"

1.101 जब पूछा गया कि क्या ओएमसीज़ बिना किसी माँग/जरूरत के एमडीजी की आड़ में अनुचित बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण एलपीजी वितरकों पर जबरदस्ती की रणनीति अपनाती हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा:

"सभी बाजारों में घरेलू एलपीजी के साथ वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री की संभावना है। इसलिए वितरकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ एनडी एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वितरकों को उनके इंडेंट के अनुसार एनडी एलपीजी सिलेंडर जारी किए जाते हैं।

एनडी एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री ऐसे वितरकों के लिए राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत है क्योंकि वे पहले से ही शोरूम, गोदाम, डिलीवरी वाहन और कर्मियों जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश कर चुके होते हैं और वे एनडी एलपीजी सिलेंडरों के विपणन में इसका उपयोग कर सकते हैं।

1.102 जब पूछा गया कि क्या एलपीजी घरेलू सिलेंडर और वाणिज्यिक सिलेंडर की बिक्री के लिए ओएमसीज़ के बीच कोई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही है और इसके परिणामस्वरूप नियमों और विनियमों जैसे विस्फोटक विनियमों, गैस नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम और सुरक्षा मानदंडों आदि का उल्लंघन हुआ है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एनडी एलपीजी व्यवसाय निजी कंपनियों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है। विभिन्न कारक जैसे क्रेडिट, छूट, त्वरित एंड-टू-एंड सेवाएं, उनके एलपीजी इंस्टॉलेशन का रखरखाव, आदि इस व्यवसाय को गतिशील और ग्राहक-संचालित बनाते हैं। इसके अलावा, ग्राहक के पास अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता को चुनने का विकल्प होता है। तथापि, गैर-घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपणन करते समय वैधानिक नियमों जैसे गैस सिलेंडर नियम, गैस नियंत्रण आदेश आदि का पालन किया जाता है।"

1.103 जब पूछा गया कि क्या ग्राहकों को सिलेंडर की डिलीवरी के लिए श्रमिकों के शोषण, कोविड -19 महामारी के दौरान निष्पादन के लिए एलपीजी

डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर अनुचित दबाव और एलपीजी ग्राहकों द्वारा अनिवार्य डिजिटल भुगतान जैसे कोई मुद्दे हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कोविड-19 के बाद के लॉकडाउन के दौरान, अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप एनडी एलपीजी की बिक्री में भारी गिरावट आई थी। औद्योगिक ग्राहकों/बड़े वाणिज्यिक ग्राहकों को एनडी एलपीजी आपूर्ति मशीनीकृत डिलीवरी वाहनों के साथ जारी थी। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कर्मचारियों को भी सुरक्षित डिलीवरी के लिए कोविड सुरक्षा गियर प्रदान किए गए थे।"

तेरह. <u>मौजूदा आरओ/एलपीजी वितरक का निरीक्षण</u>

1.104 जब पूछा गया कि क्या आरओ और एलपीजी वितरकों को दुराचार से रोकने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसी अधिकारी मिलावट और अन्य अनियमितताओं/अपराधों की जाँच करने के लिए रिटेल आउटलेटों/एलपीजी वितरकों का समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हैं और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और डीलरशिप अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

ओएमसी (क्यूआरसी/क्यूसीसी/क्यूएसी) की गुणवत्ता प्रकोष्ठ टीमों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है, जो विपणन के अलावा अन्य फंक्शन को रिपोर्ट करते हैं।

मोबाइल लैबों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जाता है, जिसके दौरान पेट्रोल पंपों से नमूने लिए जाते हैं और उनका परीक्षण किया जाता है।"

1.105 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निरीक्षणों और कदाचार के मामलों के साथ-साथ उन पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया:

2019-20 के दौरान आरओ में किए गए निरीक्षण और की गई कार्रवाई का विवरण नीचे वर्णित है-

वर्ष: 2019-20	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	ओएमसी
निरीक्षण	93080	49858	56804	199742
अपराध के प्रकार / अनियमितताओं का पता लगाया जाना				
संदिग्ध मिलावट	8	2	11	21
स्टॉक विवधिता	554	20	614	1188
ओवरचार्जिंग	174	4	39	217
अनधिकृत खरीद / बिक्री	1	1	1	3
लगी सीलों के साथ शॉर्ट डिलीवरी	561	157	397	1115
सीलों से छेड़छाड़	23	4	2	29
डीयू में अनधिकृत फिटिंग	19	3	4	26
स्वच्छ शौचालय का गैर. प्रावधान	700	92	1571	2363
अन्य	5469	3043	5687	14199
कदाचारों की कुल संख्या	7509	3326	8326	19161
की गई कार्रवाई				
समाप्ति	1	5	11	17

चेतावनी पत्र जारीकरण	1564	3028	5494	10086
स्पष्टीकरण की मांग/ कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं / कार्रवाई लंबित	5791	10	1420	7221
बिक्री और आपूर्ति का निलंबन	34	146	32	212
जुर्माना लगाया जाना	119	137	1369	1625
कुल	**7509**	**3326**	**8326**	**19161**

2019-20 के दौरान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर किए गए निरीक्षण और ओएमसी द्वारा स्थापित अनियमितताओं के अनुसार की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**निरीक्षणों की संख्या**	**स्थापित मामलों की संख्या**
2019-20	52507	3175

1.106 यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय/ओएमसी में कोई प्रक्रिया उपलब्ध है और क्या ओआईएसडी या कोई अन्य एजेंसियाँ इस प्रक्रिया में शामिल हैं,:

"आरओ से संबंधित

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा रिटेल आउटलेटों का निरीक्षण समयानुसार किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारियों के अलावा ओएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों, उसकी गुणवत्ता प्रकोष्ठ टीमों (क्यूआरसी/क्यूसीसी/क्यूएसी) एवं मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा भी रिटेल आउटलेटों का निरीक्षण किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान डब्ल्यू एंड एम मोहरों/डिस्पेंसिंग इकाई से छेड़छाड़ के संबंध में संदिग्ध अनियमितताओं के मामले में, कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग एवं/या मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से मामले के अनुसार राय मांगी जाती है।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

ओएमसी के मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के अलावा, वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी निरीक्षण करते हैं।इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के अपराध/अनियमितता को रोकने के लिए, एक स्वतंत्र मिलावट रोधी विभाग, (आईओसीएल में क्यूआरसी, बीपीसीएल में क्यूसी और एचपीसीएल में क्यूसी नाम से उल्लिखित) निदेशक एचआर के तत्वावधान में मौजूद है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा सके और निगम के दिशा-निर्देशों/एमडीजी के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए कार्य विभाग को अपनी प्रतिक्रिया/अवलोकन/सिफारिशें भेजी जाती हैं। ओएमसी का सतर्कता विभाग डिस्ट्रीब्यूटरशिप का निरीक्षण भी करता है।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप निरीक्षण में ओआईएसडी शामिल नहीं है।

1.107 जब पूछा गया कि क्या पिछले एक वर्ष के दौरान आरओ द्वारा मिलावट और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए विपथन किए जा रहे घरेलू एलपीजी के कुल

कितने निर्दिष्ट मामले आपके संज्ञान में हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरओ से संबंधित

मिलावट के संदिग्ध मामलों और मिलावट के मौजूदा मामलों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है-

वर्ष : 2019-20	**बीपीसी**	**आईओसी**	**एचपीसी**	**ओएमसी**
किए गए निरीक्षणों की संख्या	49858	93080	56804	199742
मिलावट के मामलों की प्राप्त संख्या	**2**	**8**	**11**	**21**
मिलावट के मामलों पर की गई कार्रवाई :				
मिलावट के कारण समाप्ति	1	0	3	4
जाँच के अधीन	1	8	8	17
कुल	**2**	**8**	**11**	**21**

एलपीजी से संबंधित

जब भी ओएमसी को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी के दिक-परिवर्तन संबंधी शिकायतें मिलती हैं, तो इसकी जाँच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत अनियमितताओं के मौजूदा मामलों में कार्रवाई की जाती है। पिछले एक वर्ष के दौरान, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधान के तहत ओएमसी(यों) ने 198 अनियमितताओं के मौजूदा मामलों में कार्रवाई की है।"

1.108 जब पूछा गया कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलिंडरों की होम डिलीवरी के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ग्राहकों से अधिक शुल्क लेने से रोकने के

लिए ओएमसी के पास कोई आंतरिक सतर्कता तंत्र उपलब्ध है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"कंपनी के अधिकारियों द्वारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नियमित निरीक्षण के दौरान, यह जाँचा जाता है कि वितरक ग्राहकों से होम डिलीवरी के साथ-साथ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं का उचित शुल्क लिया जा रहा है कि नहीं। इसके अलावा ओएमसी के सतर्कता/क्यूआरसी विभाग भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कार्य की जांच के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का निरीक्षण करते हैं।

1.109 जब पूछा गया कि क्या ओएमसी द्वारा वितरकों/डीलरों द्वारा ईंधन में मिलावट को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"<u>**आरओ से संबंधित**</u>

रिटेल आउटलेटों का निरीक्षण समयानुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो कि अन्य जाँचों के साथ-साथ मिलावट का पता लगाने के लिए घनत्व की जांच भी करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनियमित नमूनाकरण भी किया जाता है। मिलावट को रोकने के लिए ओएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों, ओएमसी की गुणवत्ता प्रकोष्ठ टीमों (क्यूआरसी/क्यूसीसी/क्यूएसी) और मोबाइल प्रयोगशालाओं द्वारा रिटेल आउटलेटों का भी निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता और मात्रा के आश्वासन के लिए बहु-अनुशासनात्मक दल द्वारा विशेष निरीक्षण अभियान भी आयोजित किए जाते हैं।

<u>**एलपीजी वितरक से संबंधित**</u>:

ओएमसी के पास एलपीजी में मिलावट में शामिल वितरकों का कोई मौजूदा मामला नहीं है। हालांकि, सिलिंडरों से एलपीजी की चोरी को रोकने के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें सिलिंडर को टैम्पर एविडेंट सील (टीईएस) से सील करना शामिल है और सही वजन सुनिश्चित करने के लिए वितरकों द्वारा एलपीजी सिलिंडर के वितरण के दौरान अधिकारीगण औचक निरीक्षण करते हैं।"

1.110 जब पूछा गया कि ओएमसी की पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के वितरक एजेंसियों को आपूर्ति हेतु परिवहन के दौरान सम्भाव्य पारगमन रिसाव को रोकने संबंधित कोई नीति है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसी द्वारा उद्योग परिवहन अनुशासन दिशानिर्देश (आईटीडीजी) नीति का पालन किया जाता है, जो पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद को वितरित करने वाली एजेंसियों के लिए, यातायात के समय पारगमन रिसाव को रोकने के लिए स्थापित है।

विक्रेताओं/ग्राहकों के लिए, ओएमसी के भंडारों से ही लदी टैंक लॉरियों को टैम्पर प्रूफ लॉकिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सभी टैंक लारियों में एक वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसके माध्यम से टैंक लारियों की आवाजाही पर निगरानी की जाती है। हाल ही में ओएमसी ने विक्रताओं को पेट्रोल और डीजल की वितरण के लिए ई-लॉकिंग सिस्टम प्रारम्भ किया है। इस प्रणाली में एक ओटीपी जेनरेट होता है, जिसका प्रयोग डीलर द्वारा रिटेल आउटलेट पर सामग्री मिलने पर ही उसे खोलने के लिए किया जाता है।

यह प्रणाली हमें टैंक लॉरी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाले पारगमन समय की जाँच करने में सक्षम बनाती है एवं यह भी कि उत्पाद निर्दिष्ट प्राप्तकर्ता को ही डिलीवर किया जाता है।"

चौदह. <u>बाउजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजल की बिक्री</u>

1.111 जब पूछा गया कि क्या डीजी सेटों, औद्योगिक उपयोग, अर्थ मूविंग उपकरण को बाउजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजल की आपूर्ति के लिए पीईएसओ से अनुमति के दुरुपयोग के कोई उदाहरण हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"एमएस एचएसडी नियंत्रण आदेश दिनाँक 10.12.2019 में संशोधन के अनुसार, मोबाइल बाउजर्स के नमूने और जब्ती की शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

केंद्र/राज्य/जिला प्रशासन द्वारा डीजी सेट, बाउजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से अर्थ मूविंग उपकरण जैसे स्थिर उपकरणों को डीजल की आपूर्ति करने के लिए पीईएसओ द्वारा जारी अनुमति के संबंध में डोर टू डोर डिलीवरी बाउजर्स द्वारा दुरुपयोग का कोई मामला हमें नहीं मिला है, सिवाय जिला आपूर्ति अधिकारी बारन, राजस्थान से मार्च 2021 में रिपोर्ट किए गए एक मामले के, जिसकी जांच चल रही है।"

1.112 जब पूछा गया कि क्या क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं जिनमें ओएमसीज़ ने विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन करते हुए मोबाइल फ्यूल बाउजर को ग्राहकों को सड़क किनारे पेट्रोल और डीजल बेचने की अनुमति दी हो और ऐसे कदाचार को

रोकने के लिए किस प्रकार के निवारक उपाय शुरू किए गए हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत कहा:

"वर्तमान में ओएमसीज़ ने बाउजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजी सेट, अर्थ मूविंग उपकरण जैसे स्थिर उपकरणों को ही डीजल की बिक्री की अनुमति दी है। बोजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से पेट्रोल बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। ओएमसीज़ ने विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन में सड़क किनारे ग्राहकों को डीजल बेचने की अनुमति नहीं दी है।

डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी के दायरे के संबंध में और समय-समय पर इसका कड़ाई से अनुपालन करने के लिए सभी डीलरों को एडवाइजरी जारी की जा रही है।"

1.113 जब पूछा गया कि क्या मंत्रालय/ओएमसीज़ ने ऑटो ईंधन की डोर टू डोर डिलीवरी की नई प्रणाली के संबंध में कदाचार का पता लगाने/रोकने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है जिससे ऑटो ईंधन की अनधिकृत बिक्री को रोका जा सके, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"ओएमसीज़ सभी डीलरों को डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी के दायरे के संबंध में और उसके कड़ाई से अनुपालन के लिए एडवाइजरी जारी करती रही हैं।

डीडीडी ऑपरेटर आपूर्ति स्थान पर डिलीवरी के बिंदु से उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, सुरक्षा और हैंडलिंग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल नियंत्रण आदेश दिनाँक 10.12.2019 में संशोधन के अनुसार, मोबाइल बाउजर्स के नमूने और जब्ती की शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

डीडीडी ऑपरेटरों द्वारा किसी भी सिद्ध कदाचार पर, ओएमसीज़ द्वारा निष्पादित समझौतों के प्रावधान के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

1.114 समिति ने डीजी सेटों के लिए डीजल ले जाने वाले बाउजर्स के कारण होने वाले सुरक्षा खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया और उन उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां ये बाउजर्स सड़क के किनारे भी डीजल की खुदरा बिक्री में लिप्त हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को जानने की इच्छा व्यक्त की जिसपर पीईएसओ के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि:

"मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने उसमें एक चेक रखा है। हम उनसे एक लिस्ट लेते हैं, वे जिस पेट्रोल पंप से भरेंगे उसमें उसका लाइसेंस अटैच होता है, वह ऑनलाइन ही आ जाता है। उसमें यह भी होता है कि वह कितने लोगों को सप्लाई करेंगे। एक्चुअली डोर टू डोर का मतलब यह नहीं है कि हमने उनको रोड पर अलाऊ कर दिया है। जैसे कोई इंडस्ट्री है या ऐसा कोई हैवी व्हीकल है, जो कि पेट्रोल पंप तक नहीं आ सकता है, हमने केवल उन्हीं के लिए अलाऊ किया है। जैसे ही वे इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उनके लाइसेंस में उसकी लिस्ट अटैच है। अगर हमारे पास कहीं से कोई शिकायत आती है या हम लोग जांच के दौरान ऐसा कुछ पाते हैं, तो उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। चूंकि यह फिक्स है कि उनको यहीं पर ही देना है। हमने अभी यह तय किया है।"

आगे बताते हुए, यह भी सूचित किया कि:

"बाउजर सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, अधिकतर कंपनीज़ के बाउजर में जीपीएस ट्रैकिंग है, तो उससे पता होता है कि वे सही जगह पर डिलेवर कर रहे हैं या नहीं।"

पंद्रह. <u>सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी</u>

1.115 यह पूछे जाने पर कि जहाँ एलपीजी सिलेंडर आग की घटनाओं का मुख्य कारण हैं, वहाँ तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाई गई सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति को उपलब्ध कुल सुनिश्चित राशि क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"तीसरे पक्ष और ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना कवर और अधिकृत ग्राहकों के पंजीकृत परिसर में संपत्ति की क्षति नीचे दी गई है:

(ए) व्यक्तिगत दुर्घटना: मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति 6,00,000 रुपये

(बी) चिकित्सा व्यय: रु 30,00,000/- प्रति घटना (अधिकतम रु. 2,00,000/- प्रति व्यक्ति, तत्काल राहत रु. 25,000/- प्रति व्यक्ति)

(सी) संपत्ति की क्षति: अधिकतम रु. 200,000/- प्रति घटना अधिकृत ग्राहकों के पंजीकृत परिसर में।

(डी) वार्षिक कवरेज - 20 करोड़ रूपए।

1.116 जहां एलपीजी आग लगने का कारण है वहाँ दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान के बीमा के लिए तेल विपणन कंपनियों द्वारा की जा रही सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी के बारे में एक नोट प्रस्तुत करने और कौन सी एजेंसी पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान करती है और क्या एलपीजी सिलेंडर के बिल में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम शामिल है तथा ओएमसीज़ द्वारा सालाना भुगतान की गई प्रीमियम की कुल राशि कितनी है, के

बारे में नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय के उत्तर में निम्नवत बताया:

"एक संक्षिप्त नोट नीचे दिया गया है:

- तेल विपणन कंपनियों (बीपीसी, आईओसी और एचपीसी) के पास अपने पंजीकृत एलपीजी ग्राहकों के लिए एक सार्वजनिक देयता बीमा योजना/नीति है। नीति को हर साल ओएमसीज़ द्वारा रोटेशन के आधार पर नवीनीकृत किया जाता है। दिनाँक 01.04.2020 से दिनाँक 31.03.2021 की अवधि के लिए, पॉलिसी मेसर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास है।

- प्रीमियम आईओसीएल:बीपीसीएल:एचपीसीएल द्वारा 50:25:25 के अनुपात में देय है।

- 0.27 रुपये की राशि एलपीजी रिफिल बिक्री से वसूली योग्य है।

- वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम रु. 41,28,82,000/- है।

1.117 जब पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी के तहत दावा किए गए/निपटाए गए मामलों की कुल संख्या और निपटाए गए दावों की कुल संख्या के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

वर्ष	निपटाए गए मामले (संख्या)	भुगतान की गई रकम (करोड़)
2017-18*	730	25.3

2018-19*	653	20.0
2019-20*	543	16.2
2020-21* (फरवरी 21 तक)	173	3.6

नोट: * दावे प्रक्रियाधीन हैं।

1.118 यह पूछे जाने पर कि ऐसी नीतियों के निपटान में अपनाई जाने वाली व्यवस्था क्या है और ग्राहक/उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, दावों का निपटान कैसे किया जाता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

- उपभोक्ता के एलपीजी इंस्टालेशन से जुड़ी किसी भी दुर्घटना के मामले में, ग्राहक को कॉर्पोरेशन के उस वितरक को तत्काल सूचित करना होगा जिससे उसने आपूर्ति प्राप्त की थी। जब भी एलपीजी से संबंधित किसी दुर्घटना की सूचना मिलती है, तो संबंधित वितरक/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय को सूचित किया जाता है।
- दावों का अंतिम निपटान संबंधित बीमा कंपनी द्वारा सीधे उनके द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट और ग्राहकों और तेल कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों/रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है, जो प्रचलित बीमा पॉलिसी के प्रावधानों और प्रत्येक मामले के गुण-दोष तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर किया जाता है। बीमा कंपनी संबंधित तेल कंपनी को निपटान दावा राशि भेजती है, जो बदले में इसे प्रभावित व्यक्तियों को भेजती है।
- बीमा कंपनी अपने अधिकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से चिकित्सा बिलों/संपत्ति के नुकसान आदि का अनुमान लगाती है और उपयुक्त शीर्ष के तहत पात्रता के अनुसार राशि को अंतिम रूप देती है। ग्राहक/उपभोक्ता की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पात्रता के अनुसार राशि जारी की जाती है। इसके बाद भुगतान ओएमसीज़ को हस्तांतरित कर दिया जाता है जिसे

संबंधित एरिया/क्षेत्र/टैरेटरी कार्यालय द्वारा विक्रेता कोड बनाने के बाद इसे संबंधित ग्राहक को जारी किया जाता है।

1.119 जब यह पूछा गया कि एलपीजी उपभोक्ताओं के बीच सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी के संबंध में जन जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और क्या ओएमसीज़ द्वारा अलग प्रावधान उपलब्ध कराए गए हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

• "नामांकन के समय ग्राहक को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की स्थिति में बीमा राशि की उपलब्धता के संबंध में शिक्षित किया जाता है।

• बीमा की उपलब्धता ग्राहक को दिए गए निर्देशों के तहत रिफिल कैश मेमो में छपी होती है।

• सुरक्षा क्लीनिकों के दौरान, ग्राहकों को बीमा उपलब्धता के बारे में शिक्षित किया जाता है

• ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं।

• ओएमसीज़ की वेबसाइट पर नीति दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं।"

1.120 यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसी द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के साथ एलपीजी उपभोक्ताओं को बीमा लाभ प्रदान करने का कोई प्रावधान है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

"तेल विपणन कंपनियों द्वारा ली गई सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी उन दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करती है जहां आग लगने का प्राथमिक कारण एलपीजी है, न कि उन मामलों के लिए जहां आग लगने

का प्राथमिक कारण अन्य स्रोत/कारण है जिसमें एलपीजी सिलिंडर घिर जाता है और बाद में फट जाता है।

ग्राहक के इंस्टालेशन से संबंधित किसी भी दुर्घटना के मामले में, ग्राहक को कॉर्पोरेशन के उस वितरक को तुरंत सूचित करना होता है जिससे आपूर्ति प्राप्त हुई थी। जब भी एलपीजी सिलिंडर से संबंधित दुर्घटना की सूचना मिलती है, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय को सूचित करता है। संबंधित बीमा कंपनी बीमा पॉलिसियों के प्रावधानों के अनुसार और प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर दावों के निपटान के संबंध में आगे निर्णय लेती है।

सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी सार्वजनिक डोमेन http://www.mylpg.in & पर ओएमसी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।"

1.121 समिति ने कहा कि कई मौकों पर बीमा कंपनियां मुआवजे का भुगतान नहीं करती हैं और गैस स्टोव की अनुचित स्थापना या सिलेंडर के स्थान जैसे मामूली आधार पर दावों को खारिज करने का प्रयास करती हैं। समिति ने जानना चाहा कि पीईएसओ आम लोगों को राहत देने के लिए क्या कदम उठा रहा है, जिस पर पीईएसओ के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"इसके लिए हमने ऑयल कंपनियों को निर्देशित किया है। उन्होंने गाइडलाइन बनाकर हमें सबमिट भी किया है।

... कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वह रोड पर हो या अन्य कहीं हो, यदि हम गलत हैं तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, अगर, इंवेस्टिगेशन में यह प्रूफ हो गया है कि इसने गलत तरीके से लगाया था या बिजली का तार लगाने की वजह से स्पार्क हुआ था, तो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में भी नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हमारे देश की जितनी भी

इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनमें इनबिल्ट होती हैं। हमने उनको गाइडलाइन दे दी है।"

1.122 यह पूछे जाने पर कि पिछले एक वर्ष के दौरान एलपीजी सिलिंडर विस्फोट/रिसाव से संबंधित कितनी दुर्घटनाएँ हुई हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

वर्ष 2019-20 के दौरान दुर्घटनाओं की कुल संख्या, जहां एलपीजी रिसाव आग का प्राथमिक कारण है, नीचे दी गई है।

अवधि	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	ओएमसी
2019-20	387	194	248	829

1.123 ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए वितरकों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए ओएमसी द्वारा की गई निवारक कार्रवाइयों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"ओएमसी ग्राहकों की सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए नियमित अभियान चलाती हैं। वितरकों के शोरूम में डिस्प्ले और डेमो-इंस्टॉलेशन के माध्यम से और आवास पर कनेक्शन की स्थापना के समय नए कनेक्शन जारी करने के समय ग्राहक शिक्षा प्रदान की जाती है। एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर निर्देशों वाले सुरक्षा पत्रक और घरेलू गैस ग्राहक कार्ड भी संदर्भ के लिए ग्राहक को सौंपे जाते हैं।

एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर सुरक्षा क्लीनिक और ग्राहक शिक्षा का आयोजन किया जाता है।

एलपीजी वितरकों को निर्देश दिया गया है कि ग्राहक द्वारा अपेक्षित सेवा शुल्क का भुगतान करने पर ग्राहक के परिसर में 5 साल में एक बार एलपीजी स्थापना की अनिवार्य जांच करें।

घरेलू रसोई में एलपीजी के उपयोग में सुरक्षा में सुधार के लिए सभी ग्राहकों के परिसरों में उपयोग के लिए ओएमसी द्वारा स्टील वायर सुदृढीकरण के साथ सुरक्षा एलपीजी नली के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कृंतक हमले और अग्नि लपटों को घटाता है।''

1.124 जागरूकता अभियान के संबंध में और एलपीजी से जुड़े सुरक्षा और जोखिम के बारे में आम लोगों को शिक्षित करने के संबंध में, 30.12.2019 को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि:

"अतीत में भी हमने यह किया है और अब भी हम एक व्यापक जागरूकता अभियान करने जा रहे हैं। 2018-19 में एक लाख से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया। मूल रूप से गरीब लोगों को लक्षित करने वाले सुरक्षा अभियानों को बढ़ाने के लिए ये सभी कदम उठाए गए हैं। ओएमसी द्वारा मोबाइल वाहनों, एनजीओ, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चलाया गया है. एलपीजी पंचायत में सेफ्टी मीजर्स बहुत महत्वपूर्ण कम्पोनेंट होता है। आईओसी ने अकेले 54,000

एलपीजी पंचायत पिछले साल की। इस तरह से सब मिलाकर 1 लाख चार साल में पंचायत की। इस साल 2019-20 में इनीशियल टार्गेट 50,000 पंचायत करने का है। जहां भी लोकेशन में समस्या है, उस एरिया में रेडियो जिंगल्स करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं और भी कई स्टैप्स प्रमोशन के लिए लेते हैं ताकि पब्लिक को इसका पूरा फायदा मिल जाए।"

1.125 समिति ने लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करने में तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा निभाई गई सटीक भूमिका को जानना चाहा, तो पीईएसओ के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि:

"मैं बताना चाहता हूं कि हम एलपीजी की सप्लाई चेन की सेफ्टी इन्श्योर करते हैं। मैं रिफाइनरी से शुरू करता हूं, यहां से एलपीजी निकलकर टैंकर में चली, हम टैंकर का लाइसेंस देते हैं, अगर वह कुछ गलत होता है तो उसे सस्पेंड करते हैं और लगातार इंस्पेक्शन भी करते हैं।

हम तो करते ही हैं, साथ में, हमने थर्ड पार्टी भी रखा है। जैसे यदि इयरली उनका सेफ्टी वॉल्व टेस्ट करना है, तो वे हमें ऑनलाइन रिपोर्ट देंगे और जब हम उस रिपोर्ट को ऑनलाइन देखते हैं, तभी उसको रिन्यू करते हैं। हम हर पांच साल में उस टैंकर का हाइड्रो टेस्ट करते हैं। उसके बाद वह बॉटलिंग प्लांट में आता है। बॉटलिंग प्लांट का अप्रूवल भी हम देते हैं। वह उसको सेफ्टी से भरता है। सिलेंडर में जो रेगुलेटर और वॉल्व लगता है, उनका मैन्युफैक्चिरिंग कहां होगा, किस डिजाइन से होगा, उसका निर्णय भी हम करते हैं। सिलेंडर उसी हिसाब से बने, उसको इंश्योर करने के लिए हमने टीपीआई अप्रूव कर रखा है। वे हर लॉट का इंस्पेक्शन करते हैं। जैसे वह हर पांच हजार लॉट पर इंस्पेक्शन करते हैं। वह रिपोर्ट भी हमारे पास आती है। उसके बाद, हम फिलिंग के लिए परमिशन देते हैं। इस तरह से हम रेगुलेटर और वॉल्व का भी इंस्पेक्शन करते हैं। हमने बॉटलिंग प्लांट पर एसओपी दी

हुई है कि वे कैसे भरेंगे और क्या भरेंगे? वहां वे लीक टेस्ट भी करते हैं। ये सब हम लगातार इंस्पेक्शन करते रहते हैं। बॉटलिंग प्लांट और रिफाइनिंग डिपो पाइपलाइन मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड प्रिमिसेस में आते हैं। हम इनका हर साल इंस्पेक्शन करते हैं। एमएसआईएचसी रूल में हमें मैंडेट किया गया है कि हर साल करना है। टीपीआई को भी करना है और हमें भी करना है। इस दौरान हम देखते हैं कि वे सिलेंडर कैसे भर रहे हैं? बॉडी लीक देखने के लिए उसको पानी में डुबाकर ले जाया जाता है। इन सारी चीजों के लिए पूरे एसओपी बने हुए हैं।"

1.126 समिति ने आगे गोदामों और गोदामों में सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जानना चाहा, जिस पर पेसो के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि:

"गोदाम के लिए सबसे पहले हम लोग लेआउट अप्रूव करते हैं। हम उसके साइट प्लान में देखते हैं कि 100 मीटर के दायरे में कुछ है तो नहीं। उसके बाद, लेआउट में, जो तीन मीटर या छः मीटर तक का सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए, उसको भी देखते हैं। दुनिया में भी ऐसे ही बने हैं। ये बहुत रिसर्च के बाद बने हैं। 12 हजार के.जी. का होगा तो उसके लिए 9 मीटर का सेफ्टी डिस्टेंस रहेगा। उसका फ्लोर एन्टी स्टैटिक होगा, जिससे स्पार्क न हो। ये सब इनबिल्ट सेफ्टी हैं। उसमें तार की एक जाली लगती है, ताकि उसमें उतना ही ऑक्सीजन आए, जिससे लीकेज होने की स्थिति में वह एक्सप्लोड न हो। यदि लीक हो भी गया, तो 9 मीटर के बाद वह एक्सप्लोसिव नहीं रह जाता है। वह डिस्बर्स हो जाता है। दुनिया में डिस्बर्समेंट टेक्नोलॉजी से देखा गया है कि 9 मीटर के बाद उसका एक्सप्लोसिव कैरेक्टर हवा के साथ मिक्स होकर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 9 हजार के.जी. है, तो डिस्टेंस 6 मीटर रहेगा। इसके लिए हम पहले उसके ड्राइंग को अप्रूव करते हैं और जब वह बना जाता है, तो उसको हम एक बार फिर से देखते हैं। क्योंकि, एक्सप्लोसिव एक्ट वाले जितने लाइसेंस हैं, उनको हम जाकर एक

बार देखते हैं। उसके बाद, उनको इंडोर्स करके देते हैं। पेट्रोलियम में थर्ड पार्टी के आधार पर देते हैं।"

1.127 समिति सुरक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों को अपनाने के बारे में जानना चाहती थी, जिसे पेसो के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"हमारे पास फायरवर्क्स रिसर्च एंड डेवलेपमेंट सेंटर है। फायरवर्क्स इंडस्ट्रीज़ में ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज़ेशन हो, ताकि एक्सीडेन्ट्स कम हो सकें, उसके लिए रिसर्च किया जा रहा है। हम नीरी के साथ मिलकर ग्रीन फायरवर्क्स डेवलेप कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाया था। अभी उसकी मैन्यूफैक्चरिंग कर रहे हैं। जैसा कि टाइप फोर सिलेंडर है, जो कि पूरा प्लास्टिक का होता है, हमने उसको इंट्रोड्यूज़ किया है। उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें करना था। पहले एलपीजी के टैंकर्स के बहुत-से एक्सीडेन्ट्स होते थे। उसमें जो एक्सेस फ्लो वॉल्व होता है, ट्रक पटलते ही वह टूट जाता था, तो अब हमने उसमें इंटर्नल एक्सेस फ्लो वॉल्व का प्रोविज़न कर दिया है, जिससे ट्रक पटलने के बाद भी वह लीक नहीं होगा। इससे बहुत से लोगों की जान बची है। हमने तीन-चार साल पहले यह काम किया है। हम लोग बहुत-सी जगहों पर ऐसे काम कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम माननीय समिति को इस तरह के कार्य बताएंगे।"

1.128 ऐसी घटनाओं के बाद ओएमसी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"घटना की विस्तृत जांच विशेषज्ञों की टीम कर रही है। मूल कारण विश्लेषण के आधार पर, उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करने जैसे निवारक उपाय किए जाते हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सुधार के लिए एलपीजी सिलिंडरों

के उत्पादन, भंडारण, वितरण की मौजूदा प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ओएमसी ने दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी ली है, जहां एलपीजी आग लगने का प्राथमिक कारण है।".

1.129 यह पूछे जाने पर कि क्या आरओ डीलरों और एलपीजी वितरकों पर वर्तमान में लागू मौजूदा पीईएसओ नियमों में समीक्षा और बदलाव की कोई आवश्यकता है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"खुदरा बिक्री डीलरशिप के लिए वर्तमान में लागू पीईएसओ नियम वांछित सुरक्षा पहलुओं को कवर करते हैं और ओएमसीज़ के इनपुट के आधार पर, पीईएसओ द्वारा आवश्यक संशोधन/बदलाव भी किया जा रहा है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, 2016 के चयन के लिए एकीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार, चयनित उम्मीदवार को आशय पत्र (एलओआई) में दिए गए समय में पेट्रोलियम और सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) सहित वैधानिक निकायों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित क्षमता के एलपीजी को स्टोर का निर्माण करना या पहले से निर्मित एलपीजी गोदाम उपलब्ध कराना आवश्यक है। वर्तमान में सरकार के पास मौजूदा नियमों में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

16. <u>ग्राहक केंद्रित पहलें</u>

1.130 पिछले एक वर्ष के दौरान ओएमसी द्वारा की गई ग्राहक केंद्रित पहलों के कारण उपभोक्ताओं को दिए जा रहे और प्राप्त किए जा रहे विशिष्ट लाभों का विवरण प्रदान करने के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

<u>"आरओ से संबंधित</u>

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और ईंधन खरीदते समय नकदी ले जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए ग्राहकों को 0.75% डिजिटल प्रोत्साहन दिया। कार्यान्वित की गई कुछ ग्राहक केंद्रित पहल इस प्रकार हैं:

- ईंधन, एलपीजी, और ल्यूब आदि की खरीद के लिए एकीकृत एचपी पे ऐप का शुभारंभ जो ग्राहक को नकदी की आवश्यकता के बिना डिजिटल रूप से सभी लेनदेन को पूरा करने में सक्षम बनाता है।

- फास्टैग के माध्यम से ईंधन भरने का विकल्प ताकि तेल और टोल भुगतान ओएमसी के फास्टैग के माध्यम से किया जा सके।

- ग्राहकों को घनत्व जांच, फिल्टर पेपर परीक्षण और मानक 5 लीटर डब्ल्यू एंड एम कैलिब्रेटेड माप द्वारा डिलीवरी की जांच के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रिटेल आउटलेटों पर अभियान चलाए जाते हैं।

• ओएमसी द्वारा रिटेल आउटलेटों के स्वचालन की एक प्रमुख पहल की गई है, जहां ग्राहकों के लाभ के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सक्रिय रिटेल आउटलेटों को स्वचालित किया गया है।

• एकीकृत भुगतान समाधान (आईपीएस) का कार्यान्वयन जो सुनिश्चित करता है कि "जो भरा गया है वह बिल किया गया है"।

• डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, ओएमसी ने खुदरा आउटलेट पर डिजिटल भुगतान अवसंरचना स्थापित की है।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

1. **व्हाट्सएप पर बुकिंग और स्थिति की** जांच करना:- ग्राहक अब व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर अपनी एलपीजी रिफिल बुक कर सकते हैं और बुक की गई रिफिल की स्थिति की अद्यतन जांच कर सकते हैं। यह प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित है और एलपीजी ग्राहकों के लिए 24 घंटे यह सुविधा निशुल्क सुविधा उपलब्ध है।

2. **अपग्रेड की गई वेबसाइट और मोबाइल** ऐप:- एलपीजी के लिए ग्राहक पोर्टल और मोबाइल ऐप को निर्बाध ग्राहक अनुभव के लिए अपग्रेड किया गया है और ग्राहकों को बेहतर सुविधा के लिए एकाधिक डिजिटल भुगतान विकल्प, त्वरित भुगतान लिंक, फीडबैक सिस्टम, स्टेटस ट्रैकिंग आदि नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

3. **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एलपीजी सेवाएं**:- एलपीजी सेवाएं जैसे रिफिल बुकिंग, स्थिति पूछताछ आदि अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ओएमसीज ने एलपीजी ग्राहकों के लिए एलपीजी सेवाओं को सरल और आनंदमय बनाने के

लिए अमेज़ॅन और पेटीएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ किया है। आईओसी और एचपीसी ने पेटीएम के साथ गठजोड़ किया है और बीपीसी ने अमेज़ॅन के साथ गठजोड़ किया है।

4. **ग्राहकों के साथ मिश्रित** सिलिंडर:-14.2 किलोग्राम सिलिंडर वाला ग्राहक डीबीसी के रूप में 5 किलोग्राम के सिलिंडर का विकल्प चुन सकता है। इससे ग्रामीण/बीपीएल परिवारों के ग्राहकों को मदद मिलेगी, जिन्हें डीबीसी (डबल बॉटल कनेक्शन) के रूप में 14.2 किलोग्राम के सिलिंडर को चुनने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह सुविधा आईओसी में उपलब्ध है।

5. कम/शून्य रिफिल वाले पीएमयूवाई ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने वाली एलपीजी पंचायतें/सुरक्षा क्लीनिक।

6. पाक प्रतियोगिताओं / नुक्कड़नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से ग्राहक शिक्षा और जागरूकता।

7. बाद के रिफिल की एलपीजी सब्सिडी से ऋण वसूली का आस्थगन- पीएमयूवाई के 79% ग्राहकों ने रिफिल और/या एलपीजी स्टोव पर ऋण लिया है। ऋण वसूली का आस्थगन 2018-19 के दौरान और चालू वर्ष में अगस्त'19 से जुलाई '20 तक सामर्थ्य में सुधार के लिए किया गया था।

8. पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो सिलिंडर के बजाय 5 किलो डबल बोटल कनेक्शन (डीबीसी) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य निरंतर उपलब्धता में सुधार करना और एलपीजी की वहनीयता से संबंधित समस्या का समाधान करना था।

9. जिन ग्राहकों ने 14.2 किलो के सिलिंडर के साथ पीएमयूवाई कनेक्शन लिया है, वे 5 किलो के कनेक्शन का लाभ उठाने के लिए अपने उपकरण की अदला बदली कर सकते हैं। भविष्य में, वे अपनी सुविधानुसार 14.2 किलोग्राम के सिलिंडर की फिर से अदला बदली कर सकते हैं।

10. झारखंड जैसी कुछ राज्य सरकारों ने अगस्त 2019 से मार्च 2020 के बीच पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त रिफिल (एक 14.2 किग्रा या दो 5 किग्रा रिफिल) प्रायोजित किए हैं।

11. उपभोक्ताओं की बढ़ती एलपीजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू की गई।

12. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत, सरकार 01.04.2020 से पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त एलपीजी सिलिंडर प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत पीएमयूवाई उपभोक्ता 14.2 किलो के अधिकतम 3 सिलिंडर का और 5 किलो के अधिकतम 8 सिलिंडर का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सिलिंडर के खुदरा बिक्री मूल्य के बराबर अग्रिम राशि रिफिल के भुगतान के लिए सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में भेज दी जाती है। अप्रैल 2020 के महीने में ओएमसी द्वारा 7.47 करोड़ पीएमयूवाई लाभार्थियों को 5859 करोड़ रूपए हस्तांतरित किए गए हैं।"

1.131 यह पूछे जाने पर कि क्या ओएमसी को लगता है कि उपभोक्ताओं को उनकी पहलों से वास्तव में सशक्त किया गया है मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी ने कहा है कि स्वचालन सुविधाओं ने ग्राहकों को बाद की तारीख में लेनदेन को सत्यापित करने में सक्षम बनाया है।

रिटेल आउटलेटों पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, कुछ ओएमसी ने ग्राहकों को लाभान्वित करने वाले अभियानों के दौरान अतिरिक्त कैशबैक योजनाएं चलाई हैं।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

हाँ, अब उपभोक्ता सशक्त हो गए हैं, क्योंकि वे अपनी रिफिल बुकिंग, डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं और डिजिटल भुगतान भी कर सकते हैं।
वे ओएमसी मोबाइल एप्लिकेशन और वेब एप्लिकेशन के माध्यम से भी सेवा शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। संभावित उपभोक्ता एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

ओएमसी(यों) द्वारा की गई पहलों से पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में इंस्टॉलेशन रीफिल पर पीएमयूवाई उपभोक्ताओं का प्रतिशत अप्रैल 2019 के 14% से घटकर अप्रैल 2020 तक 11% हो गया है।

साथ ही, प्रति पीएमयूवाई उपभोक्ता औसत एलपीजी रिफिल वित्त वर्ष 2018-19 में 2.85 से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 3.22 हो गया है।".

1.132 जब यह पूछा गया कि एलपीजी वितरकों द्वारा अब तक सिलेंडरों की होम डिलीवरी का प्रतिशत हासिल कर लिया गया है और ओएमसी/एलपीजी वितरकों के सामने देश के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में सिलेंडरों की 100% होम डिलीवरी

सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक बाधाएं क्या हैं, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण बाजारों में सभी ओएमसीज़ वितरकों को अपने परिचालन के क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों के पंजीकृत पते पर एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी के निर्देश हैं। केवल असाधारण परिस्थितियों में, भरे हुए सिलेंडर कैश-एंड-कैरी आधार (गैर-होम डिलीवरी) पर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाता।

दुर्गम क्षेत्रीय वितरकों (डीकेवी) के मामले में, वे कैश और कैरी आधार पर रिफिल की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है। यदि सिलिंडर की होम डिलीवरी नहीं होती है तो ग्राहक से लागू डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाता। देश के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित करने में ओएमसीज़ के सामने दुर्गम क्षेत्र और संचारतंत्र की चुनौतीपूर्ण बाधाएं हैं।"

1.133 आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएमसी द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

<u>**"आरओ से संबंधित:-**</u>

बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए ड्राइववे सेल्स पर्सन/डीलरों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। ओएमसी के हाउसकीपिंग मानकों के अनुसार रिटेल आउटलेट को पर्याप्त रूप से रोशन और साफ रखा जाता है। आवश्यक दवाओं के साथ रिटेल आउटलेट में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध है। रिटेल आउटलेट के कार्य घंटों के दौरान मुफ्त हवा भरने की

सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सभी रिटेल आउटलेट पर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। 61810 ओएमसी आरओ के कुल नेटवर्क में से, केवल 361 आरओ को छोड़कर जहाँ एक्सेस साइट की कमी है, 61449 आरओ में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

ओएमसी द्वारा रिटेल आउटलेट के स्वचालन की एक प्रमुख पहल की गई है, जहां ग्राहकों के लाभ के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी सक्रिय रिटेल आउटलेट को स्वचालित किया गया है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, ओएमसी ने रिटेल आउटलेट पर डिजिटल भुगतान अवसंरचना स्थापित की है। ओएमसी ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और ईंधन खरीदते समय नकदी ले जाने की आवश्यकता को कम करने के लिए ग्राहकों को 0.75% डिजिटल प्रोत्साहन दिया।

<u>एलपीजी से संबंधित</u>

नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधाजनक, आसान और प्रभावी तरीका रखने के लिए, उद्योग के आधार पर कॉल सेंटर के माध्यम से एक अद्वितीय टोल फ्री टेलीफोन नंबर 18002333555 संचालित है। दिए गए अन्य लाभ हैं -

- सिलिंडर की ऑनलाइन बुकिंग।
- 1906 लीकेज हेल्पलाइन।
- सीसीएस की शिकायत

- सुविधानुसार आईवीआरएस, एसएमएस, मोबाइल ऐप 24X7 बुकिंग सिलिंडर।
- डिजिटल भुगतान
- ऑनलाइन नया एलपीजी कनेक्शन
- पसंदीदा समय वितरण
- कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी"

1.134 यह पूछे जाने पर कि क्या एलपीजी सिलिंडरों का उपयोग करते समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए ओएमसी द्वारा कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए, ओएमसीज़ निम्नलिखित कदम उठा रही हैं:-

क. एलपीजी पंचायतों और सुरक्षा क्लीनिकों का संचालन करना जहां एलपीजी के उपयोग के विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की जाती है।

ख. बैनर सहित जन जागरूकता कार्यक्रम पोस्ट किए गए। एलपीजी से निपटने के लिए सुरक्षा युक्तियों को संलग्न करते हुए पैम्फलेट लगाए गए।

ग. पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वाहन, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि भी लगाए गए।"

1.135 यह पूछे जाने पर कि क्या एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई त[illegible] है, [illegible] ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"तेल विपणन कंपनियों के पास एक मानक ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली है जो वर्तमान में काम कर रही है जिसके लिए मोड और कार्यप्रणाली नीचे दी गई है:

टोल फ्री नंबर:

ग्राहक को अपनी शिकायत करने और ऐसी शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए एक अधिक सुविधाजनक, आसान और प्रभावी तरीका रखने के लिए, ओएमसी ने कॉल सेंटरों के माध्यम से शिकायत पंजीकरण के लिए विशिष्ट टोल-फ्री नंबरों का उपयोग करने की सेवा शुरू की है। देश भर में, ओएमसी का एक विशिष्ट नंबर 18002333555 है, जिसे ग्राहकों के लिए याद रखना आसान है। केवल पीएमयूवाई ग्राहक के लिए टोल फ्री नंबर 18002[illegible]96 [illegible]

कॉल सेंटर क्षेत्रवार संचालित होते हैं ताकि ग्राहकों को स्थानीय भाषा में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिल सके। ग्राहकों को एक पंजीकरण नंबर दिया जाता है और जो [illegible] शिकायतों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, वे उसी टोल-[illegible] [illegible] [illegible] कॉल सेंटरों पर कॉल कर सकते हैं।

ओएमसी द्वारा जारी किए जा रहे अधिकांश विज्ञापनों में टोल फ्री नंबर का प्रचार किया जाता है और इसे ओएमसी के वेब पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाता

वेब आधारित:

वर्तमान में ग्राहक ओएमसी की निम्नलिखित वेबसाइटों पर शिकायतें दर्ज कर सकते हैं:

www.iocl.com, www.indane.co.in.

www.bharatpetroleum.in, www.ebharatgas.com

www.hindustanpetroleum.com; www.hpgas.com

इसके अलावा एलपीजी ग्राहकों के लिए मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं जिनमें शिकायत पंजीकरण उपयोगिता भी दी गई है।

ग्राहक अपनी शिकायतों और शिकायतों को वेबसाइट पर पोस्ट/पंजीकृत कर सकते हैं, जिसमें शिकायतों और फीडबैक को स्वीकार करने की सुविधा है, जो स्थान के आधार पर स्वचालित रूप से क्षेत्र को निर्देशित की जाएगी।

देश भर में फैले सभी क्षेत्र/केंद्रीय शासित राज्य/अंचल कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रकोष्ठ (सीएससी) कार्य कर रहे हैं। यह सीएससी सभी कार्य-दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होता है। ग्राहक इन सीएससी से व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन पर, या डाक के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने या अपने सुझाव देने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है ताकि शिकायत का निवारण किया जा सके।

इन सीएससी के पते और टेलीफोन नंबर सभी वितरकों के शोरूम में प्रदर्शित होते हैं। इसके अलावा, अधिकांश वितरक सीएससी के टेलीफोन नंबर को भरे हुए सिलिंडर के साथ ग्राहकों को भेजे गए रिफिल वाउचर (कैश-मेमो) पर प्रिंट करते हैं। ग्राहकों के लाभ के लिए वितरकों के शोरूम में क्षेत्र अधिकारियों के संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

विभिन्न स्थानों पर तैनात एलपीजी क्षेत्र अधिकारी आम जनता और विशेष रूप से ग्राहकों के लिए पूर्व निर्धारित स्थान और समय पर संपर्क के लिए

उपलब्ध रहते हैं। वितरकों के शोरूम में इनका नाम, पता और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होते हैं।

एलपीजी रिसाव की सभी शिकायतों के लिए चौबीसों घंटे एलपीजी आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बर उपलब्ध है। कॉल सेंटर में शिकायतों को दर्ज करने और देखने के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन तैयार की जा रही है। इस वेब एप्लिकेशन में सभी एलपीजी वितरकों, आपातकालीन यांत्रिक सेवा और ओएमसी के फील्ड स्टाफ के टेलीफोन नंबरों का डेटा है। क्षेत्र/केंद्रीय शासित राज्य/क्षेत्र प्रबंधकों को कॉल लॉग की निगरानी और यांत्रिक और क्षेत्र अधिकारियों के संपर्क विवरणों को अपडेशन के लिए इस पोर्टल तक एक माध्यम प्रदान की जाती है ।

इसके अलावा, ग्राहक अपनी शिकायतों को लिखित रुप में निवारण के लिए निगम के विभिन्न कार्यालयों में दर्ज करा सकता है। अधिकारियों के पते वेबसाइट में दिए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालयों को भेजा जाता है।

इसके अलावा, रिफिल बुकिंग/डिलीवरी पर शिकायतों को कम करने के लिए, रिफिल बुकिंग के लिए आईवीआरएस/एसएमएस प्रणाली शुरू की गई है। ग्राहकों को रिफिल बुकिंग, कैश मेमो बनाने और रिफिल की डिलीवरी के उपरांत एक एसएमएस अलर्ट प्रदान की जाती हैं।"

1.136 एलपीजी सिलेंडरों की होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क लेने से रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"आईवीआरएस/एसएमएस रिफिल बुकिंग प्रणाली पूरे देश में शुरू की गई है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप से बचा जा सकता है और रिफिल बुकिंग में आने

वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को रिफिल बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान एसएमएस प्राप्त होते हैं। रिफिल डिलीवरी के लिए देय लागू खुदरा बिक्री मूल्य उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है। यह ग्राहकों को सशक्त बनाता है और उन्हें किसी भी गलत/गैर-डिलीवरी की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है।

ओएमसी ने वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के विभिन्न डिजिटल मोड और अमेज़ॅन पे, पेटीएम और फोन पे के अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग/भुगतान को सक्षम किया है, जिससे नकद लेनदेन और ओवरचार्जिंग की संभावनाएं समाप्त हो गई हैं।

इसके अलावा, ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने/कैश मेमो के लिए जोर देने और कैश मेमो के अनुसार भुगतान करने के लिए एलपीजी पंचायतों और सुरक्षा क्लीनिकों जैसे विभिन्न ग्राहक जुड़ाव कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। इन्हें ओएमसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।

नियमित निरीक्षण के दौरान ओवरचार्जिंग की जांच के लिए यादृच्छिक ग्राहक संपर्क किया जाता है।".

1.137 ऐसे घरेलू कनेक्शनों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विपथित न करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया:

"ऐसे एकाधिक कनेक्शनों की पहचान और उन्मूलन के लिए सरकार/ओएमसी द्वारा उठाए गए कदमों का, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि

सब्सिडी केवल वास्तविक लाभार्थी को दी जाय और व्यावसायिक क्षेत्र में इसके पथांतरण पर अंकुश लगाया जाए, विवरण निम्नानुसार है:

1. ग्राहकों की पहचान करने के लिए, पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र के साथ केवाईसी पहल शुरू की गई थी। केवाईसी नए नामांकन, स्थानांतरित मामलों, निष्क्रियता और अनब्लॉकिंग की अवधि के बाद पुनर्सक्रियन के समय एकत्र किए जाते हैं।

2. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी (डीबीटीएल) प्रारंभ किया गया जिसमें सब्सिडी तत्व ग्राहकों को उनके लिंक किए गए बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे डायवर्जन को बढ़ावा देने की संभावना समाप्त हो जाती है।

3. आधार, बैंक खातों, नाम और पते के आधार पर विभिन्न चरणों में इंटर / इंट्रा कंपनी डी-डुप्लीकेशन पर कई कनेक्शनों की पहचान की जाती है और ग्राहकों को कनेक्शन के आत्मसमर्पण या केवाईसी जमा करने के लिए उचित नोटिस देने के बाद अवरुद्ध कर दिया जाता है।

4. मौजूदा नाम और पते के आधार पर एकाधिक कनेक्शनों के केवल वास्तविक समय डी-डुप्लीकेशन द्वारा प्रवेश के समय जांच की जा रही है।

5. नवीनतम निर्देशों के अनुसार, 01.07.16 से सब्सिडी केवल एलपीजी में आधार सीडिंग वाले ग्राहकों के लिए शुरू की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि-

क. जिस व्यक्ति को सब्सिडी हस्तांतरित की जाती है उसका अस्तित्व है जिससे नकली घोस्ट कनेक्शन की संभावना समाप्त हो जाए।

ख. आधार नंबर के आधार पर डी-डुप्लीकेशन व्यक्ति के नाम पर बहु कनेक्शन की संभावना को समाप्त कर देता है।

ओएमसी द्वारा बहु/घोस्ट/फर्जी कनेक्शन के मामले में की गई कार्रवाई

क. संदिग्ध पाए गए ग्राहकों को या तो केंद्रीय स्तर से या वितरकों द्वारा उन्हें एसएमएस/पत्र के माध्यम से या तो केवाईसी फॉर्म जमा करके अपनी वास्तविकता साबित करने या अपने एलपीजी कनेक्शन छोड़ देने के लिए सूचित करने के बाद अवरुद्ध कर दिया जाता है।

ख. वितरकों/उनके कर्मचारियों द्वारा अनियमितताओं के सभी स्थापित मामलों में, संबंधित वितरकों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/वितरक समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

******

भाग-दो

सिफारिशें/टिप्पणियां

सिफारिश सं. 1

खुदरा बिक्री केंद्र और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन के दिशानिर्देश

1. समिति पाती है कि मई, 2002 से पहले खुदरा बिक्री केंद्रों के डीलरों का चयन डीलर सेलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाता था। हालांकि, 2003 में खुदरा बिक्री केंद्रों के डीलरों की नियुक्ति 3-स्तरीय अंक आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए की गई थी जसमें (क) पेश की गई भूमि का मूल्यांकन (ख) दस्तावेज/सूचना आधारित मूल्यांकन और (ग) साक्षात्कार शामिल थे। 2014 में खुदरा बिक्री केंद्र डीलर चयन दिशानिर्देश में संशोधन किए गए और खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों का चयन सरकारी अधिकारियों के समक्ष लाटरी निकालकर/बोली लगाकर किया गया। फिर 2018 में, ओएमसी ने देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में रिटेल आउटलेट डीलरशिप के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाने की प्रक्रिया का पुरःस्थापन कर न्यू डीलरशिप सेलेक्शन गाइडलाइन्स का कार्यान्वयन शुरू किया। समिति पाती है कि खुदरा बिक्री केंद्र व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर व्यवस्था में सुधार किए गए हैं।

2. हालांकि, समिति नोट करती है कि अदालतों में ढेर सारे कानूनी विवाद हैं जहां आवंटन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। समिति यह भी नोट करती है कि आवंटन की चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले भागीदारों/आवेदकों से फीडबैक प्राप्त करने का न तो कोई मेकैनिज्म है और न ही इस प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है। अतः समिति चाहती है कि मंत्रालय एक

फीडबैक सिस्टम विकसित करें और साथ ही, सिस्टम को सरल व सुचारू बनाने के लिए अध्ययन कराएं और रिटेल आउटलेट डीलरशिप व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन से उत्पन्न कानूनी विवादों को समाप्त करने या उन्हें कम करने की सरल व पारदर्शी प्रक्रिया को शामिल करें।

3. समिति यह भी नोट करती है कि भविष्य में ऑटोमोबाइल के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में एलएनजी, हाइड्रोजन व इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास हुआ है। साथ ही, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खुदरा बिक्री केंद्र भविष्य में इन विविध विकल्पों को पूरा करें, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय/ओएमसी खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन में शामिल करने के लिए इन दिशानिर्देशों की समीक्षा करें और उनमें सुरक्षा संबंधी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन खुदरा बिक्री केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का भी उपबंध हो।

सिफारिश सं. 2

अनुमोदन के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम

4. समिति पाती है कि खुदरा बिक्री केंद्र को शुरू करने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं, यथा, निविदा खोलने/लाटरी निकालने की प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच, प्रत्यय-पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन, आशय पत्र का जारी किया जाना, राज्य सरकारों के अलग-अलग विभागों/एजेंसियों से 10 से 12 अनापत्ति प्रमाण पत्रों को प्राप्त करना, निर्धारित शुल्क/निविदा राशि का जमा करना, खुदरा बिक्री केंद्रों का निर्माण, नियुक्ति पत्र जारी किया जाना और खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करना। प्रत्येक स्थान की जटिलता और प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में विलंब से आवंटन प्रक्रिया

ओएमसी के लिए और भी बोझिल व उबाऊ होती है। आगे यह भी पाया गया है कि खुदरा बिक्री केंद्रों को चालू करने की प्रक्रिया में विलंब विभिन्न तबकों से शिकायतें मिलने व ओएमसी द्वारा उन्हें मौजूदा नीति के अनुसार निपटाए जाने की वजह से भी होता है।

5. इस संबंध में, समिति पाती है कि वर्ष 2018 के विज्ञापन के एवज में 01.06.2021 तक 29,501 आशय पत्र जारी किए गए थे। हालांकि, इन कुल आशय पत्रों में से केवल एक तिहाई मामलों में ही अर्थात 10307 खुदरा बिक्री केंद्र ही चालू हो पाए हैं और बाकी 19,194 खुदरा बिक्री केंद्रों को तीन वर्षों के गुजर जाने के बाद भी अभी चालू किया जाना शेष है। समिति को बताया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समयबद्ध तरीके से मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने को लेकर राज्य सरकारों से सम्पर्क में है। साथ ही, मंत्रालय से भी राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि वे आवंटन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश का प्रस्ताव करें। अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्य सरकारों के लिए प्रारूप दिशानिर्देश का प्रस्ताव करें और साथ ही, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाएं जिससे कि रिटेल आउटलेट डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शीघ्र चालू कराने के लिए अनिवार्य अनुमोदन/क्लियरेंस व सांविधिक आवश्यकताएं राज्य स्तर/सरकार के स्थानीय स्तर पर शीघ्र प्राप्त की जा सके।

<u>सिफारिश सं. 3</u>

<u>प्रत्यय पत्रों का सत्यापन</u>

6. समिति नोट करती है कि ओएमसी खुदरा बिक्री केंद्र खोलने के स्थान के लिए आवेदकों के बीच लाटरी निकालती है या निविदा करती है। चयन अर्ह आवेदकों में से किया जाता है और इसका वर्गीकरण ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में

ऑफर की गई भूमि के आधार पर न कि आवेदकों के आधार पर किया जाता है। चयन होने के पश्चात आवेदक को एक पत्र जारी किया जाता है जिसमें प्रत्यय पत्रों के क्षेत्रीय सत्यापन (एफवीसी) के दौरान सभी अभिप्रमाणित फोटो प्रतियों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से कराए जाने की बात कही गई होती है।

7. समिति ने पाया कि नवंबर 2018 से पहले दस्तावेजों की संवीक्षा और सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई भूमि निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय दौरा तेल विपणन कंपनियों द्वारा किया जाता था जिन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता था। अतः चयन प्रक्रिया में सुधार किया गया और अब नवंबर, 2018 से लॉटरी के ड्रॉ और बोली खुलने की प्रक्रिया के माध्यम से केवल चयनित आवेदकों हेतु संवीक्षा तथा भूमि निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही निर्धारित तिथि तथा समय पर एफवीसी के समय अथवा एफवीसी के दौरान मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन निरस्त किया जाएगा।

8. समिति नोट करती है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच लॉटरी से ड्रॉ करने की शुरूआत करके खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि कुछ मामलों में लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से चयनित आवेदक चयन के पश्चात तथा प्रत्यय पत्रों के क्षेत्रीय सत्यापन के बाद यदि चयनित आवेदक अयोग्य पाए जाते हैं और जिन्हें उनका चयन रद्द होने की सूचना दी जाती है ऐसे अनेक आवेदक न्याय हेतु न्यायालय चले जाते हैं।

9. समिति का मत है कि इस प्रक्रिया को इस रीति से अधिक सुसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने के कारण आवेदन रद्द होने की संभावना क्षीण हो। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवार हेतु वीडियो अथवा एफएक्यू अथवा उसके साथ बैठक की जा सकती है जहां आवेदकों की शंकाओं का समाधान किया जा सके।

समिति महसूस करती है कि सभी आवेदकों को उन सभी दस्तावेजों तथा औपचारिकताओं की जानकारी दी जाए जिन्हें आवंटन होने पर पूरा किया जाना आवश्यक है ताकि सफल उम्मीदवारों के पास सभी दस्तावेज समय पर तैयार हों और कतिपय दस्तावेजी औपचारिकाताओं को पूरा न करने के कारण उनका आवेदन रद्द न हो। समिति यह भी नोट करती है कि चूंकि अंतिम विज्ञापन के दौरान प्रत्येक स्थल हेतु आवेदनों की औसत संख्या मात्र 5.1 है। अतः इससे प्रत्यय पत्रों के क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान आवेदन रद्द करने की संभावना कम होगी। समिति सिफारिश करती है कि प्रत्यय पत्रों का क्षेत्रीय सत्यापन निश्चित समय सीमा के आधार पर किया जाए और यदि इसी आवेदक के पास कतिपय दस्तावेज उपलब्ध न हों उसे इनकी व्यवस्था करने के लिए कुछ समय दिया जाए ताकि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आवेदक अनुकूल बनाया जा सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि क्षेत्रीय सत्यापन की चयन नीति में संशोधन किया जाए और इसे पहले किया जाए ताकि लाटरी से ड्रॉ होने के पश्चात आवंटन रद्द होने के मामलों में कमी लायी जा सके तथा इसके कारण होने वाली संभावित कानूनी लड़ाई से बचा जा सके।

सिफारिश संख्या 4

खुदरा बिक्री केंद्रों के स्थानों की पहचान

10. समिति को बताया गया है कि खुदरा बिक्री केंद्रों के खोलने के स्थानों की पहचान बाजार संभावना, वाणिज्यिक/न्यूनतम परिमाण पर तर्क विचार कर और दो बिक्री केंद्रों के बीच की दूरी जैसे पैरामीटरों के आधार संबंधित तेल कम्पनियों द्वारा की जाती है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (शहरी वितरक, ग्रामीण शहरी वितरक, ग्रामीण वितरक और दुर्गम क्षेत्रीय वितरक) खोलने के स्थानों की पहचान उपलब्ध रीफिल सेल संभावना के आधार पर की जाती है जिससे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

के अर्थक्षम ऑपरेशन की निरंतरता बनी रह सकती है। समिति नोट करती है कि एलपीजी वितरकों के चयन के निर्णय ओएमसी द्वारा आबादी, जगह की आर्थिक सम्पन्नता और नजदीक में मौजूदा वितरक से दूरी आदि के आधार पर किया गया था। देश मे आज राजमार्गों का व्यापक तरीके से विस्तार हो रहा है जहां प्रतिवर्ष सड़क नेटवर्क में हजारों किलोमीटर का इजाफा हो रहा है। वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जैसाकि विगत पांच वर्षों में 10 करोड़ से अधिक वाहनों की बिक्री हुई है और देश में घरेलू पर्यटकों को देखते हुए आवागमन भी बढ़ा है। समिति को बताया गया है कि लाभकारी अंतर्राज्यीय बोर्डरों, सड़क किनारें ट्रकों के ठहराव, हॉल्टिंग प्वाइंट, व्यापार केंद्र जैसे कारकों की वजह से कुछ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केंद्रों का जमावड़ा है।

11. समिति का मत है कि राजमार्गों में उनके उपयोगकर्ताओं के लिए ईंधन स्टेशन होने चाहिए थे जिससे यात्रा करने वाले लोग इनका व काफी संख्या में बने खुदरा बिक्री केंद्रों का इष्टतम उपयोग कर सके। समिति यह नोटकर आश्चर्यचकित है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है और न ही नए राजमार्गों के किनारे खुदरा बिक्री केंद्र खोलने के लिए भूमि आवंटन हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ कोई बैठक बुलाई है और समिति इस बात से क्षुब्ध है कि न ही मंत्रालय और न ही ओएमसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हालांकि, समिति को बताया गया है कि एनएचएआई ने ईंधन स्टेशनों समेत सुविधाओं के लए कुछ जगहों की पहचान की है जिनके लिए निविदा आमंत्रित की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के तल उपक्रमों ने अपनी निविदा भी प्रस्तुत की है।

12. समिति पाती है कि नई जगह वाहनों के घनत्व और उनकी संख्या संबंधी आकंड़ों के संकलन, उभरते स्मार्ट शहरों की संभावना, योजनागत तरीके से केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा बनाए जा रहे नए-नए राजमार्गों और खुदरा बिक्री केंद्रों व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विकास के आधार पर होनी चाहिए तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को चाहिए कि वे अपने तेल वितरण केंद्र बनाने के लिए राजमार्गों के किनारे भूमि के आवंटन हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ निश्चित रूप से चर्चा करें। अतः समिति सिफारिश करती है कि रिटेल आउटलेट व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोनों ही खोलने के लिए जगहों की पहचान करने में अत्यधिक सूक्ष्म, सक्रिय व वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि रिटेल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसियों को जगह का वितरण वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होने के अलावा उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लए पूरे देश में समान रूप से हो।

सिफारिश संख्या 5

पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्रों का विस्तार

13. समिति पाती है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार देश में ऑटो ईंधन की मांग में वृद्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जैसे कि राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों द्वारा चुने गए फुटकर बिक्री केन्द्रों के स्थानों को राज्य खुदरा विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है और तदनुसार, फुटकर बिक्री केन्द्रों के डीलरशिप खोलने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। समिति को सूचित किया गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिनांक 08.11.2019 की अधिसूचना के अनुसार सभी तेल कंपनियों को अधिसूचना की तारीख से नए फुटकर बिक्री केन्द्रों के अनुपात में

अपने 5% फुटकर बिक्री केन्द्र दूरदराज के क्षेत्रों में खोलने आवश्यक हैं। समिति को सूचित किया गया है कि सुदूर और दूर-दराज के क्षेत्रों में फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने में तेल विपणन कंपनियों को कुछ बाधाओं, जैसे कि मुश्किल इलाकों में रसद की समस्या, बुनियादी ढांचे और रखरखाव की अधिक लागत, निवेश पर कम रिटर्न (आरओआई) और विशेषकर पहाड़ी, पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थलों की कम उपलब्धता, का सामना करना पड़ता है । वर्ष 2019-2020 के दौरान तीन राज्य संचालित तेल विपणन कंपनियों ने दूर-दराज के क्षेत्रों में 266 फुटकर बिक्री केन्द्र खोले हैं।

14. समिति पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में निवेश पर कम रिटर्न और फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने में वाणिज्यिक गैर-व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय / तेल विपणन कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन /स्थलों के अधिग्रहण में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं / अड़चनों संबंधी मुद्दों को पहाड़ी राज्यों की सरकारों के साथ उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियां हर स्थिति में लाभ के लिए राज्य सरकारों/नगरपालिका निकायों/स्थानीय निकायों के साथ व्यावसायिक भागीदारी के प्रस्ताव का भी पता लगा सकते हैं। इसलिए समिति मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियों को पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रसद और स्थल की उपलब्धता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग समन्वय तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करती है ताकि सुदूर और दूर-दराज के क्षेत्रों में 5% फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियां मुश्किल स्थानों पर फुटकर बिक्री केन्द्र के डीलरों और एलपीजी वितरकों के लिए छूट /मार्जिन बढ़ाने की संभावना की समीक्षा करें ताकि उन्हें वित्तीय व्यवहार्यता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

सिफारिश संख्या 6

खुदरा बिक्री केन्द्रों की आवंटन नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी को शामिल करना

15. समिति नोट करती है कि आवंटन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत फुटकर बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में विभिन्न श्रेणियों के लिए एक आरक्षण प्रणाली है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 22.5 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक श्रेणी के आरक्षण के प्रतिशत का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानों को 200 पॉइंट रोस्टर के तहत रखा गया है। आरक्षण की इन मुख्य श्रेणियों में से प्रत्येक में महिलाओं, उत्कृष्ट खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानियों और रक्षा कर्मियों आदि जैसी उप-श्रेणियाँ हैं। समिति यह भी नोट करती है कि ये आरक्षण अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों, जहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण का प्रतिशत अधिक है, को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है।

16. समिति आगे यह नोट करती है कि केंद्र सरकार ने आरक्षण की एक नई श्रेणी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) निर्धारित की है, जिसे अब तक फुटकर बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए चयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियां फुटकर बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए आरक्षण में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को भी शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

सिफारिश संख्या 7

तेल विपणन कंपनियों की समग्र निधि योजना

17. समिति को अवगत कराया गया है कि तेल विपणन कंपनियां डीलरशिप प्रदान किये जाने के बाद आरक्षित स्थल के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संबंध में, तेल विपणन कंपनियां उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तावित और परस्पर सहमत नियमों और शर्तों पर कंपनियों द्वारा खरीदी गई जमीन पर आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार फुटकर बिक्री केन्द्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा यह सूचित किया गया है कि तेल विपणन कंपनियां डीलरशिप के संचालन के 7 दिनों के विक्रय के बराबर एक पूर्ण संचालन चक्र के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता/ऋण प्रदान करती है। कार्यशील पूंजी के साथ-साथ एसबीआई ऋण +1% प्रति वर्ष ब्याज या 11% प्रति वर्ष ब्याज, जो भी कम हो, डीलरशिप के चालू होने के 13 वें महीने से शुरू होने वाली 100 मासिक किस्तों में वसूल किया जाएगा। समिति यह भी पाती है कि ओएमसी, डीलरशिप शुरू होने के दो वर्षों के भीतर योजना के तहत अतिरिक्त कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराती है, और इससे पहले खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बिक्री में वृद्धि होनी चाहिए।

18. समिति, आरओ डीलरों और एलपीजी वितरकों को उपलब्ध कराई गई कार्यशील पूंजी सहायता पर ओएमसी द्वारा लगाए गए ब्याज घटक को ध्यान में रखते हुए, यह बताना चाहती है कि ओएमसी, सफल उम्मीदवारों द्वारा डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के समय जमा की गई सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज नहीं देती है। इसलिए, समिति, मंत्रालय/ओएमसी को आरओ और एलपीजी वितरकों द्वारा की गई सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज देने की सिफारिश करती है। समिति यह भी महसूस करती है कि ओएमसी को एससी और एसटी श्रेणियों और ईडब्ल्यूएस श्रेणी

से संबंधित उम्मीदवारों को ब्याज में कुछ छूट देनी चाहिए ताकि कॉर्पस फंड योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता वास्तविक प्रभावी हो सके और इसके अलावा, ओएमसी को ऋणों की अदायगी के बाद प्रभार की वसूली नहीं करनी चाहिए।

सिफारिश संख्या 8

खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों का कमीशन/मार्जिन

19. समिति खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों के कमीशन और मार्जिन का संज्ञान लेते हुए, पाती है कि मुद्रास्फीति और खुदरा बिक्री केंद्रों को चलाने में परिचालन लागत में वृद्धि के बावजूद, राज्य द्वारा संचालित ओएमसी ने वर्ष 2017 से आरओ डीलरों के मार्जिन में वृद्धि नहीं की है। इस संबंध में, समिति पाती है कि ईंधन की कम प्रदायगी, शौचालयों के रख-रखाव और आरओ डीलरों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में अक्तूबर, 2017 में ओएमसी द्वारा जारी वर्ष 2012 के विपणन अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों (एमडीजी) के संशोधन के प्रावधान ओएमसी और आरओ डीलरों के बीच विवाद के विषय बन गए हैं। समिति को पता चला है कि देश में खुदरा बिक्री केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता के साथ-साथ डीलरों में अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए समय-समय पर ओएमसी द्वारा एमडीजी में संशोधन किया जाता है। तथापि, समिति नोट करती है कि आरओ डीलरों के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ डीलरों के मार्जिन में वृद्धि को जोड़ने के लिए ओएमसी के दावे ने आरओ डीलरों के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। तदनुसार, कुछ डीलर/डीलर एसोसिएशन ने एमडीजी, 2012 में संशोधन, मजदूरी भुगतान सहित कार्यान्वयन को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है। तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और दिनांक 18.03.2020 के आदेश द्वारा निपटारा किया और

तत्पश्चात, ओएमसी ने मार्च, 2020 में सुनाए गए एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले के खिलाफ जवाबी हलफनामा भी दायर किया और तब से यह मुद्दा न्यायाधीन है।

20. उपरोक्त के मद्देनजर, समिति महसूस करती है कि खुदरा बिक्री केन्द्र, ओएमसी और ग्राहकों के बीच एक इंटरफेस हैं और ओएमसी की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समिति महसूस करती है कि आरओ डीलरों और ओएमसी के बीच मौजूदा संबंध खुदरा उद्योग के समग्र कामकाज के लिए अच्छे नहीं हैं, और इसलिए, मंत्रालय/ओएमसी को जल्द-से-जल्द एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए गम्भीर प्रयास करने की सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि डीलरशिप मार्जिन की एक व्यवस्थित प्रणाली लागू करने के लिए मंत्रालय/ओएमसी, देश में विभिन्न राज्यों के रहने की लागत, मूल वेतन संरचना और आर्थिक विकास में अंतर को देखते हुए आरओ डीलरों के लिए उपलब्ध दिशानिर्देशों की समीक्षा करे। वे डीलरों के कमीशन/मार्जिन को खुदरा मूल्य सूचकांक के साथ भी जोड़ सकते हैं। समिति महसूस करती है कि प्रत्येक संगठन को कानूनी उपायों के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण करने का संवैधानिक अधिकार है, और इसलिए आशा करती है कि मंत्रालय/ओएमसी संशोधित एमडीजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों के प्रति बदले की भावना के साथ कार्य न करें।

सिफारिश संख्या 9

ग्राहक हस्तांतरण नीति और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अव्यवहार्यता

21. समिति नोट करती है कि ओएमसी द्वारा पुराने वितरकों की बाजार सीमा और नए बनाए गए वितरकों के लिए व्यवहार्यता सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक हस्तांतरण नीति तैयार की गई है। इसके अलावा, इस नीति का उद्देश्य

अधिकतम सीमा के अनुरूप रीफिल बिक्री का युक्तिकरण सुनिश्चित करना और यह भी सुनिश्चित करना है कि नए डिस्ट्रीब्यूटरशिप व्यवहार्य सीमा तक पहुंचें। समिति को यह भी बताया गया है कि एलपीजी वितरकों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन को बनाए रखने के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री क्षमता के आधार पर की जाती है। रीफिल बिक्री की संभावना जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर, स्थान की आर्थिक समृद्धि और मौजूदा निकटतम वितरक से दूरी जैसे कई कारकों पर आधारित है।

22. समिति नोट करती है कि 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार, ओएमसी द्वारा विपणन योजना के तहत आवंटित 22,217 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में से से 7115 व्यवहार्यता सीमा से नीचे काम कर रहे हैं, जिसके बदले में व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए इसे तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है। समिति, नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पहचान के लिए वित्तीय व्यवहार्यता और रीफिल बिक्री क्षमता के मानदंड निर्धारित करने में विभिन्न कारकों को नोट करते हुए मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियों से अनुरोध करती है कि अपने ग्राहकों के बड़े हिस्से को नव स्थापित डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हस्तांतरित करके पुराने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मौजूदा व्यावसायिक व्यवहार्यता की अनदेखी न करें। इसके अलावा, समिति आशा करती है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा इन ग्राहक हस्तांतरण नीतियों का उपयोग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के युक्तिकरण की आड़ में हठी पुराने वितरकों के साथ हिसाब चुकता करने के लिए एक समीचीन उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

23. पीएमयूवाई योजना के तहत हासिल की गई शानदार वृद्धि के कारण एलपीजी विस्तार नीति संतृप्ति स्तर के करीब पहुंच गई है, ऐसे में भविष्य में एलपीजी वितरकों के साथ जुड़ने वाले नए ग्राहकों की संख्या मामूली होगी। समिति

चालू वर्ष के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों को अतिरिक्त एक करोड़ एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान को नोट करते हुए मंत्रालय को विपणन योजनाओं के तहत तेल विपणन कंपनियों की ग्राहक हस्तांतरण नीति की समीक्षा करने और देश में पुराने और नए, दोनों एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ उपयोगकर्ता के लिए सुगमता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करती है।

सिफारिश संख्या 10

खुदरा बिक्री केन्द्रों के डीलरों/एलपीजी वितरकों द्वारा मुकदमे

24. समिति नोट करती है कि फुटकर बिक्री केन्द्रों की डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में कई मुकदमे दायर किए गए हैं, और साथ ही भूस्वामियों द्वारा फुटकर बिक्री केन्द्र खोले जाने के लिए किये गए अपनी जमीनों के पट्टा करारों की समाप्ति पर तेल विपणन कंपनियों से अपनी जमीन खाली कराने के लिए भी मामले दर्ज किये गए हैं। विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन, तेल विपणन कंपनियों और फुटकर बिक्री केन्द्रों के डीलरों/एलपीजी वितरकों के बीच विवाद की जड़ बन गया है। समिति, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ग्राहक हस्तांतरण नीति के संबंध में यह भी नोट करती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मुकदमे लंबित हैं।

25. समिति पाती है कि तेल विपणन कंपनियां देश के विभिन्न न्यायालयों में कानूनी मुकदमे लड़ने के लिए काफी समय और पैसा खर्च कर रही हैं। इसलिए, समिति, मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियों से अदालतों में कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने से पहले अदालतों के बाहर मामलों/विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को संस्थागत बनाने का अनुरोध करती है। मंत्रालय,

तेल विपणन कंपनियों और फुटकर बिक्री केन्द्रों के डीलरों/एलपीजी वितरकों के बीच विवादों के समाधान के लिए पीएनजीआरबी को अधिकार देकर अपीलीय तंत्र या एक लोकपाल जैसी प्रणाली बनाने पर भी विचार कर सकता है ताकि तेल विपणन कंपनियों और उन भूस्वामियों, जो पट्टा समाप्त होने के बाद अपनी जमीन खाली कराना चाहते हैं, के बीच जल्द से जल्द निर्णय किया जा सके। इसलिए, समिति मंत्रालय को तेल विपणन कंपनियों के लंबित मुकदमों की स्थिति की समीक्षा करने और तदनुसार विवादों को निपटाने के लिए एक आंतरिक संस्थागत तंत्र बनाने की सिफारिश करती है ताकि तेल विपणन कंपनियों के बहुमूल्य समय और संसाधनों को बचाया जा सके।

सिफारिश संख्या 11

पट्टों की समाप्ति के बाद तेल विपणन कंपनियों द्वारा भूमि खाली करना

26. समिति नोट करती है कि तेल विपणन कंपनियां, देश में खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए भूस्वामियों के साथ पट्टा करार करती है जो पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद नवीकरणीय हैं। हालांकि, समिति नोट करती है कि कुछ मामलों में पट्टा करार करने के समय नवीनीकरण के लिए कोई खंड नहीं होते हैं। समिति को दी गई जानकारी के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां, संविदात्मक अधिकारों के तहत पट्टों को नवीनीकृत करने के विकल्प का प्रयोग करेगी और यदि भूस्वामी खुदरा बिक्री केन्द्रों की जमीनों के पट्टों का नवीनीकरण नहीं करते हैं, तो वह भूस्वामियों द्वारा दायर अदालती मामलों का बचाव करेंगी और जहां नवीनीकरण के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, तेल विपणन कंपनियाँ, पट्टों के नवीनीकरण या खरीद के लिए बातचीत/निपटान की संभावनाओं का पता लगाएंगी और बातचीत के विफल होने की स्थिति में तेल विपणन कंपनियां, उपलब्ध कानूनी कार्रवाइयों का पता लगाएंगी। समिति पाती है कि यह एमओपीएनजी के संख्या

आर-30024/56/ओ-7-एमसी नीति दिनांक 28-4-2010 के दिशा-निर्देशों के अनुसार है जिसका पालन तेल विपणन कंपनियों द्वारा किया जाता है।

27. समिति आगे पाती है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा दोनों मामलों, जहां फुटकर बिक्री केन्द्रों की जमीन के पट्टे के नवीनीकरण के लिए विकल्प उपलब्ध हैं और जहां नवीनीकरण के लिए विकल्प अनुपलब्ध है, में कानूनी कार्रवाइयों का पता लगाने के लिए अपनाए गए विकल्प अनुचित और असंगत प्रतीत होते हैं। जिन भूस्वामियों ने तेल विपणन कंपनियों के साथ सद्भावपूर्वक पट्टा करार किये हैं, उनके पास तेल विपणन कंपनियों से कानूनी और विधिक रूप से स्वामित्व वाली अपनी जमीनों को खाली करने के लिए कानूनी मामले दर्ज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। भूस्वामियों के लिए ये प्रक्रियाएं बोझ बन जाती हैं और कई वर्षों तक विभिन्न अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें काफी खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि भूस्वामियों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि पट्टों की समाप्ति के बाद उनके नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में तेल विपणन कंपनियां कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी। समिति महसूस करती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होने के नाते तेल विपणन कंपनियों को संविदात्मक समझौतों का सम्मान करना चाहिए और यह प्रावधान करे जिसमें दोनों पक्षों के पास समझौतों को नवीनीकृत या समाप्त करने का अधिकार हो।

28. समिति मंत्रालय को दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने और इस मुद्दे पर मुकदमों की संख्या की समीक्षा करने और अपने 2010 के दिशा-निर्देशों में आवश्यक बदलाव करने की सिफारिश करती है ताकि छोटे शहरों और कस्बों में भूस्वामियों को बिना किसी कठिनाई के अपनी जमीन वापस मिल सके, यदि वे जमीन के पट्टों का नवीनीकरण नहीं चाहते हैं।

सिफ़ारिश संख्या. 12

विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी)

29. समिति पाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ वर्ष 1982 से एमडीजी लागू कर रही है ताकि खुदरा आउटलेट डीलरों द्वारा पेट्रोल और डीजल और एलपीजी वितरकों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के विपणन और वितरण के क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यावसायिक नैतिकता और संतोषजनक ग्राहक सेवा को लागू किया जा सके। प्रशासनिक दिशानिर्देशों के अनुसार, इन एमडीजीए को अंतिम उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विक्रेताओं और वितरकों द्वारा सुरक्षित हैंडलिंग प्रक्रियाओं के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों की सही गुणवत्ता और मात्रा देने के लिए लागू किया जाता है। इसके अलावा, डीलरों और वितरकों के कर्मचारियों के बीच समान वर्दी कोड के साथ उपभोक्ताओं के साथ विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करना भी देश में डीलरशिप नेटवर्क पर इन दिशानिर्देशों का हिस्सा रहा है। इसके अलावा, डीलरों और वितरकों के कर्मचारियों के बीच समान वर्दी कोड के साथ-साथ उपभोक्ताओं के साथ विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करना भी देश में डीलरशिप नेटवर्क पर इन दिशानिर्देशों का हिस्सा रहा है। ये दिशानिर्देश पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण में किसी भी प्रकार के कदाचार और अनियमितताओं के लिए दंड प्रावधानों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी निर्धारण करते हैं जिसमें बिक्री/आपूर्ति के निलंबन, जुर्माना लगाने और टर्मिनेशन शामिल हैं।

30. हालांकि, समिति को देश में एमडीजी को लागू करने में तेल विपणन कंपनियों की जबरदस्त रणनीति के कुछ उदाहरणों के बारे में ज्ञात हुआ है जैसे कि गोदामों और शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच अनिवार्य वर्दी कोड के अनुरूप एलपीजी वितरकों पर अत्यधिक जुर्माना लगाना। एलपीजी संगठनों ने बताया है कि तेल विपणन कंपनियाँ अपने अनुचित मासिक लक्ष्यों को पूरा करने

के लिए आवश्यक मांग से परे, वितरकों को एलपीजी सिलेंडरों की अत्यधिक आपूर्ति भेज रहा है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि गैर-घरेलू और गैर-छूट (एनडीएनई) एलपीजी खुदरा विक्रेता तेल विपणन कंपनियों के साथ-साथ गरीब ग्राहकों को वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर भारी कीमतों पर और वही सिलेंडर कुछ उच्च श्रेणी के होटलों को एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से सीधे स्टॉक उठाकर बहुत ही उचित कीमतों पर बेच रहे हैं।

31. एमडीजी के उल्लंघन हेतु तेल विपणन कंपनियों द्वारा आरओ और एलपीजी वितरकों पर मौद्रिक दंड का संज्ञान लेते हुए, समिति ने मंत्रालय/ तेल विपणन कंपनियों से ऐसे मामलों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की है कि सभी तेल विपणन कंपनियाँ पूरे देश में एमडीजी उल्लंघनों के अनुरूप दंड लगाएँ ताकि इस तरह के फैसले एकतरफा न हो और कोई मनमानी न हो। इसके अलावा, समिति एलपीजी वितरकों पर तेल विपणन कंपनियों की जबरदस्त कार्यनीति के बारे में चिंतित होने के कारण, मंत्रालय/ओएमसी को खुले बाजार में ग्राहकों को उचित रूप से निर्धारित कीमतों पर वाणिज्यिक सिलेंडरों की बिक्री को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है और संभवत: ऐसी बिक्री को ऑनलाइन बिक्री की अनुमति की तरह ही, प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से पारदर्शी रखा जाना चाहिए।

सिफ़ारिश संख्या. 13

मोबाइल ब्राउजर्स और डिस्पेंसर्स के माध्यम से पेट्रोल और डीजल की बिक्री

32. समिति पाती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, ब्राउजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजी सेटों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा अर्थ मूविंग उपकरण के लिए डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति पीईएसओ द्वारा दी गई है। यह भी सूचित किया गया है कि एमएस

एचएसडी नियंत्रण आदेश, 10.12.2019 में संशोधन के अनुसार, तेल विपणन कंपनियाँ आरओ डीलरों को सख्त अनुपालन हेतु सलाह जारी करती हैं और घर-घर/सड़क किनारे डिलीवरी द्वारा किसी भी प्रमाणित कदाचार होने पर ओएमसी और आरओ डीलरों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के प्रावधान के तहत ओएमसीएस द्वारा दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा मोबाइल ब्राउजर्स के नमूने लेने और जब्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। समिति को रिटेल आउटलेट एसोसिएशन द्वारा इन ब्राउज़रों और मोबाइल डिस्पेंसर द्वारा सड़क किनारे ग्राहकों को ईंधन की अनधिकृत बिक्री करके इन दिशानिर्देशों के घोर उल्लंघन करने के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि, समिति ने नोट किया है कि राजस्थान के बारां जिले में मार्च, 2021 में रिपोर्ट किए गए एक मामले को छोड़कर, सरकारी एजेंसियों द्वारा सड़क किनारे ग्राहकों को डीजल की आपूर्ति करने के लिए पीईएसओ की अनुमति के दुरुपयोग की सूचना नहीं दी गई है।

33. समिति कानूनी रूप से अनुमत तंत्र के अलावा, सड़क किनारे ग्राहकों को ऑटो ईंधन की बिक्री के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करती है जो कि अवैध है। सड़क किनारे व्यक्तिगत ग्राहकों को ऑटो ईंधन की अनधिकृत खुदरा बिक्री ऑटो ईंधन की अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति और अंतर्निहित सार्वजनिक सुरक्षा खतरों को देखते हुए जोखिमों से भरा है और और यह ब्राउज़र को निवेश के अंश पर मिनी रिटेल आउटलेट के रूप में संचालित करने के लिए भी तैयार करेगा। इसलिए समिति, मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों से नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मोबाइल ब्राउसर्स और डिस्पेंसर के मूवमेंट की सख्ती से निगरानी करने की अपेक्षा करती है और तदनुसार समिति तेल विपणन कंपनियों और पीईएसओ को एमएस और एचएसडी नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों की बेहतर

निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार करने के साथ-साथ ऐसे आदेशों के उल्लंघन के लिए अनुकरणीय दंडात्मक कार्रवाइयों के लिए मौजूदा वैधानिक प्रावधानों की भी सिफ़ारिश करती है।

सिफारिश सं. 14

एलपीजी उपभोक्ता सेवाओं को बढ़ाना

34. समिति नोट करती है कि ओएमसी ने ग्राहक केंद्रित अनेक पहल शुरू की हैं जिसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु ग्राहकों को प्रोत्साहन देना, ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता तथा मात्रा की जांच करने हेतु दौरा कर प्रोत्साहित करना, खुदरा केंद्रों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने हेतु खुदरा केंद्रों का स्वतः ऑटोरोटेशन शामिल है। इसी तरह एलपीजी रीफिल बुकिंग, व्हाट्स एप पर अद्यतन जानकारी की जांच, डिजिटल भुगतान विकल्प, 14.2 किग्रा. सिलेंडर की बजाय 5 किग्रा. सिलेंडर प्राप्त करने का प्रावधान, एलपीजी पंचायत, पीएमयूवाई ग्राहकों पर विशेष ध्यान के साथ सुरक्षा क्लिनिक, होम डिलिवरी, ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर, कनेक्शनों की पोर्टबिलिटी आदि। समिति नोट करती है कि ग्राहक खुदरा केंद्रों पर साफ-सुथरे शौचालय, निःशुल्क हवा, पीयूस, आईवीआरएस का प्रावधान, ऑनलाइन बुकिंग तथा वाटर कूलर जैसे प्रावधानों की शुरूआत करते हुए खुदरा बिक्री केंद्रों पर भूलभूत सुविधाओं और ग्राहक अनुभव प्रदान करके ओएमसी ने अच्छा काम किया है। राजमार्गों पर स्थित केंद्रों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए।

35. समिति चाहती है कि सभी खुदरा केंद्रों तथा एलपीजी वितरकों पर इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। नोटिस बोर्ड पर उक्त सुविधाओं को उल्लेखित कर ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। खुदरा केंद्रों तथा एलपीजी वितरकों अर्थात दोनों के स्टाफ को ग्राहकों के साथ शालीन और

अच्छा व्यवहार करने हेतु संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। ओएमसी को अपने मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों के बेहतर अनुभव के लिए प्रयास करना चाहिए।

36. समिति चाहती है कि ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाए जाने को एक निरंतर तथा विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जहां देश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट सेवा मानक उपलब्ध हों। समिति सिफारिश करती है कि ग्राहक सेवा के लिए तृतीयक पार्टी लेखापरीक्षा हेतु तंत्र होना चाहिए और ओएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक तथा खुदरा केंद्रों का अनुभव खुशनुमा हो।

सिफारिश सं. 15

सार्वजनिक दायित्व पॉलिसी

37. समिति नोट करती है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा पॉलिसी को तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिया जाता है जो मुख्य रूप से एलपीजी की वजह से लगी आग की दुर्घटनाओं में हुए नुकसान को कवर करती हैं। किसी दुर्घटना के मामले में यदि कस्टमर इंस्टालेशन शामिल हो तो ग्राहक को कारपोरेशन वितरक को बताना होगा जिससे आपूर्ति प्राप्त की गई थी जिसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी बीमा कंपनी के स्थानीय अधिकारी को उक्त जानकारी देगा जो पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार दावों के निपटान के बारे में आगे निर्णय लेगा।

38. व्यक्तिगत दुर्घटना अर्थात मृत्यु के मामले में प्रति व्यक्ति 6 लाख रूपए चिकित्सा व्यय हेतु 30000 रूपए और संपत्ति का नुकसान होने पर 2 लाख रूपए कवर किए गए हैं। पॉलिसी का प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाता है और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा 50:25:20 के अनुपात में प्रीमियम देय होता है। रिफिल की बिक्री से 0.27 रूपए की राशि वसूली योग्य होती है। समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान 730 मामलों का निपटान किया गया

और 25.3 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह वर्ष 2018-19 के दौरान 20 करोड़ रूपए का भुगतान कर 653 मामलों को निपटाया गया और वर्ष 2019-20 में 16.2 करोड़ रूपए का भुगतान कर 543 मामलों को निपटाया गया।

39. समिति नोट करती है कि पीएमयूवाई योजना की वजह से ग्राहक आधार बढ़ा है, रसोई सिलेंडर का उपयुक्त स्थान तथा स्टोव वेंटिलेशन आदि के डिजाइन सहित सुरक्षित खाना बनाने की प्रक्रिया के साथ-साथ इस पॉलिसी के ब्यौरे के बारे में एलपीजी ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है और मास मीडिया का उपयोग करते हुए जागरूकता अभियान को मिशन मॉड में चलाया जाना चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस जागरूकता का प्रसार भी किया जाना चाहिए कि यदि किसी मामले में मुख्य रूप से एलपीजी की आग की वजह से चोट/संपत्ति नुकसान या मृत्यु होती है तो संबंधित व्यक्ति बीमा कंपनी पर दावा कर सकते हैं। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय दावा निपटान की प्रक्रिया की समीक्षा करे और इसे आसान बनाएं तथा समिति यह भी सिफारिश करती है कि ओएमसी द्वारा शुरू की गयी सार्वजनिक दायित्व बीमा पॉलिसी का भी उसे प्रचार करना चाहिए।

नई दिल्ली;
अगस्त, 2021
श्रावण, 1943 (शक)

रमेश बिधूड़ी
सभापति,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति ।

कार्यवाही सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20)

चौथी बैठक

(12.12.2019)

समिति की बैठक गुरूवार, 12 दिसंबर, 2019 को 1500 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष सी, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री रमेश बिन्द
4. श्री गिरीश चन्द्र
5. श्री नारणभाई काछड़िया
6. श्री संतोष कुमार
7. श्री रोड़मल नागर
8. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
9. श्री एम. के. राघवन
10. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
11. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
12. श्री लल्लू सिंह
13. श्री विनोद कुमार सोनकर
14. श्री अजय टम्टा
15. श्री राजन बाबूराव विचारे

राज्य सभा

16. श्री नारायण दास गुप्ता
17. श्रीमती कान्ता कर्दम
18. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
19. श्री के.के. रागेश
20. श्री ए. विजयकुमार

सचिवालय

1. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3. श्री तीर्थंकर दास	-	अपर निदेशक
4. श्री विनय प्रदीप बारवा	-	उप सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि

1.श्री राजीव बंसल	-	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
2.श्री आशीष चटर्जी	-	संयुक्त सचिव (गैस मूल्य निर्धारण) और (विपणन प्रभारी)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि

1. श्री संजीव सिंह	-	चेयरमैन, आईओसीएल
2. श्री मुकेश कुमार सुराना	-	सीएमडी, एचपीसीएल
3. श्री गुरमीत सिंह	-	निदेशक (विपणन), आईओसीएल
4. श्री अरूण सिंह	-	निदेशक (विपणन), बीपीसीएल
5. श्री राकेश मिसरी	-	निदेशक (विपणन), एचपीसीएल

2. सर्वप्रथम, समिति के माननीय सभापति ने खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन विषय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित समिति की बैठक में समिति के सदस्यों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इसके बाद, अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने सहयोगियों का समिति से परिचय कराया और सभा की अनुमति से मंत्रालय के प्रतिनिधि ने इस विषय पर पॉवर प्वाइंट प्रस्तुती दी। पॉवर प्वाइंट प्रस्तुती के बाद, अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी दी।

3. तत्पश्चात, समिति के सदस्यों ने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थलों का फील्ड निरीक्षण करने का मानदंड, आर. ओ. आवेदकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, आर.ओ. आवेदकों द्वारा की गई प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं करने और आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा जैसे विषयों से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

4. इसके अलावा, आर. ओ. और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही आरक्षण नीति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, ओएमसी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कायिक निधि से उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता, एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा बंद किए गए आरओ की संख्या तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कुल संख्या में से उच्चतम सीमा से कम मात्रा बेचने वाले एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के स्वामित्व वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रतिशत से संबंधित आंकड़ों पर भी चर्चा की गई।

5. इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडरों की सुपुर्दगी से संबंधित अंतिम माइल कनेक्टिविटी, ग्राहक सेवा, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का व्यापक कवरेज तथा सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों में इनका न होना, पेट्रोल पम्पों पर साफ शौचालयों और सुविधाओं की आवश्यकता, गांव के रिकॉर्डों और विज्ञापन में दिए गए गांवों के नामों में अंतर, डीलरशिप संविदाओं को समाप्त किए जाने, पारगमन रिसाव रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों को भरने में विलंब और पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन के परिवहन में कठिनाईयों से संबंधित प्रश्नों जैसे अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे।

6. इसके बाद, सभापति ने मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा, जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, मंत्रालय को 15 दिनों के अंदर इनके उत्तर सचिवालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

7. बैठक की कार्यवाहियों का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2019-20)

पांचवीं बैठक

(30.12.2019)

समिति की बैठक सोमवार, 30 दिसंबर, 2019 को 1100 बजे से 1315 बजे तक समिति कमरा सं. 2, संसदीय सौध विस्तार भवन, ब्लॉक-ए, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

<u>सदस्य</u>

<u>लोक सभा</u>

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्री नारणभाई काछड़िया
5. श्री रोड़मल नागर
6. श्री चंद्र शेखर साहू
7. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
8. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
9. श्री लल्लू सिंह
10. श्री विनोद कुमार सोनकर
11. श्री अजय टम्टा

राज्य सभा

12. श्री नारायण दास गुप्ता
13. श्रीमती कान्ता कर्दम
14. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
15. श्री ए. विजयकुमार
16. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी	-	संयुक्त सचिव
2. श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3. श्री तीर्थंकर दास	-	अपर निदेशक
4. श्री मोहन अरूमाला	-	अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डॉ. एम. एम. कुट्टी	-	सचिव
2. श्री आशीष चटर्जी	-	संयुक्त सचिव

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि

1. श्री डी. राजकुमार	-	सीएंडएमडी, बीपीसीएल
2. श्री मुकेश कुमार सुराना	-	सीएंडएमडी, एचपीसीएल
3. श्री गुरमीत सिंह	-	निदेशक (विपणन), आईओसीएल
4. श्री अरूण सिंह	-	निदेशक (विपणन), बीपीसीएल

5. श्री राकेश मिसरी - निदेशक (विपणन), एचपीसीएल
6. श्री विज्ञान कुमार - कार्यकारी निदेशक (रिटेल), आईओसीएल
7. श्री रवि पी. एस. - कार्यकारी निदेशक (रिटेल), बीपीसीएल
8. श्री एस. के. सूरी - कार्यकारी निदेशक (रिटेल), एचपीसीएल
9. श्री सुनील माथुर - कार्यकारी निदेशक (एलपीजी), आईओसीएल
10. श्री पीताम्बरन टी. - कार्यकारी निदेशक (एलपीजी), बीपीसीएल
11. श्री ए. के. जैन - कार्यकारी निदेशक (एलपीजी), एचपीसीएल

2. सर्वप्रथम, समिति के माननीय सभापति ने खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन विषय के संबंध में मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित बैठक में समिति के सदस्यों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने से पूर्व उन्हें आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं। तत्पश्चात, सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने सहयोगियों का समिति से परिचय कराया और इस विषय से संबंधित मुद्दों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी।

3. तत्पश्चात, समिति ने खुदरा बिक्री केंद्रों के आवंटन के मानदंड, वर्ष 2018 के दौरान आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या, कुल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कवरेज, नए खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) को खोलने में विलंब का कारण, प्रदायगी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ओएमसी द्वारा उठाए गए कदम, डीलर चयन बोर्ड को भंग करने और वर्ष 2014 में तेल कंपनियों को डीलरशिप के चयन की जिम्मेदारी देने का औचित्य, आरओ और एलपीजी डीलरशिप की चयन प्रक्रिया को सरल बनाने एवं उसमें पारदर्शिता लाने के लिए किए गए उपायों, खुदरा बिक्री केंद्रों के व्यक्तिगत आवेदकों की शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र, वाणिज्यिक इकाइयों को सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडरों, जो कि घरेलू उपयोग के लिए अभीष्ट था, के विपथन को रोकने, पीएम उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का विस्तार, वर्ष 2020

में दिए जाने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की अनुमानित संख्या, ईंधन में मिलावट को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करना, एलपीजी सिलेंडरों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान और खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के मौजूदा नियमों और विनियमों का सख्ती से प्रवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

4. इसके अलावा, सदस्यों ने देश के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों को घर पर पहुंचाने के लिए अधिक मूल्य लेने, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन में यथा इंगित पीएमयूवाई के कार्यान्वयन में अनियमितता, बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए एलपीजी ग्राहकों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने की आवश्यकता, समयबद्ध तरीके से निरीक्षण करना, शहरी क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध सुपुर्दगी, बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों के आने से तेल उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव, आरओ का आवंटन निर्धारित करने के लिए लॉटरी प्रणाली का कार्यान्वयन और राजस्व रिकॉर्ड में मौजूदा गांवों का न होने जैसी व्यावहारिक बाधाओं एवं चुनौतियों पर भी चर्चा की।

5. इसके अलावा, एलपीजी सब्सिडी के प्रावधानों पर निजीकरण का प्रभाव, भारत में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन का अनुपात, एलपीजी कनेक्शन से पीएनजी कनेक्शन में परिवर्तन, आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में ओएमसी द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति के अधीन ईडब्ल्यूएस श्रेणी को सम्मिलित करने, पेट्रोल पम्पों पर गुणवत्तापूर्ण ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने, आरओ के निकट पेड़ लगाने, रीफिल किए हुए सिलेंडर का विकल्प चुनने वाले पीएमयूवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या, कतिपय क्षेत्रों में आरओ का क्लस्टर बनाए जाने का कारण, ग्राहकों को छोटे आकार के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति, एलपीजी पंचायतों में सुरक्षा जागरूकता अभियान, निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा एलपीजी डीलरों का शोषण रोकने, सुरक्षा मानकों के अनुपालन में घरों को सुरक्षा प्रमाण पत्र

देने का प्रावधान, आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदकों के लिए शीघ्र मंजूरी देने और आरओ मालिकों और एलपीजी वितरकों द्वारा दुर्व्यवहार के सिद्ध मामलों में दिए जाने वाले दंड जैसे अन्य मुद्दे भी चर्चा के लिए आए।

6. इसके बाद, सभापति ने साक्षियों को अपने विचार रखने और सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा, जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, मंत्रालय को 15 दिनों के अंदर इनके उत्तर सचिवालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

7. बैठक की कार्यवाहियों का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही सारांश

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

तेरहवीं बैठक

(08.03.2021)

समिति की बैठक सोमवार, 8 मार्च, 2021 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कमरा सं. 'ई ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री संतोष कुमार
4. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
5. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
6. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
7. श्री लल्लू सिंह
8. श्री विनोद कुमार सोनकर
9. श्री अजय टम्टा

राज्य सभा

10. श्री नारायण दास गुप्ता
11. श्रीमती कान्ता कर्दम
12. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
13. डा. भागवत कराड़
14. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी	-	अपर सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्री विनय प्रदीप बैरवा	-	अपर निदेशक
4.	श्री मोहन अरूमाला	-	अवर सचिव

<u>अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) के प्रतिनिधि</u>

1. श्री अजय बंसल - अध्यक्ष, एआईपीडीए
2. श्री राम निवास मित्तल - सचिव, एआईपीडीए
3. श्री नितिन प्रकाश गोयल - कोषाध्यक्ष, एआईपीडीए

<u>ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (एआईएलडीएफ) के प्रतिनिधि</u>

1. श्री चंद्र प्रकाश - अध्यक्ष, एआईएलडीएफ
2. श्री पी.एन. सेठ - कार्यकारी अध्यक्ष, एआईएलडीएफ
3. श्री मनोज नांगिया - सचिव, एआईएलडीएफ

2. सर्वप्रथम, समिति के माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) और ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन (एआईएलडीएफ) के प्रतिनिधियों का आयोजित बैठक में स्वागत किया और बताया कि बैठक 'खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरकों के आवंटन' विषय पर आरओ और एलपीजी संघों के विचारों को सुनने के लिए बुलाई गई थी। इसके बाद दोनों संघों के प्रतिनिधियों ने समिति से अपना परिचय कराया ।

3. इसके बाद, समिति के सदस्यों ने शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी वितरक, नए एलपीजी वितरकों की नियुक्ति, पुराने वितरकों से नए वितरकों को एलपीजी ग्राहक आधार के अंतरण से संबंधित मुद्दों, देश में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के कारण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के मौजूदा व्यवसाय की वित्तीय गैर-व्यवहार्यता, अपर्याप्त ग्राहक आधार और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए स्थानों की एकतरफा योजना के कारण ग्रामीण एलपीजी वितरकों के सामने आने वाली कठिनाइयों, ओएमसी की विपणन नीतियों की समीक्षा,एमडीजी की आड़ में अनुचित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर तेल कंपनियों द्वारा लागू की गई दबाव बनाने की रणनीति, एलपीजी बिक्री के लिए ओएमसी के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा और परिणामस्वरूप विस्फोटक विनियम, गैस नियंत्रण आदेश, आवश्यक वस्तु अधिनियम और सुरक्षा मानदंड आदि जैसे नियमों और विनियमों का उल्लंघन। इसके अलावा, ग्राहकों को सिलेंडर की डिलीवरी के लिए श्रमिकों का शोषण, कोविड-19 के दौरान वितरकों का कार्यनिष्पादन जैसे मुद्दे महामारी और एलपीजी ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई।

4. समिति ने नए खुदरा आउटलेट नेटवर्क के विस्तार में पारदर्शिता जैसे खुदरा दुकानों के कामकाज से संबंधित मुद्दों ,ए और बी साइट डीलरशिप की पात्रता, डीलरशिप में परिवार की परिभाषा के लिए मानदंड, व्यापार व्यवहार्यता के लिए खुदरा दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी का रखरखाव, आरओ की स्थापना के लिए एक नियामक बोर्ड की आवश्यकता,आरओ के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा विभिन्न लाइसेंस और निकासी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, नए युग के ईंधन के आलोक में आरओ में जगह की कमी को दूर करने के लिए पेसो दिशानिर्देशों की समीक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में डीलरशिप पर ओएमसी द्वारा दिशा-निर्देशों को मनमाने ढंग से लागू करना,एमडीजी को लेकर ओएमसी और आरओ डीलरों के बीच लंबी कानूनी लड़ाई, कई डीलरशिप मानदंड जैसे डीलरों की 'ए' साइट भूमि पर कब्जा और ओएमसी द्वारा डीलरों की 'बी' साइट भूमि खाली करने में

अनिच्छा, एमडीजी के तहत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर ओएमसी द्वारा लगाया गया अनुचित जुर्माना/दंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/स्वतंत्रता सेनानियों और सामान्य रूप से रक्षा श्रेणियों के डीलरों और विशेष रूप से ईंधन की कम बिक्री के लिए डीलरों के हितों की रक्षा करना, डीजी सेटों को डीजल की आपूर्ति के लिए पेसो से अनुमति का दुरुपयोग, औद्योगिक उपयोग,बोजर और मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से अर्थ मूविंग उपकरण, ओएमसी द्वारा ऑटो ईंधन की डोर टू डोर डिलीवरी की नई प्रणाली और तस्करी और ईंधन की अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए इसकी निगरानी और आरओ डीलरों द्वारा प्राप्त कमीशन के अपर्याप्त मार्जिन पर भी पर भी विचार-विमर्श किया और चर्चा हुई।

5. इसके बाद, सभापति ने आरओ और एलपीजी संघों के प्रतिनिधियों को अपने विचार व्यक्त करने और समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा, उन प्रश्नों के लिए जहां उत्तर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, आरओ और एलपीजी संघों को सात दिनों के भीतर सचिवालय को इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।.

6. बैठक की कार्यवाही के शब्दशः रिकॉर्ड की एक प्रति शाखा में रिकॉर्ड के लिए रखी गयी है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध – चार

कार्यवाही सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं बैठक

(13.07.2021)

समिति की बैठक सोमवार, 13 जुलाई, 2021 को 1100 बजे से 1450 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री गिरीश चन्द्र
4. श्री तपन कुमार गोगोई
5. श्री रोड़मल नागर
6. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
7. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
8. श्री दिलीप शइकीया
9. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
10. श्री विनोद कुमार सोनकर
11. श्री अजय टम्टा
12. श्री राजन बाबूराव विचारे

राज्य सभा

13. श्री रिपुन बोरा
14. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
15. श्री ओम प्रकाश माथुर
16. डॉ. वी. शिवादासन

17. श्री ए. विजयकुमार

18. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती आभा सिंह यदुवंशी	-	अपर सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्री विनय प्रदीप बारवा	-	उप सचिव
4.	श्री मोहन अरूमाला	-	अवर सचिव

पीईएसओ/डीपीआईआईटी (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के प्रतिनिधि

1. श्री शैलेन्द्र सिंह	-	अपर सचिव, डीपीआईआईटी
2. श्री सुशील कमलाकर सतपुते	-	निदेशक, डीपीआईआईटी
3. श्री एम. के. झाला	-	ज्वाइंट चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स एंड एचओडी, पीईएसओ, नागपुर
4. श्री आर.एन.मीणा	-	ज्वाइंट चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, पीईएसओ, फरीदाबाद
5. डॉ. संजय कुमार सिंह	-	कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, पीईएसओ

1. माननीय सभापति ने समिति के पीईएसओ/डीपीआईआईटी (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यह बताया कि यह बैठक **"खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन"** विषय पर जानकारी लेने के लिए बुलाई गई है।

2. तत्पश्चात, सदस्यों ने खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी गोदामों जैसे तेल प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा, भडारण संबंधी गतिविधियों, परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग, संपीड़ित गैस, प्रेशर वेलेल्स, गैस सिलिडंर, क्षेत्रपार पाइपलाइन, पीईएसओ के कार्यकरण और पीईएसओ से जारी एसओपी, खुदरा बिक्री केंद्रों/एलपीजी गोदामों में की गई जांच और लाइसेंसों/अनुमोदनों की वैधता आदि जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही, लगाए जाने वाले दंड/जुर्माने की प्रकृति, पीईएसओ के सामने उनके

अपने विनियामक क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चौनोतियों व कठिनाइयों, पीईएसओ द्वारा लाइसेंस जारी करने में विलंब के मामले को भी उठाया गया।

3. इसके अलावा, सदस्यों ने बोसेर से डीजल की घर-घर डिलिवरी के निरीक्षण, लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने संबंधी प्रस्तावित नियम, दुर्घटनाओं के बाद उपचारात्मक उपाय, थर्ड पार्टी निरीक्षण और सुरक्षा संबंधी लेखापरीक्षा, सेफ्टी प्रोटोकॉल में आर्टिफिशियल इंटोलिजेंस और मेकेनाइजेशन को अपनाने आदि के संबंध में कई सवाल उठाए। सदस्यों ने बीमा लाभ उठाने के लिए एलपीजी उपभोक्ताओं से सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता, समयबद्ध तरीके से निरीक्षण कराए जाने के मामले को भी उठाया।

4. तत्पश्चात, सभापति ने अपने विचार व्यक्त करने तथा समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पीईएसओ/डीपीआईआईटी (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। इसके अलावा, जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे उनके उत्तर पीईएसओ/डीपीआईआईटी (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) को सात दिनों के भीतर सचिवालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।

5. तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए। इसके उपरांत, पीएंडएनजी मत्रालय/ओएमसी/एसएफपीएल के प्रतिनिधियों को अंदर बुलाया गया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री तरूण कपूर	-	सचिव
2. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी	-	संयुक्त सचिव

ओएमसी/सोसायटी फॉर पेट्रोलियम लैबोरेटरी के प्रतिनिधि

आईओसीएल

1. श्री एस. एम. वैद्य	-	चेयरमैन, आईओसीएल
2. श्री एस. एस. लांबा	-	कार्यकारी निदेशक (एलपीजी), आईओसीएल
3. श्री संदीप मक्कड़	-	कार्यकारी निदेशक (आरटी), आईओसीएल

बीपीसीएल

1. श्री पदमाकर के.	-	सीएमडी
2. श्री अरूण कुमार सिंह	-	निदेशक (विपणन)

3. श्री संतोष कुमार	-	ईडी (एलपीजी)
4. श्री रवि पी. एस.	-	ईडी (रिटेल)

<u>एचपीसीएल</u>

1. श्री एम. के. सुराना	-	सीएमडी
2. श्री राकेश मिसरी	-	निदेशक (विपणन)
3. श्री एस. के. सूरी	-	ईडी- रिटेल
4. श्री अनुज कुमार जैन	-	ईडी- एलपीजी

<u>एसएफपीएल</u>

श्री अजय कुमार सहगल	-	कार्यकारी निदेशक

6. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और पीएंडएनजी मंत्रालय/ओएमसी/एसएफपीएल के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और यह बताया कि यह बैठक **"खुदरा बिक्री केंद्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन"** विषय पर मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई है। तत्पश्चात, ओएमसी के प्रतिनिधियों ने उक्त विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया।

7. तत्पश्चात, समिति ने आरओ आवंटन के मानदंड, वर्ष 2018 के दौरान आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या, कुल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कवरेज, नए खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) को शुरू करने में विलंब के कारण, आरओ तथा एलपीजी डीलपरशिप चयन प्रक्रिया को सुचारू बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए किए गए उपाय खुदरा बिक्री केंद्रों के अलग-अलग आवेदकों की शिकायतों के निपटान हेतु तंत्र, ईंधन में मिलावट को रोकने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने, एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता अभियान और आरओ तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन में मौजूदा नियमों और विनियमों का कड़ाई से कार्यान्वयन, डीलर कमिशन संबंधी मुद्दे और ओएमसी तथा एआईपीडीए के बीच विवाद आदि जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

8. इसके अलावा, आरओ और एलपीजी वितरणों के आवंटन में ओएमसी द्वारा कार्यान्वित आरक्षण नीति के तहत ई-डब्ल्यूएस श्रेणी को शामिल करने, पेट्रोल पंपों पर गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने, सुरक्षा जागरूकता, सुरक्षा मानकों के अनुपालन में घरों के लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र के प्रावधान, खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थानों के फील्ड निरीक्षण, आरओ आवेदकों की जमा सुरक्षा राशि पर ब्याज संदाय न होने और आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा, ओएमसी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को प्रदत्त समग्र निधि (कार्पस फंड) योजना से वित्तीय सहायता संबंधी मुद्दे, एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों द्वारा संचालित बंद पड़े आरओ की संख्या और ऊपरी सीमा से नीचे डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

9. तत्पश्चात, सभापति ने अपने विचार व्यक्त करने तथा समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पीएंडएनजी मंत्रालय/ओएमसी/एसएफपीएल के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। इसके अलावा, जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे, उनके उत्तर पीएंडएनजी मंत्रालय तथा ओएमसी को सात दिनों के भीतर सचिवालय को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।

10. शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति शाखा में रिकॉर्ड के लिए रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

अनुबंध- पाँच

कार्यवाही सारांश

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

उन्नीसवीं बैठक

(04.08.2021)

समिति की बैठक बुधवार, 4 अगस्त, 2021 को 1500 बजे से 1550 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रमेश बिधूड़ी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती चिंता अनुराधा
3. श्री रमेश बिन्द
4. श्री नारणभाई काछड़िया
5. श्री संतोष कुमार
6. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
7. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
8. श्री एम. के. राघवन
9. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
10. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
11. श्री लल्लू सिंह
12. श्री विनोद कुमार सोनकर
13. श्री अजय टम्टा
14. श्री राजन बाबूराव विचारे

राज्य सभा

15. श्री नारायण दास गुप्ता
16. श्रीमती कान्ता कर्दम
17. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार
18. डॉ. वी.शिवादासन
19. चौधरी सुखराम सिंह यादव

सचिवालय

1. श्री एच. राम प्रकाश - निदेशक
2. श्री विनय प्रदीप बरवा - उप सचिव
3. श्री मोहन अरूमला - अवर सचिव

2. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3. तत्पश्चात समिति ने "खुदरा बिक्री केन्द्रों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन" विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात समिति ने सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने/सभापटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

xxx:यह अंश विषय से संबंधित नहीं है।

परिशिष्ट - एक

पेट्रोलियम नियम, 2002 के फॉर्म सोलह के तहत दिए गए लाइसेंसों की सूची					
राज्य का नाम	2017	2018	2019	2020	जनवरी 2021 से 09.07.2021 तक
अण्डमान और निकोबार	2	2	3	1	3
आंध्र प्रदेश	181	165	307	351	143
अरुणाचल प्रदेश	4	13	18	31	18
असम	40	40	78	108	83
बिहार	69	206	122	157	120
चंडीगढ़	0	1	0	3	2
छत्तीसगढ	84	67	141	321	151
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
दमन और दीव	1	0	1	0	0
दिल्ली	1	3	1	4	0
गोवा	2	5	1	4	1
गुजरात	312	243	440	606	285
हरियाणा	178	123	111	308	167
हिमाचल प्रदेश	23	15	48	62	41

जम्मू और कश्मीर	15	22	22	34	11
झारखंड	42	31	113	196	100
कर्नाटक	238	225	411	669	297
केरल	50	70	95	162	68
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	240	231	345	668	435
महाराष्ट्र	328	331	341	556	329
मणिपुर	3	17	27	29	8
मेघालय	3	9	14	14	5
मिजोरम	2	3	4	11	5
नागालैण्ड	1	5	16	24	13
उड़ीसा	68	65	151	246	108
पांडिचेरी	4	1	0	9	1
पंजाब	78	58	87	203	108
राजस्थान	387	314	314	609	292
सिक्किम	1	3	1	8	1
तमिलनाडु	406	336	253	538	272
तेलंगाना	264	221	271	449	241
त्रिपुरा	5	2	7	15	3
उत्तर प्रदेश	426	467	450	971	490
उत्तराखंड	25	25	35	61	40
पश्चिम बंगाल	51	52	130	253	88
कुल	3534	3371	4358	7681	3929

स्रोत: पीईएसओ, नागपुर

परिशिष्ट - दो

गैस सिलेंडर नियम, 2016 के फॉर्म एफ के अंतर्गत दिए गए एलपीजी गोदाम लाइसेंस की सूची					
राज्य का नाम	2017	2018	2019	2020	01/01/2021 से अब तक के लाइसेंस प्रदान किए गए
अण्डमान और निकोबार	0	5	0	0	0
आंध्र प्रदेश	60	84	81	43	22
अरुणाचल प्रदेश	7	11	5	1	0
असम	31	32	101	25	12
बिहार	25	522	323	87	29
चंडीगढ़	0	1	2	0	0
छत्तीसगढ	67	100	38	11	4
दादरा और नगर हवेली	1	2	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	5	18	5	2
गोवा	2	4	3	1	2
गुजरात	80	151	191	81	50
हरियाणा	55	120	40	27	13
हिमाचल प्रदेश	3	40	20	8	3
जम्मू और कश्मीर	15	35	18	7	1
झारखंड	10	40	118	18	2

कर्नाटक	72	51	166	110	44
केरल	13	37	59	30	27
लक्षद्वीप	2	1	0	4	0
मध्य प्रदेश	30	212	116	65	25
महाराष्ट्र	50	447	199	93	76
मणिपुर	2	14	3	1	0
मेघालय	2	10	3	3	2
मिजोरम	1	4	0	0	0
नागालैण्ड	0	12	10	2	0
उड़ीसा	43	264	87	32	20
पांडिचेरी	5	1	2	1	1
पंजाब	66	64	28	21	12
राजस्थान	20	240	109	36	14
सिक्किम	0	6	2	2	1
तमिलनाडु	152	223	157	75	42
तेलंगाना	27	63	57	30	13
त्रिपुरा	3	10	0	6	1
उत्तर प्रदेश	214	941	179	76	41
उत्तराखंड	11	49	21	18	3
पश्चिम बंगाल	75	71	361	116	26
कुल	1146	3872	2517	1035	488

स्रोत: पीईएसओ, नागपुर